पथिक

अंक : 19

मई, 2022

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम)
हैदराबाद-सिकंदराबाद

पेश है

आपके भविष्य की सुरक्षा, आपकी अपनी शर्तों पर.

एलआईसी के बचत प्लस प्लान के साथ, बीमा सुरक्षा और प्रीमियम भुगतान का विकल्प, जैसा आप चुनें.

प्रीमियम भुगतान अवधि: 5 वर्ष या एकल प्रीमियम

ऑनलाइन भी उपलब्ध

एलआईसी की बचत प्लस

Plan No: 861 UIN: 512N340V01

एक नॉन–लिंक्ड, सहभागी, व्यक्तिगत, जीवन बीमा बचत योजना

प्रमुख विशेषताएँ:

- अपनी बीमा–सुरक्षा चुनने की सुविधा
- न्यूनतम मूल बीमा राशि: ₹ 1,00,000/-
- अधिकतम मूल बीमा राशि: कोई सीमा नहीं
- परिपक्वता लाभ:
  मूल बीमा राशि + निष्ठा अभिवृद्धि (यदि कोई हों)

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप "MyLIC"

विज़िट करें: licindia.in

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए, अपने अभिकर्ता/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/www.licindia.in पर विज़िट करें या एसएमएस करें आपके शहर का नाम और उसे 56767474 पर भेज दें.

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512 |

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
ज़िन्दगी के साथ भी, ज़िन्दगी के बाद भी.

LIC/AR/20-21/26/HIN

नकली फोन कॉल्स और झूठे/धोखाधडी पूर्ण ऑफ़र्स से सावधान रहें. आईआरडीएआई जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों के निवेश जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है. ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाएँ. **बिक्री समापन से पूर्व अधिक जानकारी या जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए बिक्री पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें.**

पथिक

अंक : 19 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), हैदराबाद-सिकंदराबाद मई, 2022

संरक्षक

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
एवं
अध्यक्ष, नराकास (उपक्रम)

संपादक

होमनिधि शर्मा
उप महाप्रबंधक (रा.भा.), बी डी एल
एवं
सदस्य सचिव, नराकास (उपक्रम)

संपादक मंडल सदस्य

निशांक कुमार जैन
उप महाप्रबंधक (टाइटेनियम)
मिश्र धातु निगम

संपादन सहयोग

डॉ नरसिंहम शिवकोटी
सहायक प्रबंधक (रा.भा.)
बी डी एल

समन्वय कार्यालय
भारत डायनामिक्स लिमिटेड
रक्षा मंत्रालय
कंचनबाग, हैदराबाद-500058.
वेबसाइट : www.narakasa.rajbhasha.nic.in
क्र.सं.358

यह पत्रिका निजी परिचालन के लिए है। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचारों से संपादक मंडल या नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में .... पृष्ठ सं.

अध्यक्ष की कलम से 2
संपादक की ओर से 3
'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' और 'क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार' 4
53वीं और 54वीं अर्द्धवार्षिक बैठक 5-6
नराकास ऑनलाइन संयुक्त हिंदी कार्यशाला 7
ऑनलाइन राजभाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रम 7
उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार तथा उत्तम पत्र-पत्रिका पुरस्कार 8-11
अंतर-उपक्रम प्रतियोगिताओं के विजेता 12

सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियाँ 13-31

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बी एच ई एल – आर अण्ड डी
मिश्र धातु निगम लिमिटेड
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
एअर इंडिया – सी टी ई
भारतीय जीवन बीमा निगम
बी एस एन एल – तेलंगाना परिमंडल
बी एस एन एल – एच टी डी
बी एस एन एल – पारेषण परियोजना
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बी ई एम एल
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ई एसआई चिकित्सा महाविद्यालय और
ई एस आई अतिविशिष्टता अस्पताल
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
केन्द्रीय भंडारण निगम
हडको
भारतीय खाद्य निगम
ई सी जी सी - हैदराबाद शाखा
गेल (इंडिया) लिमिटेड
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एम एम टी सी लिमिटेड
एम एस टी सी लिमिटेड
आई टी आई लिमिटेड
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
राष्ट्रीय केमिकल्स अण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एन टी पी सी लिमिटेड
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन-आईपीएमटी
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन
बी एच ई एल – रामचंद्रपुरम
राइट्स लिमिटेड
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
वाप्कोस लिमिटेड
भारत सरकार टकसाल
प्रतिभूति मुद्रणालय

लेख और लघु कथा 32-64

बौद्धिक संपदा अधिकार और रक्षा क्षेत्र में इसका महत्व
कोयले से मेथनॉल - प्रौद्योगिकी संस्थापन और उत्पादन
'आत्मनिर्भर भारत' के लिए समर्पित मिधानि
बैबिट युक्त बियरिंग के अल्ट्रॉसॉनिक परीक्षण में टी. वी. जी. तकनीक का प्रयोग
समाज कल्याण और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सिविल इंजीनियरिंग की भूमिका
आई बी सी के तहत कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया
नाड़ी शोधन प्राणायाम – संपूर्ण सेहत का द्वार
वैश्विक मानव समता के प्रचारक श्री रामानुजाचार्य
वायुयान की खिड़कियाँ गोल क्यों होती हैं?
औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य
आत्मनिर्भर भारत
प्रमोशन - एक लघु कथा
मुकाबला महामारी से

कविताएँ

सोचते रह गये हम
दावानल
भाषा और शब्द
परिवर्तन

अध्यक्ष की कलम से ....

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)
सी एम डी, बी डी एल एवं अध्यक्ष, न रा का स (उ)

मुझे प्रसन्नता है कि 'पथिक' के इस नवीन अंक के माध्यम से अपने विचार रखने का पुनः अवसर प्राप्त हो रहा है।

सबसे पहले पत्रिका के नियमित प्रकाशन के लिए सभी योगदानकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले अंकों से अधिक सामग्री इस अंक में प्रकाशन के लिए भेजी। खासकर तकनीकी विषयों से संबंधित। यह दर्शाता है कि समिति के समन्वित प्रयास और आपसी प्रेरणा से राजभाषा का प्रयोग दिन-ब-दिन आगे बढ़ रहा है।

हम जानते हैं कि प्रत्येक सदस्य कार्यालय एक खास किस्म का काम करता है और सभी के तकनीकी विषय किसी न किसी इंजीनियरिंग की शाखा से जुड़े हैं। ऐसे में "पथिक" जैसी पत्रिका के हर अंक में विविध विषयों की तकनीकी जानकारी के शामिल होने से नयी शब्दावली और भाषा का प्रयोग समृद्ध हो रहा है। ऐसा ही उत्तरदायित्व संविधान के अनुच्छेद 351 में हमें राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग और इसके विकास के लिए दिया गया है।

आज़ादी का अमृतकाल भी हमें स्मरण कराता है कि देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में हिन्दी और भारतीय भाषाओं की अविस्मरणीय भूमिका रही है। अतः भारत की सामासिक संस्कृति, भाषायी वैविध्यता के साथ तकनीकी क्षेत्रों की उपलब्धियों और इस ज्ञान को अधिक से अधिक जन तक पहुँचाना भी हमारा कर्तव्य है।

इस समिति के अध्यक्ष के नाते मझे खुशी और इस बात का संतोष है कि आप सबने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवश्य किया है।

मेरी कामना है कि हम सब ऐसे ही निरंतर योगदान देते रहें और अपने देश व समाज के समग्र विकास के लिए काम करते रहें।

मैं इस पत्रिका के सम्पादक मंडल को भी उनके योगदान के लिए बधाई देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.)

संपादक की ओर से ....

होमनिधि शर्मा
उप महाप्रबंधक (रा.भा.), बी डी एल एवं सदस्य सचिव, न रा का स (उ)

देखने में आया है कि निरन्तर परिश्रम से कौशल और बुद्धिमत्ता के अभाव को साधा जा सकता है। मौलिक और तकनीकी लेखन के संबंध में भी यह बात सही प्रतीत होती है। खासकर, जब मौलिक व तकनीकी लेखन हिन्दी में हो और इसका सृजन इतर भाषा-भाषी करते हों। 'पथिक' के लगातार संपादन कार्य से इस बात की प्रतीति होती रही है। समन्वित प्रयास आपसी प्रेरणा का माध्यम बन रहे हैं और सदस्य कार्यालयों में कार्यरत तकनीकी और गैर-तकनीकी वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी मौलिक लेखन कौशल को निरन्तर प्रयास से साधते हुए देश के एक बड़े पाठक वर्ग तक महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी हिन्दी के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। इन प्रयासों के लिए सभी आलेखदाता साधुवाद व अभिनंदन के पात्र हैं। वास्तव में पत्रिका का उद्देश्य भी यही है।

भाषा समस्त मानव समुदाय के लिए प्रकृति का एक अमूल्य वरदान है। व्यक्त-अव्यक्त ज्ञान, सूचना और मनोरंजन सहित हमारी निजी और सामाजिक सभी प्रकार की भावनाएं, वैचारिक चितंन भाषायी माध्यम से ही व्यक्त होकर हमें समृद्ध और समाज की एक उपयोगी इकाई बनाता आया है। परन्तु, जब इसे आपसी ऊँच-नीच का अनावश्यक रूप से चर्चा का हिस्सा बनाया जाता है तो इससे भाषा और मानव समुदाय दोनों का अहित होता है। भाषा केवल और केवल मानव समुदाय की एक अमूल्य, उपयोगी और गौरवशाली साझी विरासत है न कि कोई छोटी या बड़ी। व्यक्ति का नज़रिया इसे छोटी या बड़ी कदापि नहीं बना सकता। समाज और व्यवस्था कोई भी हो, समभाव से इसका सम्मान होना चाहिए और परस्पर भाषायी विकास के लिए हमें सहयोगी बनना चाहिए। प्राचीन काल से प्रयुक्त विभिन्न भारतीय भाषाओं से ही हमारी सामासिक संस्कृति का निर्माण हुआ है। फलत: भारत का 'जन-गण-मन' सभी भाषाओं के संगम से बना है। वर्तमान में भाषायी वैविध्य हमारे लोकतंत्र और इसकी मजबूती का एक सुदृढ़ आधार है। यह विदेशों में रह रहे भारतीय समाज से भी निरंतर शक्ति संचित हो रहा है। अत: हमें अपने योगदान से इसे और मजबूती प्रदान करना है ताकि आजादी का यह अमृतकाल वर्तमान व भावी पीढ़ी के लिए चिर स्मरणीय बन जाए।

आशा है पथिक के इस नवीन अंक का अध्ययन कर आप इसे उपयोगी पाएंगे और अपनी प्रतिक्रिया से सभी आलेखदाता और संपादक मंडल का मार्गदर्शन करेंगे।

होमनिधि शर्मा

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

भारत सरकार, राजभाषा विभाग की ओर से राजभाषा कार्यान्वयन के उत्तम कार्यनिष्पादन के लिए हैदराबाद-सिकंदराबाद की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को वर्ष 2019-20 के लिए 'ग' क्षेत्र की समितियों की श्रेणी में 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। दि. 14 सितंबर को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में संपन्न हिंदी दिवस कार्यक्रम के दौरान भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने समिति के अध्यक्ष एवं सी एम डी, बी डी एल कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के अंतर्गत शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया। इसी क्रम में समिति के सदस्य सचिव एवं उप महाप्रबंधक (राजभाषा), बी डी एल होमनिधि शर्मा को उत्तम कार्यनिष्पादन के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह चौथा अवसर है जब इस समिति को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है।

इस अवसर पर भारत के गृह मंत्री सहित गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, अजय कुमार मिश्र और नितीश प्रामाणिक सहित सचिव, राजभाषा विभाग, संयुक्त सचिव व भारत सरकार के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार

भारत सरकार के राजभाषा विभाग की ओर से केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले कार्यालय, उपक्रम और बैंकों को राजभाषा कार्यान्वयन के उत्तम कार्यनिष्पादन के लिए प्रति वर्ष क्षेत्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। इस क्रम में हैदराबाद-सिकंदराबाद की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को वर्ष 2018-19 के दौरान 'ग' क्षेत्र की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार दि. 04 दिसंबर, 2021 को हैदराबाद में आयोजित दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में प्रदान किया गया। समिति के अध्यक्ष एवं सी एम डी, बी डी एल की ओर से एन श्रीनिवासुलू, निदेशक (वित्त), बी डी एल ने पुरस्कार के रूप में शील्ड और होमनिधि शर्मा, उप महाप्रबंधक (रा.भा.) एवं सदस्य सचिव, नराकास (उ) ने प्रशस्ति पत्र ग्रहण किया।

53वीं अर्द्धवार्षिक बैठक

समिति की 53वीं अर्द्धवार्षिक बैठक वीडियो कान्फेंस के माध्यम से दि. 25 मई को समिति के अध्यक्ष एवं बी डी एल के सी एम डी कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर सदस्य कार्यालयों के सी एम डी, निदेशकगण, कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक स्तर के प्रधान, संबंधित कार्यालयों के राजभाषा प्रधान सहित राजभाषा विभाग, दक्षिण क्षेत्र के उप निदेशक (कार्यान्वयन) कुमार पाल शर्मा ने दिल्ली से और हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद की उप निदेशक डॉ. नरेश बाला ने बैठक में भाग लिया। बैठक का उद्घाटन करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बावजूद राजभाषा कार्यान्वयन व इसकी गतिविधियाँ बनाये रखना प्रशंसनीय है और सभी कार्यालय प्रधान इसके लिये बधायी के पात्र हैं। इसके बाद समिति के सदस्य सचिव होमनिधि शर्मा, उप महाप्रबंधक (राजभाषा), बी डी एल ने समिति की पिछली बैठक से इस बैठक तक संपन्न समिति की गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राजभाषा विभाग, दक्षिण क्षेत्र के उप निदेशक (कार्यान्वयन) कुमार पाल शर्मा ने सदस्य कार्यालयों से प्राप्त छमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि इन कठिन हालात के बावजूद राजभाषा कामकाज को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्य कार्यालयों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम निश्चित ही सराहनीय है। उन्होंने प्राप्त छमाही रिपोर्टों का अध्ययन कर कहा कि सभी कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) और हिंदी में प्राप्त पत्रों का हिंदी में जवाब दिये जाने का शत-प्रतिशत अनुपालन किया गया है तथा कुछ कार्यालयों को छोड़ कर हिंदी में पत्राचार व टिप्पणी लेखन में भी बढ़ौतरी दर्ज की गयी है। इसी प्रकार हिंदी जानने वाले अधिकारी-कर्मचारियों में दर्ज वृद्धि को देखते हुए उन्होंने कहा कि अब अनुवाद की जगह सभी को मूलतः हिंदी में काम करना चाहिए। साथ ही, प्रशासनिक क्षेत्र सहित तकनीकी क्षेत्रों में भी हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

बैठक के अगले चरण में हिंदी शिक्षण योजना की उप निदेशक डॉ. नरेश बाला ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिये अर्द्धवार्षिक रिपोर्टें भरकर भेजने का आग्रह किया।

बैठक के दौरान समिति की गृह-पत्रिका 'पथिक' के 18वें अंक का विमोचन किया गया। पत्रिका में तकनीकी और साहित्यिक सामग्री के रूप में रचनात्मक योगदान देने वाले आलेखदाताओं को नक़द पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

चर्चा सत्र के दौरान सुमित देब, सी एम डी, एन एम डी सी, समीर मुखर्जी, निदेशक (कार्मिक), ई सी आई एल, सी वी आनंद, अधिशासी निदेशक, एन टी पी सी, अनूप कुमार, अधिशासी निदेशक, पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सुधीर कुमार उपाध्याय, मुख्य महाप्रबंधक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, डॉ. के के पाल, चिकित्सा अधीक्षक, ई एस आई अतिविशिष्टता अस्पताल, रत्ननाभ आचार्य, कार्यपालक निदेशक, बी एच ई एल – आर अण्ड डी, शरत कुमार त्रिपाठी, आँचलिक महाप्रबंधक, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सुधाकर बाबू, क्षेत्रीय प्रमुख, हुडको, सुबीर तालुकदार, दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने विचार रखते हुए राजभाषा के कामकाज को अपने-अपने कार्यालयों में और भी बेहतर बनाने तथा समिति के कार्यकलापों को आगे बढ़ाने में सहयोग देने का आश्वासन दिया।

इसके बाद समिति के अध्यक्ष एवं सी एम डी, बी डी एल कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) ने अध्यक्षीय संबोधन में उप निदेशक (कार्यान्वयन) और उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना द्वारा की गयी टिप्पणी से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपने व्यावसायिक कामकाज की तरह राजभाषा के कामकाज की भी समीक्षा पूरी गंभीरता और गरिमा के साथ करते आ रहे हैं। फलस्वरूप सदस्य कार्यालयों में कामकाज की आंतरिक समीक्षा पद्धति मजबूत हुई है और राजभाषा विभाग के साथ साझा प्रयास से कामकाज के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है।

54वीं अर्द्धवार्षिक बैठक

समिति की 54वीं अर्द्धवार्षिक बैठक दि. 25 अक्तूबर को बी डी एल के सी एम डी एवं समिति के अध्यक्ष कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

इस अवसर पर एन एम डी सी के सी एम डी सुमित देब, ई सी आई एल के निदेशक (कार्मिक) समीर मुखर्जी, मिधानि के निदेशक (वित्त) एन गौरी शंकर राव सहित सदस्य कार्यालयों के प्रधान के रूप में कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक, राजभाषा प्रधान, राजभाषा विभाग दक्षिण क्षेत्र के उपनिदेशक (कार्यान्वयन) कुमार पाल शर्मा दिल्ली से और हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद की उप निदेशक डॉ. नरेश बाला बैठक में उपस्थित रहे।

बैठक का उद्घाटन करते हुए समिति के अध्यक्ष ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली तीन ऑनलाइन बैठकों के बाद यह बैठक सबकी उपस्थिति में हो पा रही है। साथ ही, टीकाकरण अभियान के असर से उद्योग व आर्थिक जगत में भी तेजी आने लगी है। इसके बाद समिति के सदस्य सचिव होमनिधि शर्मा, उप महाप्रबंधक (राजभाषा), बी डी एल ने समिति की पिछली बैठक से अब तक संपन्न समिति की गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राजभाषा विभाग, दक्षिण क्षेत्र के उप निदेशक (कार्यान्वयन) कुमारपाल शर्मा ने सदस्य कार्यालयों से प्राप्त छ:माही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए समिति द्वारा आयोजित विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकतर कार्यालयों में पत्राचार व टिप्पणी लेखन में बढ़ौतरी दर्ज की गयी है। साथ ही कहा कि अब अनुवाद की जगह कामकाज मौलिक रूप से हिन्दी में किये जाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

बैठक के अगले चरण में हिन्दी शिक्षण योजना की उप निदेशक डॉ. नरेश बाला ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये उपक्रमों की ओर से प्राप्त नामांकन व ऑनलाइन कक्षाओं में प्रतिभागिता की जानकारी दी।

बैठक के दौरान एन एम डी सी के सी एम डी सुमित देब, ई सी आई एल के निदेशक (कार्मिक) समीर मुखर्जी और मिधानि के निदेशक (वित्त) एन गौरी शंकर राव ने भी समिति के कार्यकलापों पर प्रसन्नता व्यक्त की और हासिल उपलब्धियों के लिए सभी को बधाई दी। चर्चा सत्र के दौरान उपस्थित सदस्य कार्यालयों के अधिशासी निदेशक, मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधकगण ने भी अपने विचार रखे और सभी ने समिति के कार्यकलापों को आगे बढ़ाने में अपने सहयोग का आश्वासन दिया।

इसके बाद समिति के अध्यक्ष एवं सी एम डी, बी डी एल कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से. नि.) ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में उप निदेशक (कार्यान्वयन) और उप निदेशक, हिन्दी शिक्षण योजना द्वारा दिये गए सुझावों पर सभी से कार्रवाई करते हुए समिति को इसकी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा।

बैठक के अंतिम चरण में राजभाषा के उत्तम कार्यनिष्पादन के लिए वर्ष 2019-20 और 2020-21 अवधि से संबंधित राजभाषा शील्ड, ट्रॉफी, कप, उत्तम पत्र-पत्रिका पुरस्कार और वर्ष 2021 के अंतर उपक्रम प्रतियोगिता पुरस्कार प्रदान किये गए।

इस बैठक और समारोह के आयोजन में बी डी एल के राजभाषा अधिकारी डॉ नरसिंहम शिवकोटि सहित अन्य राजभाषाकर्मियों का सक्रिय योगदान रहा।

नराकास ऑनलाइन संयुक्त हिंदी कार्यशाला

दि. 21 जनवरी, 2022 को समिति के छोटे सदस्य कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड के सहयोग से एक **ऑनलाइन संयुक्त हिंदी कार्यशाला** का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य लघु कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारियों को राजभाषा नीति की व्यावहारिक जानकारी देना और दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग के प्रति प्रेरित करना था। यह कार्यक्रम ऐसे छोटे कार्यालयों के लिए आयोजित किया गया जहाँ राजभाषा अधिकारी या राजभाषाकर्मी पद मौजूद नहीं है। साथ ही, जहाँ हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन में कठिनाई आती है। इस कार्यशाला के आरंभ में डॉ. बालाजी, उप प्रबंधक (हिं.अ. एवं नि.सं.), मिधानि ने सभी का स्वागत किया। तदुपरांत, कार्यशाला के पहले सत्र में होमनिधि शर्मा, उप महाप्रबंधक (राजभाषा), बी डी एल एवं सदस्य सचिव, नराकास (उ) ने भारत सरकार की राजभाषा नीति व तत्संबंधी दिशा-निर्देशों की अद्यतन जानकारी सहित वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाकर कार्य करने की जानकारी दी। इन बातों के साथ-साथ राजभाषा कामकाज की समीक्षा और निरीक्षण पद्धति तथा तिमाही व छ:माही प्रगति रिपोर्ट भरते समय ध्यान देने वाली बातों से भी सभी को अवगत कराया। उन्होंने सभी से अपील की कि राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी सभी कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक राष्ट्रपति आदेश और जाँच बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए हिंदी में कामकाज करने संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाएँ।

कार्यशाला के दूसरे सत्र में हिंदी शिक्षण योजना, विशाखापट्टणम के सहायक निदेशक मोहम्मद कमालुद्दीन ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण और इसके प्रयोग की जानकारी दी। उन्होंने सरकारी कामकाज, आलेखन-टिप्पणी, पत्राचार आदि में पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग को बताते हुए इसका अभ्यास भी कराया। कार्यशाला में 17 सदस्य कार्यालयों से 47 अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। इसमें आँचलिक महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक तथा शाखा प्रबंधक स्तर के अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम के आयोजन में बी डी एल के सहायक प्रबंधक (रा.भा.) डॉ. नरसिंहम शिवकोटि और मनोहर नाईक, कार्यालय अधीक्षक तथा मिधानि के अनुवादक वासुदेव का योगदान रहा।

ऑनलाइन राजभाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) के सदस्य कार्यालयों के नव-नियुक्त राजभाषा प्रभारी, नोडल अधिकारी और राजभाषाकर्मियों के लिए दि. 04 फरवरी, 2022 को एक **ऑनलाइन राजभाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रम** का आयोजन किया गया।

हुडको के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुरली कृष्ण जामी, संयुक्त महाप्रबंधक (परियोजना) ने किया।

इस कार्यक्रम के पहले सत्र में उप निदेशक (कार्यान्वयन) दक्षिण क्षेत्र कुमार पाल शर्मा ने डिजिटल परिवेश में राजभाषा कार्यान्वयन की चुनौतियों को अवसर में बदलने पर बल देते हुए रिपोर्टिंग में डिजिटल परिवेश और ई-रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित किया। तिमाही प्रगति रिपोर्ट व अन्य रिपोटिंग पद्धतियों में ई-मेल, ऑनलाइन नोटिंग-ड्राफ्टिंग आदि मदों को शामिल करने की बात कही।

कार्यक्रम के अगले सत्र में ए आर सी आई के वैज्ञानिक-'जी' डॉ. पी के जैन ने 'भारतीय जीवन परंपरा में शामिल विज्ञान' विषय पर प्रस्तुतिपरक व्याख्यान दिया। अपने तथ्यात्मक व्याख्यान में डॉ. जैन ने भारतीय परंपराओं के पालन और अध्ययन पर बल दिया।

कार्यक्रम के तीसरे सत्र में माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक बालेन्दु शर्मा दाधीच ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और एम एस ऑफिस के नये पैकेज में हिंदी के प्रयोग की सुविधाओं की सोदाहरण जानकारी दी। इस क्रम में उन्होंने हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (ए आई) आधारित अनुप्रयोग, टाइपिंग, स्पेल चेक, डिक्टेशन आदि तकनीक की विस्तार से चर्चा की।

कार्यक्रम के अंतिम सत्र में समिति के सदस्य सचिव एवं उप महाप्रबंधक (राजभाषा), बी डी एल होमनिधि शर्मा ने संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के प्रमुख मदों पर सोदाहरण जानकारी दी। कार्यक्रम के आयोजन में बीडीएल राजभाषा विभाग का सक्रिय योगदान रहा।

उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार : 2020-21

बड़े कार्यालय

राजभाषा शील्ड

ई सी आई एल

राजभाषा ट्रॉफी

एच ए एल

राजभाषा कप

बी एच ई एल – रामचंद्रपुरम

मध्यम कार्यालय

राजभाषा शील्ड

एन एम डी सी

राजभाषा ट्रॉफी

भारतीय जीवन बीमा निगम

राजभाषा कप

बी एच ई एल – आर अण्ड डी

उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार : 2020-21

लघु कार्यालय

राजभाषा शील्ड

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

राजभाषा ट्रॉफी

प्रतिभूति मुद्रणालय

राजभाषा कप

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अति लघु कार्यालय

राजभाषा शील्ड

हाउसिंग अण्ड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन

राजभाषा ट्रॉफी

ई सी जी सी - बी बी बी

राजभाषा कप

एम एम टी सी लिमिटेड

उत्तम पत्र-पत्रिका पुरस्कार : 2020-21

प्रकाशित वर्ग

'खनिज भारती'

एन एम डी सी लिमिटेड की गृह-पत्रिका

ई-पत्रिका वर्ग

'भेल यशस्वी'

बी एच ई एल - रामचन्द्रपुरम की गृह-पत्रिका

वर्ष 2021 में संपन्न ऑनलाइन अंतर-उपक्रम प्रतियोगिताओं के कुछ पुरस्कार-विजेता

वर्ष 2021 में संपन्न ऑनलाइन अंतर-उपक्रम प्रतियोगिताओं के कुछ पुरस्कार-विजेता

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उ) के तत्वावधान में वर्ष 2021 के लिए ऑनलाइन माध्यम से आयोजित अंतर-उपक्रम प्रतियोगिताओं के परिणाम

क्र.सं.	प्रतियोगिता का नाम एवं तिथि	पुरस्कार विजेता (श्री / श्रीमती / सुश्री)					
		हिंदी भाषी वर्ग			अन्य भाषी वर्ग		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1	शब्दावली प्रतियोगिता दि. 25.07.2021	**रवि सिंह** बी डी एल	**धनंजय कुमार** एम एस टी सी	**रेखा गर्ग** एन एम डी सी	**सुमन मल्लिक** बी डी एल	**बैले शिरीषा** बी एच ई एल - R&D	**श्यामला पुष्पलता रेड्डी** एन एम डी सी
2	निबंध प्रतियोगिता दि. 25.07.2021	**आशीष जैन** प्रतिभूति मुद्रणालय	**राजकुमार साहू** मिधानि	**रामनारायण यादव** बी एच ई एल - R&D	**राजेश आर भोवते** इंडियन ऑयल कॉर्पो	**अशोक कुमार नायक** नेशनल इंश्यो. कं. लि.	**शबाना अंजुम** एच ए एल
3	तकनीकी विषयों पर पेपर प्रस्तुतीकरण दि. 31.07.2021	**आशीष त्रिपाठी** बी डी एल	**पीयूष कुमार** बीएचईएल – RCP	**कुलदीप सिंह राणा** ईसी आई एल	**पल्लवी डांगे** एन एम डी सी	**सागर हरनौल** बी डी एल	**हर्षा गंगिनेनी** एच ए एल
4	अनुवाद प्रतियोगिता दि. 01.08.2021 (हिन्दी विभाग और अन्य विभाग)	**बी रुचिता** ई एस आई चिकित्सा महाविद्यालय	**धनंजय कुमार** एम एस टी सी	**सुशील जोशी** बी एच ई एल – RCP	**जाधव प्रकाश** बी डी एल	**रामनारायण यादव** बी एच ई एल - R&D	**आई विश्वनाथन** आई टी आई लि.

नराकास उत्तम पत्र-पत्रिका पुरस्कार 2020-21

प्रकाशित वर्ग

'खनिज भारती'
(एन एम डी सी लिमिटेड की गृह-पत्रिका)

ई-पत्रिका वर्ग

'भेल यशस्वी'
(बी एच ई एल-रामचंद्रपुरम की गृह-पत्रिका)

सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की गतिविधियाँ

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव समारोह

भारत डायनामिक्स लिमिटेड में दि. 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। पक्षोत्सव के दौरान निगम कार्यालय सहित तीनों इकाइयों के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। दि. 17 सितंबर को आयोजित मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता सी एम डी कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) ने की। इस अवसर पर निदेशक (उत्पादन) और निदेशक (वित्त) सहित कंचनबाग इकाई, भानूर इकाई, विशाखापट्टणम इकाई और नई दिल्ली स्थित संपर्क कार्यालय के महाप्रबंधक, अपर महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य तथा सभी वर्ग के पुरस्कार विजेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री का हिंदी दिवस संदेश वीडियो के माध्यम से प्रसारित किया गया और रक्षा मंत्री के संदेश का वाचन किया गया। इसके बाद पी राधाकृष्ण, निदेशक (उत्पादन), एन श्रीनिवासुलू, निदेशक (वित्त) ने सभी को संबोधित किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सी एम डी कमोडोर सिद्धार्थ मिश्र (से.नि.) ने मौलिक कामकाज की प्रोत्साहन योजना और हिंदी पक्षोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के नक़द पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा हमारा आधार रहा। स्वराज हासिल करने के बाद तकनीकी और उद्योग जगत में स्वदेशी पर निरंतर बल दिया गया। आज 'आत्मनिर्भर भारत' इसी के आगे की कड़ी है। अत: उत्पाद बनाने में आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ अपनी भाषा में भी आत्मनिर्भर होना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस कार्यक्रम का संचालन होमनिधि शर्मा, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) ने किया।

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
राजभाषा चेतना माह

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 'राजभाषा चेतना माह' मनाया गया। इस माह के दौरान राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में भारत के गृह मंत्री और सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग के हिंदी दिवस संदेश का वाचन किया गया। साथ ही, राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशानुसार 'राजभाषा प्रतिज्ञा' दिलायी गयी। तदुपरांत, 'संविधान में हिंदी' और 'हिंदी की विकास-यात्रा' वृत्त चित्र प्रदर्शित किये गये। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए समीर मुखर्जी, निदेशक (कार्मिक) ने राजभाषा चेतना माह के आयोजन पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करना हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है। इस अवसर पर उपस्थित अनुराग कुमार, कार्यपालक निदेशक (सुरक्षा प्रणाली) ने कहा कि आज के डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी को सर्व सुलभ बनाने के लिए हिंदी सहित समस्त भारतीय भाषाओं में मौलिक लेखन को बढ़ावा देना चाहिए। इसी क्रम में अनुराग मालवी, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) ने कहा कि भारत भाषाओं का देश है। अब समय आ गया है कि ज्ञान-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के प्रयोग में वृद्धि लानी चाहिए। तदुपरांत, चिप्पाडा अंबेडकर, कनिष्ठ अनुवादक ने वार्षिक राजभाषा रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राजनारायण अवस्थी, वरिष्ठ अधिकारी (राजभाषा) ने किया।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

हिंदी माह

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में सितंबर माह 'हिंदी माह' के रूप में मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर डॉ. सी पूजा, चिकित्सा अधिकारी, शहरी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, मल्लापूर ने कोविड-19 के निदानात्मक उपायों पर एक विशेष ऑनलाइन व्याख्यान दिया। हिंदी माह के अंतर्गत दि. 12 सितंबर को 'मिशन मंगल' फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। दि. 30 सितंबर को हिंदी माह का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। के श्रीनिवास, महाप्रबंधक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की जबकि कमांडर श्रीनाथ यू नायर, प्रभारी अधिकारी, एन टी जी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई देते हुए ऐसी ही उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा। के श्रीनिवास, महाप्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि सभी अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में योगदान दें।

विश्व हिंदी दिवस

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में दि. 10 जनवरी, 2022 को विश्व हिंदी दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार से संबंधित गृह मंत्रालय की एक डाक्यूमेंटरी प्रदर्शित की गयी। दूसरे सत्र में योग प्रशिक्षक कुंभरगेरी प्रियंका द्वारा एक अभ्यास आधारित व्याख्यान दिया गया जिसमें कोविड निवारण के परिप्रेक्ष्य में प्राणायाम सहित अन्य आसन आदि का अभ्यास कराया गया।

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. पी के जैन, वैज्ञानिक-'जी', ए आर सी आई ने 'देश की प्रगति में हिंदी का योगदान' विषय पर एक विशेष व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान के दौरान डॉ. जैन ने प्राचीन भारत से लेकर अब तक भाषा के माध्यम से व्यक्त ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सोदाहरण जानकारी दी और स्वभाषा में विज्ञान लेखन के लिए सभी को प्रेरित किया। इस अवसर पर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी सभी कर्मचारियों तक पहुँचाने के उद्देश्य से इंट्रानेट पर 'राजभाषा पेज' का विमोचन किया गया। इसके अंतर्गत राजभाषा नियम-अधिनियम के साथ-साथ प्रशासनिक शब्दावली, टिप्पण-कोश आदि शामिल किये गये। दि. 28 सितंबर को आयोजित हिंदी पक्षोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता अरुण जे सरकटे, महाप्रबंधक (एवियॉनिक्स प्रभाग) ने की। उन्होने सभी उपस्थितों से अपने दैनिक कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सहयोग देने की अपील की। समारोह के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। साथ ही, वर्ष के दौरान दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक काम करने वाले तीन विभागों को 'विभागीय पुरस्कार' और कर्मचारियों को 'शंकर दयाल सिंह पुरस्कार' सहित प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया।

नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

एन एम डी सी लिमिटेड में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। हिंदी पक्षोत्सव के प्रारंभ में उद्यम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सुमित देब का हिंदी दिवस संदेश प्रदर्शित किया गया। अपने संदेश में अध्यक्ष ने कहा कि हिंदी दिवस राजभाषा के महत्व और उसकी उपयोगिता का प्रचार-प्रसार करने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर पर उन्होंने एन एम डी सी लिमिटेड के सभी कार्मिकों को अपना दैनिक कार्यालयीन कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित करने और इसके प्रचार-प्रसार के लिए पुन: संकल्प लेने का आह्वान किया। दि. 28 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का समापन समारोह संपन्न हुआ। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सुमित देब ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अमित मुखर्जी, निदेशक (वित्त) और सोमनाथ नंदी, निदेशक (तकनीकी) भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सभी मंचासीन उच्चाधिकारियों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। रुद्रनाथ मिश्र, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) ने इस कार्यक्रम का संचालन किया।

अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी

एन एम डी सी लिमिटेड में दि. 28 मार्च, 2022 को अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। संगोष्ठी के प्रारंभ में के प्रवीण कुमार, अधिशासी निदेशक (कार्मिक एवं विधि) ने सभी का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के उद्देश्य और इसकी रूपरेखा पर प्रकाश डाला। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए सुमित देब, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने कहा कि एन एम डी सी सदैव राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय है। उन्होंने आगे कहा कि तकनीक और भाषा को एक साथ जोड़ कर काम करना राजभाषा के प्रचार-प्रसार का श्रेष्ठ उपाय है। यह संगोष्ठी इसी दिशा में एक और कदम है। संगोष्ठी के पहले सत्र में बालेन्दु शर्मा दाधीचि, निदेशक, भारतीय भाषाएँ एवं सुगमता, माइक्रोसाफ्ट ने राजभाषा के प्रचार-प्रसार में माइक्रोसाफ्ट टूल्स की भूमिका तथा डॉ. गजेंद्र पाठक, हिंदी विभागाध्यक्ष, हैदराबाद विश्वविद्यालय ने 'हिंदी : लोकभाषा बनाम राजभाषा' विषयों पर सारगर्भित व्याख्यान दिये।

संगोष्ठी में इस्पात मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रम एवं हैदराबाद-सिकंदराबाद स्थित केंद्र सरकार के उपक्रम तथा एन एम डी सी लिमिटेड के राजभाषा अधिकारी-प्रभारियों ने भाग लिया। रुद्रनाथ मिश्र, उप महाप्रबंधक (राजभाषा) ने कार्यक्रम का संचालन किया।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

एन एम डी सी लिमिटेड को वर्ष 2019-20 के लिए 'ग' क्षेत्र में 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' (तृतीय) से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार हिंदी दिवस के अवसर पर दि. 14 सितंबर को राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। एन एम डी सी लिमिटेड की ओर से शिव षण्मुगनाथन, अधिशासी निदेशक (कारपोरेट कार्य) ने गृह राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक और अजय कुमार मिश्रा के हाथों से यह पुरस्कार ग्रहण किया।

हिंदी पक्षोत्सव

बी एच ई एल – आर अण्ड डी में दि. 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। पक्षोत्सव के दौरान उद्यम के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान दि. 09 सितंबर को आशुतोष मिश्र, वरिष्ठ अभियंता द्वारा 'अमर शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह खाँ' और दि. 11 सितंबर को विकास वर्मा, विधि अधिकारी द्वारा 'न्यायिक परिप्रेक्ष्य में गारंटी और वारंटी' विषय पर व्याख्यान आयोजित किये गये। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। रत्ननाभ आचार्य, कार्यपालक निदेशक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि "राजभाषा का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन पर आधारित है। राजभाषा का प्रचार-प्रसार हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से अपील की कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यालय के कामकाज में पूर्ण उत्साह और लगन से हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें"। तदुपरांत, सुभासिस बिस्वास, महप्रबंधक ने सभी से राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा प्रतिज्ञा दिलायी। बी जे वसुंधरा, प्रबंधक (राजभाषा) ने पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। समापन समारोह के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को राजभाषा शील्ड और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रभक्ति केंद्रित 'मेरा देश' शीर्षक नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम में महाप्रबंधकगण सहित सभी उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन बी जे वसुंधरा, प्रबंधक (राजभाषा) ने किया जबकि यू एच शेट्टी, उप अधिकारी (राजभाषा) ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

'आज़ादी का अमृत महोत्सव' व्याख्यान

आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दि. 31 अगस्त को "भारतीय संस्कृति और उसका विज्ञान" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ. पी के जैन, वैज्ञानिक-'जी', ए आर सी आई ने अपने प्रस्तुतिपरक व्याख्यान में भारत के रीति-रिवाज़, वास्तुकला, प्राचीन शास्त्र, परंपराओं में वैज्ञानिकता की सोदाहरण चर्चा की। आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति और इसकी उपादेयता पर विचार करते हुए डॉ. जैन ने युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं को अपनाने और इसे आगे ले जाने की अपील की। इस अवसर पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, उच्चाधिकारी सहित बड़ी संख्या में युवा अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

हिंदी कविता पाठ

उद्यम के अधिकारी-कर्मचारियों में साहित्यिक रुचि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दि. 10 मार्च, 2022 को बी एच ई एल – आर अण्ड डी में एक कविता-पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुभासिस बिस्वास, महाप्रबंधक (सी एच पी एफ आई ई एवं मा.सं.) ने इस प्रकार के साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन की सराहना करते हुए इसके लिए राजभाषा विभाग को बधाई दी। काव्य-पाठ के दौरान उपस्थित प्रतिभागियों ने स्वरचित एवं हिंदी के प्रमुख कवियों द्वारा रचित कविताओं का पाठ किया। इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक (राजभाषा) बी जे वसुंधरा ने किया।

हिंदी पक्षोत्सव

मिश्र धातु निगम लिमिटेड में दि. 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के हिंदी दिवस संदेश का वाचन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉ. संजय कुमार झा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने की। उन्होने इस अवसर पर कहा कि जहाँ तक संभव हो सके हमें सभी काम हिंदी में करने चाहिए। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों से आग्रह किया कि दैनिक कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के साथ-साथ हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन करने का भी प्रयास करें। तदुपरांत, एन गौरी शंकर राव, निदेशक (वित्त) ने भी अपने विचार रखे। मुख्य अतिथि डॉ. नरेश बाला, उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ने राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में हिंदी भाषा शिक्षण की भूमिका रेखांकित की। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। इसी क्रम में वर्ष के दौरान दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को नक़द पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. बालाजी, उप प्रबंधक (हिंदी अनुभाग एवं निगम संचार) ने किया।

विश्व हिंदी दिवस

मिश्र धातु निगम लिमिटेड में दि. 10 जनवरी, 2022 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर "वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन में हिंदी का प्रयोग : वर्तमान और भविष्य" विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. संजय कुमार झा, सी एम डी ने की। उन्होंने शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि हिंदी में तकनीकी और वैज्ञानिक लेखन हिंदी के प्रचार-प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। अतः ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। इसके बाद प्रथम सत्र के वक्ता डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल, सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक (रा.भा.), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने व्याख्यान में कहा कि भारत के वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे तकनीकी साहित्य का लेखन हिंदी में करें और उसे विश्व भर में प्रसारित करें। वैज्ञानिक और तकनीकी लेखकों का एक डेटा बेस भी तैयार करें। जबकि, दूसरे सत्र के वक्ता डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा, निदेशक (रा.भा.) (से.नि.), रेल मंत्रालय ने विश्व के विभिन्न देशों की राजभाषाओं के साथ हिंदी की तुलना करते हुए कहा कि राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी क्षेत्र के कर्मचारीयों के लिए जरूरी है कि वे तकनीकी लेखन का अभ्यास करें। कार्यक्रम के अंत में टिप्पणी स्वरूप होमनिधि शर्मा, उप महाप्रबंधक (रा.भा.) एवं सदस्य सचिव, नराकास (उ) ने भी अपने विचार रखे।

राजभाषा गौरव पुरस्कार

डॉ. बी बालाजी, उप प्रबंधक (हिंदी अनुभाग एवं निगम संचार) को उनके द्वारा लिखे गये तकनीकी लेख "आर्मिंग के उत्पादन में अग्रणी मिधानि" के लिए 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वर्ष 2020-21 के लिए गैर हिंदी भाषी श्रेणी में दिया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर दि. 14 सितंबर को राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित एक भव्य समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और निशिथ प्रमाणिक ने प्रदान किया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
हिंदी पक्षोत्सव

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में दि. 14 से 30 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। पक्षोत्सव का समापन समारोह दि. 30 सितंबर को पी के हजारी, महाप्रबंधक (समन्वय प्रभारी) की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कार्यालय में राजभाषा संबंधी सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी अधिकारी-कर्मचारियों को भी दैनिक कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अपूर्व कुमार जैन, संयुक्त महाप्रबंधक ने राजभाषा गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मोहम्मद कमालुद्दीन, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना ने हिंदी के वैश्विक परिवेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि औपनिवेशिक माहोल में आज भारत से व्यापार करने के इच्छुक देश सर्वप्रथम हिंदी सीखने को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को राजभाषा हिंदी में काम करने के लिए स्वेच्छा से आगे आना चाहिए। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

एअर इंडिया – सी टी ई
हिंदी पक्षोत्सव

एअर इंडिया – सी टी ई में दि. 15 से 21 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 15 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का उद्घाटन करते हुए आई ज्ञानसंबंधम, वरिष्ठ सहायक महाप्रबंधक ने राजभाषा हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए कार्यालयीन कामकाज में सरल व सहज हिंदी का प्रयोग करने पर बल दिया। हिंदी पक्षोत्सव के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों के साथ-साथ इनके परिजनों के लिए भी एक सृजन कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके अंतर्गत प्रतिभागियों ने कविता, कहानी, निबंध और लेख प्रस्तुत किये। पक्षोत्सव के दौरान एक विशेष डेस्क-टू-डेस्क प्रशिक्षण अभियान चलाया गया। दि. 21 सितंबर को आयोजित हिंदी पक्षोत्सव समापन समारोह में वर्ष के दौरान राजभाषा हिंदी में किये गये उत्कृष्ट कार्य के लिए विपणन प्रशिक्षण महाविद्यालय को राजभाषा रोलिंग शील्ड और योजना अनुभाग को प्रोत्साहन शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। तदुपरांत, पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

भारतीय जीवन बीमा निगम
हिंदी पक्षोत्सव

भारतीय जीवन बीमा निगम में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को उद्घाटन अवसर पर सभी उपस्थित कर्मचारियों ने राजभाषा प्रतिज्ञा ली जिस के बाद भारत के गृह मंत्री, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष और दक्षिण मध्य क्षेत्रीय कार्यालय के प्रादेशिक प्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधक के हिंदी दिवस संदेश प्रदर्शित किये गये। पक्षोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दि. 28 सितंबर को आयोजित समापन समारोह के दौरान विद्यानंद झा, प्रादेशिक प्रबंधक, के मुरलीधर, प्रादेशिक प्रबंधक और ए एस संध्या, प्रादेशिक प्रबंधक ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। कार्यक्रम का संचालन सीमा शर्मा, राजभाषा अधिकारी ने किया।

बी एस एन एल – तेलंगाना परिमंडल

हिंदी पक्षोत्सव

बी एस एन एल – तेलंगाना परिमंडल में दि. 16 से 30 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 16 सितंबर को पक्षोत्सव का उद्घाटन करते हुए मुख्य महाप्रबंधक, हैदराबाद दूरसंचार जिला बी पी रावत ने कहा कि मानक प्रचालन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भी इसी उत्साह के साथ हिंदी पक्षोत्सव मनाया जाए। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का संवैधानिक दायित्व है। इस दौरान कर्मचारियों में हिंदी पढ़ने की रुचि बढ़ाने के लिए इंट्रानेट पर ई-पुस्तिका प्रदर्शित की गयी जिसमें अंग्रेजी-हिंदी पारिभाषिक शब्द, वाक्यांश सहित हिंदी वार्तालाप, मुहावरे, कविताएँ, कहानियाँ, कार्यालयीन हिंदी संबंधी जानकारी शामिल है। दि. 30 सितंबर को आयोजित हिंदी पक्षोत्सव के समापन समारोह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

बी एस एन एल – एच टी डी

हिंदी पक्षोत्सव

बी एस एन एल – एच टी डी में दि. 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। हिंदी पक्षोत्सव का उद्घाटन सांस्कृतिक कार्यक्रम से किया गया। कामिनी सिंह, उप मंडल अभियंता (राजभाषा) ने पक्षोत्सव के दौरान आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी और वर्ष के दौरान संपन्न राजभाषा संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी। दि. 15 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का समापन समारोह संपन्न हुआ। जे रविचंद्र, प्रधान महाप्रबंधक ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी के प्रयोग को लेकर हमारी प्रतिबद्धता मात्र पक्षोत्सव तक सीमित न रखकर पूरे वर्ष के दौरान हमें हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। कामिनी सिंह, उप मंडल अभियंता (राजभाषा) के धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम संपन्न हुआ।

बी एस एन एल – पारेषण परियोजना

हिंदी पक्षोत्सव

बी एस एन एल – पारेषण परियोजना कार्यालय में दि. 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। पक्षोत्सव के दौरान राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशानुसार प्रमुख व्यक्तियों की सूक्तियाँ प्रदर्शित की गयीं। दि. 14 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव और हिंदी दिवस समारोह आयोजित किया गया। हिंदी दिवस के अवसर पर सभी उपस्थित प्रतिभागियों ने राजभाषा प्रतिज्ञा ली। आर वी एस राम आंजनेयुलू, महाप्रबंधक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिंदी अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए राजभाषा से आगे बढ़ कर एक विश्व भाषा की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। पी सूर्यनारायण मूर्ति, कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी एवं नोडल हिंदी अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं हिंदी पक्षोत्सव का उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सैबल मुखर्जी, राज्य प्रमुख (रिटेल) ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ दीं। तदुपरांत, आलोक वर्मा, मुख्य प्रबंधक एवं नोडल हिंदी अधिकारी ने पक्षोत्सव के दौरान आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। दि. 28 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का समापन एवं पुरस्कार-वितरण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सैबल मुखर्जी, राज्य प्रमुख (रिटेल) ने हिंदी पक्षोत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नक़द पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बी ई एम एल

हिंदी पक्षोत्सव

बी ई एम एल में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर सभी उपस्थितों ने राजभाषा प्रतिज्ञा ली। हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सतीषा कंडागल, क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभी को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और इसका प्रयोग सुनिश्चित करना हम सबका उत्तरदायित्व है। यह उतना कठिन भी नहीं क्योंकि 'ग' क्षेत्र के लिए लक्ष्य भी अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। छोटी-छोटी टिप्पणियों से शुरू कर हिंदी में काम आगे बढ़ा सकते हैं। दि. 28 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। के वी ज्ञान देव, सहायक अधिकारी (मा.सं.) एवं नोडल हिंदी अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दक्षिण मध्य आँचलिक कार्यालय में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को राजभाषा प्रतिज्ञा दिलायी गयी। इस अवसर पर भारत के गृह मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री तथा एच पी सी एल के निदेशक (मानव संसाधन) के हिंदी दिवस संदेशों का वाचन किया गया। तदुपरात, रिज़वान पाशा, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने पक्षोत्सव के दौरान आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सी के नरसिम्हा, मुख्य महाप्रबंधक ने उद्यम में राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन की स्थिति पर संतुष्टि प्रकट करते हुए इसे और आगे बढ़ाने के लिए कहा। दि. 28 सितंबर को आयोजित हिंदी पक्षोत्सव की अध्यक्षता करते हुए सी के नरसिम्हा, मुख्य महाप्रबंधक ने फाइलों के अलावा कंप्यूटर पर भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

ई एस आई चिकित्सा महाविद्यालय और ई एस आई अतिविशिष्टता अस्पताल
संयुक्त हिंदी पक्षोत्सव

ई एस आई चिकित्सा महाविद्यालय और ई एस आई अतिविशिष्टता अस्पताल में दि. 1 से 15 सितंबर तक संयुक्त रूप से हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। इस दौरान राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशानुसार हिंदी भाषा संबंधी प्रमुख सूक्तियाँ प्रदर्शित की गयीं। पखवाड़े के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस और पक्षोत्सव समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के गृह मंत्री और मुख्यालय के महानिदेशक के हिंदी दिवस संदेशों का वाचन किया गया। डॉ. के के पाल, चिकित्सा अधीक्षक ने सभी उपस्थितों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि आज हिंदी अपना क्षेत्र-विस्तार करते हुए विश्व भाषा के रूप में उभर रही है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे कोई भी अन्य भाषी व्यक्ति आसानी से सीख सकता है। हिंदी संघ की राजभाषा है। अत: अपने कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कर गर्व का अनुभव करें। तदुपरांत, पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
हिंदी पक्षोत्सव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम में दि. 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। इस दौरान निगम कार्यालय के निर्देशानुसार विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस समारोह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। टी रेणुका प्रसाद, क्षेत्रीय निदेशक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के आरंभ में राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशानुसार सभी प्रतिभागियों को राजभाषा प्रतिज्ञा दिलायी गयी। तदुपरांत, भारत के गृह मंत्री का हिंदी दिवस संदेश का वीडियो प्रसारित किया गया। तदुपरांत, दिनेश सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने वर्ष के दौरान संपन्न राजभाषा संबंधी गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अगले चरण में टी आर नरसिंग राव, उप निदेशक ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए सभी से अपील की कि दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक काम कर राजभाषा नीति के सफल कार्यान्वयन में सहयोग दें। तदुपरांत, कार्यक्रम के अध्यक्ष टी रेणुका प्रसाद,क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन किसी एक-दो विभागों तक सीमित न रखते हुए इसके प्रयोग का विस्तार करें।

केंद्रीय भण्डारण निगम
हिंदी पक्षोत्सव

केंद्रीय भण्डारण निगम में दि. 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। अजय जादौ, क्षेत्रीय प्रबंधक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इन्होंने व्यावसायिक दुनिया में हिंदी के महत्व को रेखांकित करते हुए इसके वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डाला। आगे, उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी टिप्पणियों से अपना काम आरंभ कर दैनिक कार्यालयीन कामकाज का हिस्सा बना कर अच्छे परिणाम हासिल किये जा सकते हैं। इस अवसर पर नीलाभ तिवारी, सहायक निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।

हडको

हिंदी पक्षोत्सव

हडको के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में दि. 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 1 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का उद्घाटन करते हुए एल वी सुधाकर बाबू, क्षेत्रीय प्रमुख ने राजभाषा हिंदी के महत्व और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। दि. 17 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। एल वी सुधाकर बाबू, क्षेत्रीय प्रमुख ने समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने हिंदी पक्षोत्सव के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए राजभाषा संबंधी गतिविधियों में आगे भी इसी उत्साह के साथ भाग लेने का आग्रह किया। साथ ही, दैनिक कामकाज में हिंदी का प्रयोग कर राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में सहयोग देने की अपील भी की। तदुपरांत, पक्षोत्सव के दौरान संपन्न विभिन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उत्तम कुमार दास, प्रबंधक (वित्त) एवं नोडल हिंदी अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

भारतीय खाद्य निगम

हिंदी पक्षोत्सव

भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय में दि. 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस और पक्षोत्सव का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दीपक शर्मा, महाप्रबंधक (क्षेत्र) ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस की तरह हिंदी दिवस भी एक राष्ट्रीय पर्व है और इस पर हमें गर्व करना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित अन्य उच्चाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। तदुपरांत, पक्षोत्सव के दौरान संपन्न गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए पी गुरुज्योति, सहायक महाप्रबंधक (हिंदी) ने बताया कि पक्षोत्सव के दौरान हिंदी पत्राचार में 2% की वृद्धि दर्ज हुई। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नक़द पुरस्कार प्रदान किये गये।

ई सी जी सी – हैदराबाद शाखा

हिंदी माह

ई सी जी सी – हैदराबाद शाखा में दि. 1 से 30 सितंबर तक हिंदी माह मनाया गया। हिंदी माह के दौरान शाखा के सभी कार्य हिंदी में किये गये। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी-कर्मचारियों ने राजभाषा प्रतिज्ञा ली। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी माह के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दि. 29 सितंबर को इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। दि. 30 सितंबर को हिंदी माह का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। असित कुमार प्रुष्टि, सहायक प्रबंधक एवं नोडल हिंदी अधिकारी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

गेल (इंडिया) लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

गेल (इंडिया) लिमिटेड के हैदराबाद आँचलिक कार्यालय में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव का उद्घाटन करते हुए शरद कुमार त्रिपाठी, आँचलिक महाप्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए राजभाषा प्रतिज्ञा दिलायी। तदुपरांत, हिंदी दिवस के अवसर पर भारत के गृह मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री सहित गेल (इंडिया) लिमिटेड के सी एम डी के हिंदी दिवस संदेश का वाचन किया गया। पक्षोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

विश्व हिंदी दिवस

गेल (इंडिया) लिमिटेड में दि. 10 जनवरी, 2022 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉ. रामधारी सिंह 'दिनकर' पर केंद्रित वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। साथ ही, अधिकारी-कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम की दो हिंदी पुस्तकें – 'अग्नि की उड़ान' और 'मेरी यात्रा' वितरित की गयीं। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर श्रुतलेख प्रतियोगिता का आयोजन कर विजेताओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम समन्वय एवं संचालन सुलोचना रंजन, अधिकारी (मा.सं.) एवं नोडल हिंदी अधिकारी ने किया।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्य कार्यालय तथा सिकंदराबाद एरिया कार्यालय में संयुक्त रूप से दि. 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। पक्षोत्सव के दौरान उद्यम के अधिकारी-कर्मचारियों में हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को राजभाषा प्रतिज्ञा दिलायी गयी। तदुपरांत, हिंदी दिवस के अवसर पर जारी गृह मंत्री के संदेश का वाचन किया गया। दि. 23 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव समापन एवं पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। बी अनिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक (खुदरा बिक्री) ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिंदी एक सरल भाषा है। इसे आसानी से सीखा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यालयीन भाषा को बोझिल न बनाते हुए सरल और सहज हिंदी के प्रयोग पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तदुपरांत मंचासीन एस के उपाध्याय, महाप्रबंधक (मा.सं.) ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी हमारे देश की सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। यह अधिकांश लोगों द्वारा बोली, समझी और लिखी जाने वाली भाषा है। हर कर्मचारी अपने-अपने स्तर पर दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करे तो भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हिंदी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार भी हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तदुपरांत, पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र साह, हिंदी अधिकारी ने किया।

एम एम टी सी लिमिटेड
हिंदी पक्षोत्सव

एम एम टी सी कार्यालय में दि. 7 से 21 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। पक्षोत्सव के दौरान बैनर प्रदर्शन के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एन कृष्णमूर्ति, अपर महाप्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजकाज के लिए संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अत: अपने दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए इसके प्रचार-प्रसार में यथासंभव सहयोग देना प्रत्येक कर्मचारी का संवैधानिक दायित्व है। अत: उन्होंने सभी उपस्थितों से अपने दैनिक कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग कर राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में योगदान देने की अपील की। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। कार्यक्रम का संचालन इंद्रनील रॉय चौधरी, नोडल हिंदी अधिकारी ने किया।

एम एस टी सी लिमिटेड
हिंदी दिवस

एम एस टी सी कार्यालय में राजभाषा त्रिमास का आयोजन किया गया। मुख्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार त्रिमास के दौरान विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिनमें राजभाषा नोटशीट लेखन प्रतियोगिता उल्लेखनीय रही। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। रेणु पुरुषोत्तम, सहायक महाप्रबंधक एवं कार्यालय प्रधान ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सभी हिंदी भाषियों को हिंदी में अधिकाधिक काम कर अन्य भाषियों को प्रोत्साहित करना है। वैसे हिंदी एक सरल भाषा है। इसे आसानी से सीखा जा सकता है। कार्यालयीन कामकाज में सरल हिंदी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तदुपरांत, धनंजय कुमार, सहायक प्रबंधक एवं नोडल हिंदी अधिकारी ने वर्ष के दौरान राजभाषा संबंधी गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम के अगले चरण में प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

आई टी आई लिमिटेड
हिंदी पक्षोत्सव

आई टी आई लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय में दि. 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। पक्षोत्सव का समापन दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हुआ। इस अवसर पर कार्यालय के सभी अधिकारी-कर्मचारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जोतिवेल सेल्लया, उप महाप्रबंधक एवं कार्यालय प्रधान ने की। उन्होंने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि संविधान में अंगीकृत हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। अत: कार्यालयीन कामकाज हिंदी में करना हमारा संवैधानिक दायित्व बनता है और इसका हमें निष्ठा से पालन करना चाहिए। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

हिंदी सप्ताह

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में दि. 14 से 20 सितंबर तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जानकीराम, उप महाप्रबंधक ने सभी से हिंदी पक्षोत्सव के दौरान आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में उत्साह से भाग लेने की अपील की। दि. 23 सितंबर को हिंदी सप्ताह का समापन समारोह संपन्न हुआ। के भारती, क्षेत्रीय प्रबंधक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सभी कर्मचारियों से दैनिक कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग करने पर बल दिया। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को आयोजित हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मैथ्यू जॉर्ज, उप महाप्रबंधक ने कहा कि आज के डिजिटल युग और वैश्वीकरण की स्थिति में हिंदी संप्रेषण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। व्यवसाय के विकास के साथ-साथ राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में भी सहयोग देना प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी का दायित्व है। दि. 28 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में दि. 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 1 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का उद्घाटन करते हुए सुबीर तालुकदार, उप महाप्रबंधक ने कहा कि भारत भाषायी विविधताओं का देश है। ऐसे में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी देशवासियों को एकसूत्र में पिरोती है। यही कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। दि. 15 सितंबर को पक्षोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

हिंदी सप्ताह

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में दि. 14 से 20 सितंबर तक हिंदी सप्ताह मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर बी के सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक भैरव नाथ, क्षेत्रीय प्रबंधक ने राजभाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजभाषा संबंधी वार्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास करने की अपील की। दि. 20 सितंबर को हिंदी सप्ताह के समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव का उद्घाटन करते हुए विजय ओगले, आँचलिक प्रबंधक ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ दीं। दि. 28 सितंबर को आयोजित हिंदी पक्षोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए विजय ओगले, आँचलिक प्रबंधक ने कहा कि कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का प्रयोग कर अपना संवैधानिक दायित्व निभाना केंद्र सरकार के प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य है। तदुपरांत, पक्षोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

राष्ट्रीय केमिकल्स अण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड

हिंदी दिवस

राष्ट्रीय केमिकल्स अण्ड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड में दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के आरंभ में राजभाषा प्रतिज्ञा दिलायी गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एन के कामत, उप महाप्रबंधक (दक्षिण) ने कहा कि हिंदी दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। हमारा कामकाज मुख्यत: मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हिंदी को हमारे मुख्य कामकाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। अत: राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार न केवल हमारा संवैधानिक दायित्व है बल्कि आज के वैश्वीकरण के युग में ज़रूरत भी है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

हिंदी दिवस

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने दि. 14 सितंबर को मुख्यालय में आयोजित हिंदी दिवस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज की। आगे, हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में दि. 03 दिसंबर को विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉ. जे के एन नाथन, कनिष्ठ सहायक, राजभाषा विभाग ने राजभाषा विभाग द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार के ई-टूल्स और इनके प्रयोग संबंधी जानकारी दी। तदुपरांत, लल्लन कुमार, महाप्रबंधक (राजभाषा) एवं प्रशासन प्रभारी ने 'भारत सरकार की राजभाषा नीति और ई-ऑफिस में हिंदी का प्रयोग' विषय पर व्याख्यान देते हुए ई-टूल्स का अभ्यास भी कराया।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

हिंदी दिवस

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारियों को राजभाषा प्रतिज्ञा दिलायी गयी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आर एल गौतम, शाखा प्रबंधक ने सभी से अपने-अपने स्तर पर कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने की अपील की। दि. 28 सितंबर को आयोजित हिंदी पक्षोत्सव समापन समारोह में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये।

पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में दि. 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव का आयोजन किया गया। दि. 1 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का उद्घाटन अनूप कुमार, कार्यपालक निदेशक ने किया। हिंदी पक्षोत्सव के दौरान दि. 9 सितंबर को होमनिधि शर्मा, उप महाप्रबंधक (मा.सं.-रा.भा.) एवं सदस्य सचिव, नराकास (उ) का "भाषा, समाज और राष्ट्रीय चेतना" विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। दि. 15 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अनूप कुमार, कार्यकारी निदेशक ने हिंदी पक्षोत्सव के आयोजन के लिए बधाई देते हुए सभी को इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा। इस अवसर पर विशेष वक्ता के रूप में आमंत्रित अनिल दुबे, राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने "आहार, विहार एवं आचार-विचार" विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

एन टी पी सी लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

एन टी पी सी लिमिटेड में दि. 7 से 21 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। पक्षोत्सव के दौरान कार्यालय के अधिकारी तथा कर्मचारियों सहित इनके परिजनों के लिए भी विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया और दि. 21 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का समापन समारोह। समारोह की अध्यक्षता सी वी आनंद, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (दक्षिण) ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि राजभाषा के नाते हिन्दी का प्रचार-प्रसार करना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना केवल हिंदी अधिकारी नहीं बल्कि प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व है। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये। कार्यक्रम का संचालन बदरुद्दीन अंसारी, उप महाप्रबंधक (मा.सं.) एवं नोडल हिंदी अधिकारी ने किया।

H उपयोगी जानकारी H

कार्यालय ज्ञापन (सं. 13034/2/2018/रा.भा./नीति)

विषय : अनुवाद कार्य के लिए देय पारिश्रमिक / मानदेय में वृद्धि के संबंध में।

राजभाषा विभाग के दिनांक 15.05.2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का अवलोकन करें। इसके तहत अनुवाद कार्य के लिए रु. 300 (रुपए तीन सौ) प्रति पृष्ठ की अधिकतम दर से अनुवाद की दरें निर्धारित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमति प्रदान की गई है।

2. अनुवाद की दरों में वृद्धि के संबंध में इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के उपरांत अनेक मंत्रालय / विभागों से पत्र के माध्यम से इस विभाग को अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि एक मानक पृष्ठ में शब्दों की संख्या स्पष्ट की जाए, ताकि भ्रम की स्थिति से बचा जा सके।

3. उक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया जाता है कि एक मानक पृष्ठ में 300 शब्द गिने जाएं। रु. 300/- प्रति पृष्ठ में अनुवाद, टंकण और पुनरीक्षण कार्य शामिल है।

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक (नीति)

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन-आईपीएमटी

हिंदी पक्षोत्सव

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन – आई पी एम टी में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भारत के गृह मंत्री के हिंदी दिवस संदेश का वाचन किया गया और 'कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग' विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। दि. 28 सितंबर को पक्षोत्सव का समापन हुआ। संतोष कुमार साहू, निदेशक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिंदी पक्षोत्सव के आयोजन से हिंदी के प्रचार-प्रसार में सहायता मिलती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारतवासियों को एकसूत्र में पिरोती है। यह राजभाषा के साथ-साथ एक सशक्त संपर्क भाषा भी है। देश-विदेश के अन्य उद्यमियों के साथ सहभागिता से अपने व्यवसाय की वृद्धि में हिंदी की भूमिका विशेष उल्लेखनीय है। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया गया।

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन

हिंदी पक्षोत्सव

रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन में दि. 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव का उद्घाटन किया गया। दि. 28 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए एन वेंकटेशन, वरिष्ठ मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है। अत: राजभाषा हिंदी में काम कर इसके प्रचार-प्रसार में योगदान देना हमारा संवैधानिक दायित्व है। साथ ही, हिंदी लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। इसे सीखना और इसमें काम करना आसान है। साथ ही, दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का उपयोग करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा कई ई-टूल्स उपलब्ध कराये गये हैं। इन सबका लाभ उठाते हुए राजभाषा कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये वार्षिक लक्ष्य आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

बी एच ई एल – रामचंद्रपुरम

हिंदी पक्षोत्सव

बी एच ई एल – रामचंद्रपुरम में दि. 14 से 27 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। पक्षोत्सव के दौरान 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' विषय केंद्रित विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गयीं। दि. 27 सितंबर को आयोजित हिंदी पक्षोत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए पी जे रेड्डी, कार्यपालक निदेशक ने कहा कि हिंदी हमारे देश का गौरव है और इसका अधिकाधिक प्रयोग कर हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। वस्तुत: यह हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। कार्यक्रम के दौरान उद्यम की गृह-पत्रिका 'भेल यशस्वी' के नवीनतम अंक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित महाप्रबंधकगण वा वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

राइट्स लिमिटेड

हिंदी दिवस

राइट्स लिमिटेड में दि. 14 से 29 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव का उद्घाटन एम रणधीर रेड्डी, महाप्रबंधक के मार्गदर्शन में हुआ। एस कविता रानी उप महाप्रबंधक एवं संपर्क राजभाषा अधिकारी ने पक्षोत्सव के दौरान आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में सभी को उत्साह के साथ भाग लेने के लिए कहा। दि. 29 सितंबर को हिंदी पक्षोत्सव का समापन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर एम रणधीर रेड्डी, महाप्रबंधक एवं कार्यालय प्रधान, डी एल सुधा, महाप्रबंधक (सिविल) ने अपने विचार रखे। तदुपरांत, पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गये।

राजभाषायी निरीक्षण

दि. 28 सितंबर को संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा राइट्स लिमिटेड का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण बैठक के दौरान प्रश्नावली पर मदवार चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा अधिकाधिक काम हिन्दी में किया जाना, ई-मेल में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाना जैसे कुछ सुझाव भी दिये। इस अवसर पर एक पुस्तक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्यालय के प्रतिनिधि सहित हैदराबाद कार्यालय के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में दि. 10 से 24 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। हिंदी पक्षोत्सव समारोह के अंतर्गत दि. 24 सितंबर को हिंदी के ख्याति प्राप्त लेखक रामधारी सिंह 'दिनकर' की जयंती अवसर पर एक विशेष व्याख्यान ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। दि. 24 सितंबर को आयोजित हिंदी पक्षोत्सव समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए चंद्र किशोर प्रसाद, कार्यकारी निदेशक ने इंट्रानेट प्लेटफार्म पर हिंदी के बढ़ते प्रयोग पर संतोष व्यक्त किया और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

वाप्कोस लिमिटेड

हिंदी पक्षोत्सव

वाप्कोस लिमिटेड में दि. 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर आर वी रमण, मुख्य अभियंता एवं प्रमुख ने सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यथासंभव दैनिक काम हिंदी में करना चाहिए और आवश्यकतानुसार राजभाषा विभाग के ई-टूल्स की मदद से इसमें बढ़ोत्तरी लानी चाहिए। दि. 15 सितंबर को आयोजित समापन समारोह में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

भारत सरकार टकसाल

हिंदी पक्षोत्सव

भारत सरकार टकसाल में दि.14 से 28 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया। दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं पक्षोत्सव उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. ज्योति प्रकाश दाश, मुख्य महाप्रबंधक ने की। उन्होंने सभी को राजभाषा प्रतिज्ञा दिलायी और पक्षोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में उत्साह से भाग लेते हुए दैनिक कामकाज में अधिकाधिक हिंदी के प्रयोग का आग्रह किया। दि. 11 अक्तूबर को आयोजित समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक ने की और प्रतियोगिताओं के विजेताओं बधाई देते हुए कहा कि हिंदी दिवस हमारी अस्मिता का पर्व है और हमें अपनी सभी भारतीय भाषाओं पर गर्व करना चाहिए।

प्रतिभूति मुद्रणालय

हिंदी सप्ताह

प्रतिभूति मुद्रणालय में दि. 1 से 14 सितंबर तक हिंदी पक्षोत्सव मनाया गया और दि. 14 सितंबर को हिंदी दिवस आयोजित किया गया। श्रीकर प्रधान, मुख्य महाप्रबंधक ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के आरंभ में गृह मंत्री और एस पी एम सी आई एल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के हिंदी दिवस संदेश का वाचन किया गया। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि प्रतिभूति मुद्रणालय में राजभाषा कार्यान्वय की स्थिति संतोषजनक है, लेकिन बदल रही परिस्थितियों के अनुरूप टेक्नोलॉजी के साथ हिंदी के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ई-ऑफिस जैसी सुविधाओं से हिंदी के प्रयोग को और बढ़ावा मिल सकता है। तदुपरांत, मंचासीन अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अगले चरण में पक्षोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये गए।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्ति की ओर अग्रसर

TOWARDS REALIZATION OF 'ATMANIRBHARTA' IN DEFENCE

'अस्त्र' मिसाइल प्रणाली
Astra Weapon System

सी एम डी एस
C M D S

आकाश अस्त्र प्रणाली
Akash Weapon System

मिलान–2टी
Milan-2T

हल्के भार वाला टॉरपिडो
Light Weight Torpedo

कांकूर्स–एम
Konkurs-M

वरुणास्त्र
Varunastra

- मिनीरत्न श्रेणी–1 का सार्वजनिक रक्षा उपक्रम
- एन एस ई और बी एस ई मे सूचीबद्ध
- जुलाई, 1970 में स्थापित
- परिचालन के प्रमुख क्षेत्र :
  - संचलित प्रक्षेपास्त्र और संबद्ध उपकरण
  - अंतर्जल–अस्त्र
  - वायुवाहक उत्पाद
  - भू–आधारित उपकरण
  - उत्पाद के चलने तक हमक्दम

- A Miniratna Category - I Defence PSU
- Listed in NSE and BSE
- Incorporated in July, 1970
- Core areas of operation:
  - Guided Missiles and allied equipment.
  - Underwater Weapons.
  - Airborne Products.
  - Ground Support Equipment.
  - Product Life Cycle Support.

भारत डायनामिक्स लिमिटेड
BHARAT DYNAMICS LIMITED

शांति का आधार अस्त्र–बल
THE FORCE BEHIND PEACE

(भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Enterprise, रक्षा मंत्रालय Ministry of Defence)

निगम कार्यालय : प्लॉट नं 38-39, टी एस एफ सी बिल्डिंग, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, गच्चीबाउली, हैदराबाद - 500032. तेलंगाना, भारत

ई–मेल: bdbdl@bdl-india.in वेबसाइट : www.bdl-india.in

Corporate Office : Plot No. 38-39, TSFC Building, Financial District, Gachibowli, Hyderabad - 500032. Telangana State, India

E-mail: bdbdl@bdl-india.in Website: www.bdl-india.in

बौद्धिक संपदा अधिकार और रक्षा क्षेत्र में इसका महत्व

आशीष त्रिपाठी
प्रबंधक (डी अण्ड ई), बी डी एल

बौद्धिक संपदा अधिकार (आई पी आर) :

बौद्धिक संपदा अधिकार एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये सृजन, निर्माण, आविष्कार, नवाचार आदि के लिए दिया जाता है। इसका मूल उद्देश्य बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना और आविष्कारकर्ता को नये नवाचार या सृजन के लिए प्रेरित करना है। सृजनकर्ताओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्ति से वाणिज्यिक लाभ भी सुलभ होता है। इसके अंतर्गत लाइसेंसिंग, रॉयल्टी, ड्यूटी आदि के माध्यम से लाभ कमाया जा सकता है। यह अधिकार हमारे सृजन या नवाचार को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गैर-कानूनी / अनैतिक प्रयोग से संरक्षण भी प्रदान करता है। बौद्धिक संपदा का यह अधिकार एक निश्चित समयावधि के लिए होता है और एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होता है।

सदियों से लोगों ने अभूतपूर्व अथवा अद्वितीय रचनाओं को सुरक्षित रखने की कोशिशें की हैं। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहाँ ने जब ताजमहल का निर्माण करवाया, तो इसमें शामिल मिस्त्रियों और कारीगरों के हाथ कटवा दिये ताकि दूसरा ताजमहल न बनाया जा सके। नकारात्मक ही सही, किन्तु तत्कालीन दृष्टि से यह भी एक आई पी आर संरक्षण का उदाहरण हो सकता है। वर्तमान में हमारे पास सुचारू रूप से काम करने वाली न्यायपालिका है अत: ऐसा नकारात्मक कृत्य न करते हुए बौद्धिक संपदा अधिकारों से सृजन का संरक्षण किया जा सकता है।

भारत में बौद्धिक संपदा प्रणाली :

सन् 1485 में ऐतिहासिक रूप से विनीशियन अध्यादेश के रूप में बौद्धिक संपदा की पहली सुरक्षा प्रणाली अस्तित्व में आयी। सन् 1623 में इंग्लैंड में इसके बाद स्टैच्यू ऑफ मोनोपोली का निर्माण हुआ जिसने प्रौद्योगिकी आविष्कारों के लिए पेटेंट के अधिकारों का विस्तार किया। सन् 1760 में तत्पश्चात, संयुक्त राज्य अमेरिका में पेटेंट कानून पेश किये गए और सन् 1880 तथा सन् 1889 के बीच अधिकांश यूरोपीय देशों के पेटेंट कानून विकसित किए गए।

भारत में पेटेंट अधिनियम वर्ष 1856 में पेश किया गया था जो 50 से अधिक वर्षों तक लागू रहा जिसे बाद में संशोधित किया गया और इसे "भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम, 1911" कहा गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1970 में पेटेंट अधिकारों पर एक पूर्ण विधेयक अधिनियमित किया गया और इसे "पेटेंट अधिनियम, 1970" कहा गया।

भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत विनियमित किया गया जबकि ट्रेडमार्क (व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न) अधिनियम 1958 के तहत और डिज़ाइन अधिनियम, 1911 के तहत तैयार किया गया।

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना और भारत की बौद्धिक संपदा अधिकारों (ट्रिप्स) के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौते के हस्ताक्षरकर्ता के नाते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दायित्वों को पूरा करने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर कई नए कानून भी पारित किए गए।

बौद्धिक संपदा अधिकार - प्रकार :

भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार के मुख्यत: पाँच प्रकार हैं। इनमें पेटेंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिज़ाइन, ट्रेडमार्क और भौगोलिक संकेतक शामिल हैं।

पेटेंट : पेटेंट एक विशेष अधिकार है जो तकनीकी आविष्कार / नवाचार के लिए दिया जाता है। आविष्कार की प्रथम एवं पूर्ण घोषणा करने की एवज में पेटेंट एक निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। ऐसे पेटेंट की अधिकतम अवधि 20 वर्षों के लिए हो सकती है।

भारतीय पेटेंट ऐक्ट के मानदण्ड :

पेटेंट के लिए यह जरूरी है कि इसे नवीन (Novelty) तथा असाध्य (Non-obvious) होना चाहिए। साथ ही, इसकी औद्योगिक उपयोगिता (Industrial Application) भी होनी चाहिए। इन बातों के अतिरिक्त जिस विषय या वस्तु का पेटेंट लिया जा रहा हो वह भारतीय पेटेंट ऐक्ट की धारा 3 और 4 के अंतर्गत भी नहीं आना चाहिए।

भारतीय पेटेंट ऐक्ट की धारा 3 और 4 के तहत :

ऐसे आविष्कार आते हैं जो आक्रामक, अनैतिक या असामाजिक छवि को उकसाते हैं और

जिन आविष्कारों से समाज को खतरा हो सकता है। ऐसे कार्यों के लिए पेटेंट नहीं दिया जा सकता।

उदाहरण के लिए रेडियोधर्मिता संबंधी आविष्कार, मुद्रा छापने वाली मशीन पर किये गये आविष्कार इत्यादि पेटेंट योग्य नहीं हो सकते और भारत में पारंपरिक ज्ञान जो पहले से ही मौजूद है उस पर भी पेटेंट नहीं दिया जा सकता।

पारंपरिक ज्ञान के अंतर्गत हल्दी और नीम संबंधी पेटेंट की घटना प्रचलित बन चुकी है। भारत की पारंपरिक ज्ञान संपदा बहुत बृहद और समृद्ध रही लेकिन आई पी आर संबंधी जानकारी के अभाव के कारण पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, विदेशों में यह ज्ञान पेटेंट करवा लिया गया। हल्दी और नीम के पेटेंट भी इसी प्रकार विदेशों में ले लिये गये। हल्दी पर पेटेंट 1995 में भारतीय मूल के दो शोधकर्ताओं को अमेरीका में प्रदान किया गया था। यह पेटेंट हल्दी के घावों और अल्सर को ठीक करने के गुणों के आधार पर दिया गया। लेकिन ऐसा पाया गया कि हल्दी का उपयोग भारत में बहुत पहले से पारंपरिक रूप से होता आ रहा है जिसके चलते इस पेटेंट को रद्द करना पड़ा।

इसी तरह यूरोपियन यूनियन ने नीम के फफूँद के कीटनाशक के रूप में पेटेंट दिया था। लेकिन भारत सरकार द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज करायी गयी और ऐसा पाया गया कि भारत में किसान पारंपरिक खेती में नीम का उपयोग करते आए हैं। इस कारण इस पेटेंट को भी रद्द करना पड़ा।

रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में आने वाली कुछ साधारण वस्तुओं पर भी पेटेंट लिया गया है जैसे - सेफ्टी पिन और इलेक्ट्रिक बल्ब इत्यादि।

कॉपीराइट : कॉपीराइट संगीत, साहित्यिक कृति, चित्रकला, कहानी, नाट्य अभिव्यक्ति, कंप्यूटर प्रोग्राम, विज्ञापन, मानचित्र, तकनीकी चित्रांकन आदि पर दिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में एस आर एम के विद्यार्थियों द्वारा उनकी इको फ्रेंड्ली फेस शील्ड पर कॉपीराइट प्राप्त हुआ है।

जहाँ कॉपीराइट है वहीं इसका उल्लंघन भी है। इलयाराजा द्वारा एस पी बालसुब्रह्मण्यम पर एक कॉपीराइट विवाद का केस डाला गया था जिसके अंतर्गत उन्होंने यह आरोप लगाया कि बालसुब्रह्मण्यम द्वारा उनके कंसर्ट में इलयराजा का संगीत प्रयोग में लाया गया लेकिन बदले में कोई रॉयल्टी नहीं दी गयी। इसके चलते इलयाराजा ने एस पी बालसुब्रह्मण्यम पर केस डाला जो कि कॉपीराइट उल्लंघन का एक उदाहरण बना।

औद्योगिक डिज़ाइन : औद्योगिक डिज़ाइन से अभिप्राय है – आकार, अनुक्रम, विन्यास, प्रारूप या अलंकरण जिसका किसी वस्तु पर प्रयोग किया जा सकता है। मोटे तौर पर यह बाहरी रूप या बनावट के लिए दिया जाता है, किसी तकनीकी पहलू के लिए नहीं। उदाहरण के लिए होंडा द्वारा भारत में उनकी एक स्कूटर पर औद्योगिक डिज़ाइन लिया गया है।

होंडा की पी सी एक्स स्कूटर

ट्रेडमार्क : ट्रेडमार्क (व्यावसायिक चिह्न) ऐसा 'लोगो' होता है जिसका उपयोग उत्पादों पर उस क्षेत्र के प्रतिस्पर्द्धियों से अलग पहचान बनाने के लिए किया जाता है। इसकी अवधि दस वर्षों की होती है और इसे हमेशा के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर – टाटा, डाबर, पतंजलि, मारुती सुज़ुकी और कोका-कोला आदि के ट्रेडमार्क।

भौगोलिक संकेतक : भौगोलिक संकेतक उन वस्तुओं को दिया जाता है जिनमें अनूठी विशेषता / विशेष गुण या प्रतिष्ठा उनके भौगोलिक स्थिति के कारण होती है। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग की चाय, अमृतसरी चावल, नागपुरी संतरे, बनारसी और काँचीपुरम सिल्क। हाल ही में तिरुपति के लड्डू को भी भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार का महत्व :

समय के साथ बौद्धिक संपदा का महत्व भी विश्व स्तर पर बढ़ा। जैसे-जैसे वैश्वीकरण बढ़ा, इसके महत्व को समझा गया और बौद्धिक संपदा का स्वरूप व्यापक होता गया।

वर्ष 2020 तक आते-आते बौद्धिक या अमूर्त संपदा संबंधी विषय-सूची 90% बढ़ गयी जो कि वर्ष 1975 में केवल 17% थी।

बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी भारत सरकार की योजनाएँ :

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बल मिल रहा है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए संगठनों में बौद्धिक संपदा को प्रोत्साहन देने 'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति' को नवंबर, 2018 में लाँच किया गया। इसके अंतर्गत आई पी आर पर जागरूकता और नवाचार के सृजन पर बल दिया जा रहा है।

रक्षा क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकार का महत्व :

भारत रक्षा संबंधी उपकरण और तकनीक का आयात करने वाले देशों की सूची में पहले 5 स्थानों में शामिल रहा है। भारत अपने सालाना बजट का लगभग 14% खर्च रक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए करता है। रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला विश्व का यह तीसरा देश है। विदेश से आयात किये गये रक्षा उपकरण एवं तकनीक पर किये गये खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा आई पी आर शुल्क के लिए भी चुकाना पड़ता है।

आई पी आर न केवल आत्मनिर्भरता की दृष्टि से पथ प्रदर्शित करता है बल्कि स्वदेशीकरण के माध्यम से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका भी निभाता है। गौरतलब है कि ऐसे देश जिन्होंने अपनी ज्ञान संपदा को संरक्षित किया, आज दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के लाँच के बाद रक्षा उद्यमों में आई पी आर संबंधी गतिविधियों में तेजी आयी और नवाचारों के सृजन पर भी बल दिया जा रहा है।

IPR FILING DATA FROM THE DAY OF INCEPTION TILL APRIL 2021

CPSU / DRDO	Patent	Trademark	Copyright	IC Layout Design	Industrial Design	In-House IP	Total
BDL	13	1	32	0	24	25	95
BEML	151	17	22	0	22	0	212
GRSE	32	5	33	0	0	4	74
MAZDOCK	21	60	46	0	0	20	146
OFB	146	72	74	0	69	25	409
GSL	5	2	28	0	17	0	52
PSU	1	1	5	0	13	25	45
MDL	53	8	3	0	0	101	162
BEL	459	2	259	6	7	0	733
HAL	1361	2	421	0	141	4	1929

स्रोत : ई- मैगज़ीन "संवाद " का तीसरा संस्करण, जून 2021, IPF CELL, नई दिल्ली

भारतीय रक्षा संगठनों द्वारा किये गये कुछ चर्चित नवाचार :

भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की गयी Low-Cost Unique PPE Kit जो कि हाल ही के कोरोना काल का विषय है और बहुत प्रचलित हुई। यह किट बहुत कम समय में विकसित की गयी और कोरोना महामारी के समय चिकित्सा जगत के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। इससे पहले भारत इसे आयात करने के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था और इसकी एवज में भारी रक़म खर्च करनी पड़ती थी। इसका विकास रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से एक नवीनतम उदाहरण है।

लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली अग्नि-5 और 'आकाश' (ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल) एक पूर्णत: देशी मिसाइल है। ये डी आर डी ओ द्वारा विकसित और बी डी एल के सहयोग से निर्मित स्वदेशी घटकों से बनाई गई हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का यह भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

इसी प्रकार हल्का लड़ाकू विमान 'तेजस' भी इसी श्रेणी में आता है। अत्याधुनिक लड़ाकू तकनीक से लैस हल्का लड़ाकू विमान 'तेजस' देश में ही विकसित किया गया है और इसकी कुछ प्रणालियों पर पेटेंट भी लिये गये हैं। जैसे - एयरब्रेक एक्चुएटर और हेड ऑफ डिस्प्ले। दिए गए चित्र में जहाँ-जहाँ पर भारतीय ध्वज दर्शाया गया है वे भाग भारत में ही स्वदेशी तौर पर विकसित किये गये हैं। इससे स्वदेशीकरण को तो बढ़ावा मिल ही रहा है साथ ही बहुत-सारी विदेशी मुद्रा की भी बचत हो रही है।

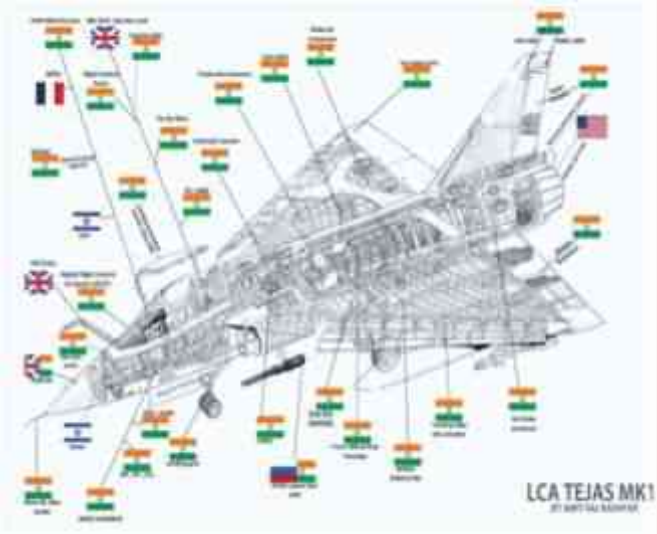

बी डी एल में आई पी आर गतिविधियाँ

ज्ञात हो, अपनी स्थापना के बाद से बी डी एल भारतीय सशस्त्र बलों को विभिन्न मिसाइल और संबद्ध उपकरणों के निर्माण व आपूर्ति के लिए डी आर डी ओ और विदेशी मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के सहयोग से काम करता आ रहा है। साथ ही, बी डी एल में एक स्थापित इन-हाउस डिज़ाइन और इंजीनियरिंग डिवीजन भी है। पिछले 5 दशकों में प्राप्त अनुभव और विकसित ढाँचे के साथ बी डी एल अत्याधुनिक हथियार प्रणाली के डिज़ाइन और विकास में सक्षम है।

नवाचार हमेशा किसी भी कंपनी की सफलता और विकास की कुंजी रही है और बी डी एल ने हमेशा नवाचार को अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के एक भाग के रूप में माना है।

मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के लाँच के बाद रक्षा उद्यमों में आई पी आर संबंधी गतिविधियों में तेजी आयी है और नवाचारों के सृजन पर भी बल दिया जा रहा है।

मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के अंतर्गत संगठन के कर्मचारी और सहयोगी विक्रेताओं में आई पी आर संबंधी नवाचार और सृजन पर कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता लायी जा रही है। बी डी एल में अब तक लगभग 2700 कर्मचारियों को आई पी आर संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया है और 93 नवाचारों के लिए ग्रांट का आवेदन किया गया जिनमें से 69 पर बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जिनमें शामिल हैं सी एम डी एस प्रणाली, मिसाइल सिम्युलेटर एवं मिसाइल प्रमोचन संबंधी प्रणालियों पर लिए गए बौद्धिक संपदा अधिकार। ये सभी बी डी एल के इन-हाउस डिज़ाइन और इंजीनियरिंग प्रयासों के परिणाम हैं।

निष्कर्ष :

बौद्धिक सम्पदा अधिकार मानव मस्तिष्क के वैचारिक मंथन की एक उपज है। दुनिया के देश सदियों से अपने-अपने अलग कानून बनाकर ऐसे अमूल्य ज्ञान को सुरक्षित करते आए हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त सुनिश्चित करने के लिए संगठन आईपीआर प्राप्त करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसे एक रणनीतिक व्यापार माध्यम के रूप में भी देख रहे हैं।

भारत सरकार आई पी आर पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रभावी फ्रेमवर्क और नीतियों पर तेजी से काम कर रही है।

मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के लाँच के बाद रक्षा उद्यमों में आई पी आर संबंधी गतिविधियों में तेजी आयी है और नवाचारों के सृजन पर भी बल दिया जा रहा है।

संदर्भ सूची :

1. https://srmap.edu.in/news/face-shield-design copyright/#
2. https://blog.neiinvestments.com/stranded-intangible-assets-a-threat-to-corporate-value/
3. https://www.rushlane.com/new-honda-scooters-trademarked-in-india-patent-leaks-12425968.html
4. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1623776
5. https://www.iipta.com/geographical-indication-tirupati-laddu-valid
6. https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/madras-hc-admits-maestro-ilayarajas-plea-in
7. ई-मैगज़ीन "संवाद " का तीसरा संस्करण, जून 2021, IPF CELL, नई दिल्ली

कोयले से मेथनॉल - प्रौद्योगिकी संस्थापन और उत्पादन

अभिषेक कुमार पाण्डेय
उप प्रबंधक, बी एच ई एल – आर अण्ड डी

भारत में 'सब-बिटुमिनस' कोयले का विशाल भंडार है। इसमें राख अधिक और कार्बन कम होता है। भारत सरकार स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित कर रही है ताकि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ भारत के विशाल कोयले के भंडार का उपयोग किया जा सके। इन्हीं प्रौद्योगिकियों में से एक प्रौद्योगिकी गैसीकरण है। गैसीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी कार्बन युक्त पदार्थ जैसे कोयला, पेटकोक, बायोमास आदि को वायु/ऑक्सीजन और भाप या कार्बन-डाइऑक्साइड जैसे गैसीफाइंग एजेंट का उपयोग करके सिनगैस में परिवर्तित करती है। इसे संश्लिष्ट गैस भी कहा जाता है और यह एक ईंधन योग्य गैस है।

बिजली उत्पादन से लेकर रसोई गैस तक सिनगैस के अनुप्रयोग बहुत व्यापक हैं। इसके प्रमुख अनुप्रयोग इस प्रकार हैं :

1. आईजीसीसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से विद्युत उत्पादन
2. वाटर गैस शिफ्ट (डब्ल्यूजीएस) प्रतिक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन
3. फिशर-ट्रॉप्स (एफटी) प्रक्रिया के माध्यम से तरल ईंधन का उत्पादन
4. मेथनॉल, डीएमई जैसे रसायनों का उत्पादन
5. स्टील जैसे उद्योग में हीटिंग गैस और रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में
6. अमोनिया, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट जैसे उर्वरकों का उत्पादन

दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की गैसीकरण प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। लेकिन यह कम राख वाले कोयले के लिए ही उपयुक्त है। बी एच ई एल ने स्वदेशी तौर से फ्लुइडाइज़्ड बेड गैसीफिकेशन तकनीक विकसित की है जो अधिक राख वाले भारतीय कोयले के लिए उपयुक्त है। बी एच ई एल ने तिरूचि में 168 टी पी डी (टन प्रति दिन) कोयले के प्रसंस्करण की क्षमता वाले सयंत्र की स्थापना करके इस तकनीक को प्रदर्शित किया है। बी एच ई एल ने अधिक राख युक्त भारतीय कोयले, लिग्नाइट, पेटकोक और बायोमास जैसे विभिन्न फीड स्टॉक के लिए गैसीकरण के क्षेत्र में आगे के अध्ययन के लिए 1.2 टी पी डी फ्लूडाइज्ड़ बेड गैसीफिकेशन पायलट सयंत्र भी हैदराबाद में स्थापित किया है।

डॉ. वी. के. सारस्वत, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में मेथनॉल विशेषज्ञ समिति ने जून 2016 में 1.2 टी पी डी गैसीकरण पायलट सयंत्र का दौरा किया था। दौरे के बाद, विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया था कि सिनगैस को मेथनॉल में बदलने के लिए डाउनस्ट्रीम मॉड्यूल शामिल करने संबंधी एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। सितंबर 2017 में डीएसटी ने "हाई ऐश इंडियन कोल टू मेथनॉल (सीटीएम) टेक्नॉलॉजी" शीर्षक वाली परियोजना को अनुमोदन देकर वित्तीय सहायता प्रदान की। इस परियोजना का उद्देश्य गैसीकरण के माध्यम से कोयले से मेथनॉल की अवधारणा को सिद्ध करना था।

तदनुसार, बी एच ई एल ने हैदराबाद में 0.25 टी पी डी क्षमता वाले मेथनॉल पायलट सयंत्र को स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, स्थापित और आरंभ किया है।

कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में मूलतः निम्न घटक शामिल हैं:

i) कोयले का संश्लेषण (सिनगैस) गैस में कोयला गैसीकरण माध्यम से परिवर्तन

ii) सिनगैस शुद्धीकरण और अनुकूलन

iii) सिनगैस का मेथनॉल में परिवर्तन

iv) उत्पादित मेथनॉल का शुद्धीकरण

अधिक राख वाले कोयले को गैसीकरण माध्यम (जो O2, भाप और CO2 का मिश्रण होता है) से फ्लुइडाइज़्ड बेड गैसीफायर में

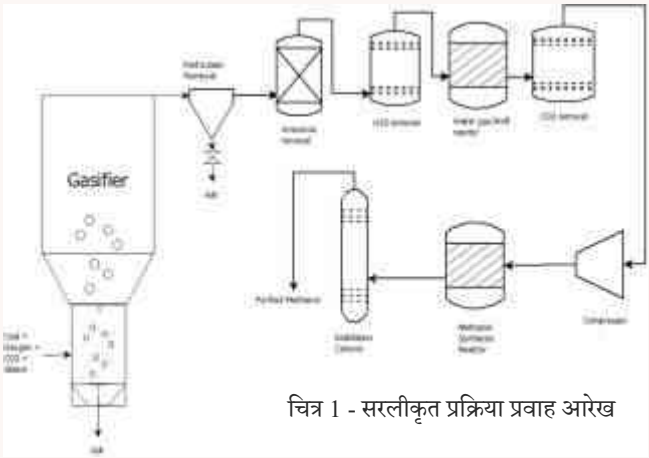

चित्र 1 - सरलीकृत प्रक्रिया प्रवाह आरेख

गैसीकृत किया जाता है जिससे सिनगैस बनती है। सिनगैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोजन (H2), मीथेन (CH4), कार्बन-डाइऑक्साइड (CO2) और नाइट्रोजन (N2) होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड (H2S), अमोनिया (NH3) और अल्कली मेटल्स जैसे तत्व अल्प मात्रा में मौजूद होते हैं। सिनगैस में से अमोनिया

को स्क्रब करके हटा दिया जाता है और उपयुक्त उत्प्रेरक को नियोजित करके CO2 को H2S में हाइड्रोलाइज़ किया जाता है। एमाइन का उपयोग सिनगैस से H2S को हटाने के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्टर में उपयुक्त उत्प्रेरक के ऊपर सिनगैस लाकर H2/CO का मोलर अनुपात बढ़ाया जाता है। CO2 कैप्चर सिस्टम में एमाइन को विलायक के रूप में नियोजित करके सिनगैस में CO2 को कम किया जाता है। अंत में सिनगैस को उच्च दबाव (~ 60 बार) में संपीड़ित किया जाता है और मेथनॉल उत्पन्न करने के लिए मेथनॉल रिएक्टर में भेजा जाता है। उत्पन्न क्रूड मेथनॉल को 99% से अधिक शुद्ध करने के लिए डिस्टिलेशन कॉलम का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है। एक सरलीकृत प्रक्रिया प्रवाह आरेख चित्र 1 में दिखाया गया है।

विभिन्न प्रक्रियागत स्थितियों में पायलट डेटा उत्पन्न करने के लिए पायलट सयंत्र जुलाई 2021 से काम कर रहा है। उत्पन्न डेटा का उपयोग वाणिज्यिक पैमाने पर प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। वर्तमान में आरंभिक सयंत्र उच्च राख (40% तक) भारतीय कोयले से 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथनॉल का उत्पादन कर रहा है। यह भारत में अपनी तरह का पहला सयंत्र है।

बी एच ई एल स्वदेशी कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करते हुए पायलट सयंत्र सुविधा में हाइड्रोजन से कोयला, डाइमिथाइल ईथर (डीएमई), कार्बन-डाइऑक्साइड से मेथनॉल, अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट को बनाया जा सकता है।

चित्र 2 - 0.25 टी पी डी कोयले से मेथनॉल पायलट प्लांट

रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट "रासायनिक और पेट्रोकेमिकल सांख्यिकी एक नज़र - 2020" के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत में मेथनॉल का कुल उत्पादन ~1.8 लाख मैट्रिक टन था। इसी वर्ष, भारत ने मुख्य रूप से खाड़ी देशों से ~ 2.7 लाख मैट्रिक टन मेथनॉल (शुद्ध) आयात किया। पेट्रोल के साथ मेथनॉल मिश्रण शुरू होने के बाद मेथनॉल की माँग और बढ़ जाएगी और नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि भारत को 2030 तक लगभग 300 लाख मेट्रिक टन मेथनॉल की आवश्यकता होगी। बी एच ई एल द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में आयात को कम करके भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।

सोचते रह गये हम

श्रीहरी नरसिम्हा मूर्ति
प्रबन्धक (गैस विपणन) गेल आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद

बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कुछ लिखेंगे हम,
पर इसी सोच में रह गये
कि क्या लिखें हम,
कि क्या लिखें हम !!
कभी ये सोचा कभी वो सोचा
कभी ये सोचा कभी वो सोचा
बहुत सोचा हरदम,
पर सोचते सोचते फिर इसी सोच में रह गये,
कि क्या लिखें हम !!
बहुत दिनों से कुछ नहीं लिखा
तो दिल ने कहाकि कुछ लिखो,
इस दिल कि चाह को पूरा करने कि सोच में
फिर सोचते रह गये हम !!
हमने लिखना शुरू किया
ये सोचकर कि इसे पूरा करेंगे खतम !

इसी दौरान हमें एहसास हुआ हुआ
कि हमारे विचार पड़ गये हैं कम !!
इसी कमी को दूर करने के लिए
फिर सोच में डूब गये हम,
फिर भी विचार नहीं आ पाये
इसी बात का हमें हैं गम!!
इसी गम को मिटाने की खातिर
आखिर हमने कर ही लिया कुदरत का बनाया हुआ
एक बाटल रम !!
रम के सेवन के तुरंत बाद
मानो जैसे हमारे सोच को मिल गया दम !
इसी दम के चलते, सोच में फिर उलझ गये हम
और उलझते उलझते, फिर इसी सोच में रह गये हम,
कि आखिर क्या लिखें हम,
क्या लिखें हम !!

'आत्मनिर्भर भारत' के लिए समर्पित मिधानि

डॉ. बी बालाजी
उप प्रबंधक (राजभाषा), मिधानि

प्रख्यात धातुकर्मी एवं रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला (डीएमआरएल) के संस्थापक-निदेशक डॉ. आर.वी. तम्हणकर ने जून, 1970 में वैमानिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉकेट, मिसाइल और अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण विशेष धातुओं और मिश्र धातुओं का निर्माण करने एक सयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। अपने प्रस्ताव में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि प्रस्तावित परियोजना को आर्थिक व्यवहार्यता पर नहीं आँका जाना चाहिए। यह परियोजना एक सामरिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता को पूरा करेगी। ऐसे ही विजन का सुखद परिणाम है - मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि)।

मिधानि 20 नवंबर, 1973 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया। आरंभ (1979) में यहाँ पाउडर धातुकर्म उत्पादों का उत्पादन होने लगा तत्पश्चात क्रमशः वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। एकीकृत वाणिज्यिक उत्पादन 14 जुलाई, 1983 से आरंभ हुआ और तब से अब तक मिधानि ने मुड़कर नहीं देखा। मिधानि की निर्माण सुविधाओं में शामिल परिष्कृत उपकरण हैं - वैक्यूम इंडक्शन, वैक्यूम आर्क, इलेक्ट्रो-स्लैग और इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग फर्नेस, कंप्यूटर-नियंत्रित फोर्ज प्रेस, रिंग रोलिंग मिल, हॉट रोलिंग मिल, सटीक कोल्ड स्ट्रिप, शीट और फ़ॉइल रोलिंग मिल, टाइटेनियम ट्यूब मिल, बार और वायर ड्रॉइंग उपकरण, चुंबकीय कोर और लेमिनेशन बनाने के लिए मशीनरी, पाउडर मेटलर्जिकल और निवेश कास्टिंग सुविधाएं। मिधानि में पूरी तरह से सुसज्जित केंद्रीकृत प्रयोगशाला है जो विशेष ग्रेड मिश्र धातुओं की माँग के उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने में मदद करती है।

मिधानि का मुख्य उद्देश्य देश को रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र की सामरिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक मिश्र धातु उपलब्धता में आत्मनिर्भर बनाना रहा है। मिधानि ने पिछले 48 वर्षों में कई उतार-चढ़ाव देखे किंतु बड़े परिश्रम से नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मिधानि के पोर्टफोलियो में सुपर अलॉय (Ni, Co, Fe), स्पेशल स्टील और Ti और Ti-आधारित मिश्र धातु शामिल हैं।

प्रस्तुत लेख में मिधानि द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र के लिए किए जा रहे कुछ अभिनव प्रयासों को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है :

जगुआर सैन्य विमान के लिए उच्च दबाव कंप्रेसर डिस्क का विकास

"भारत में निर्माण" कार्यक्रम के अंतर्गत मिधानि ने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक द्वारा जगुआर सैन्य विमान के 'अडुर एम के 811' इंजन के कंप्रेसर के लिए आइसोथर्मल से फोर्ज्ड टाइटेनियम मिश्र धातु के उच्च दबाव कंप्रेसर डिस्क को सफलतापूर्वक विकसित कर 20 डिस्क सुपर्द किए हैं। भारत में यह अपनी तरह का पहला अनुसंधान रहा है। इससे पहले इस डिस्क का आयात किया जाता था।

अडुर एमके 811 इंजन एचपी डिस्क

टाइटेनियम मिश्र धातु, टाइटन 6242 एस का देशीकृत विकास

मिधानि ने एचएएल के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (एएमसीए) परियोजना के लिए टाइटेनियम मिश्र धातु, टाइटन 6242 एस का देशीकृत विकास करके आपूर्ति की है। इस मिश्र धातु को विकसित करना एक बड़ी चुनौती थी। चूँकि यह एक नए प्रकार का मिश्र धातु था। गर्म होने पर इसके परिवर्तनशील व्यवहार को समझना कठिन था। मिधानि ने इस पर अनुसंधान किया और इसे विकसित करने में सफलता प्राप्त की। एचएएल की ही अन्य परियोजनाओं - एएलएच, एलसीएच और एलयूएच के हेलीकॉप्टर ट्रांसमिशन असेंबलियों (पावर ट्रांसमिशन गियर और पिनियन) के लिए मिधानि द्वारा एमडीएन 9201 मिश्र धातु का विकास किया गया है। यह एक कम कार्बन, कम मिश्र धातु इस्पात है।

मिसाइलों की मारक क्षमता परीक्षण के लिए रोल्ड होमोजेनस आर्मर स्टील (एमडीएन 30सीएनडी8 मॉड) का विकास

बीडीएल निर्मित मिसाइलों की मारक क्षमता के परीक्षण के लिए रोल्ड होमोजेनस आर्मर स्टील (आरएचए) का देशीकृत विकास किया गया है। आरएचए स्टील एक उष्मा उपचार (Heat Treatment) योग्य स्टील है। इसका उपयोग उन घटकों के लिए किया जाता है जिसके लिए उच्च शक्ति, मजबूती और अच्छी कठोरता की आवश्यकता होती है।

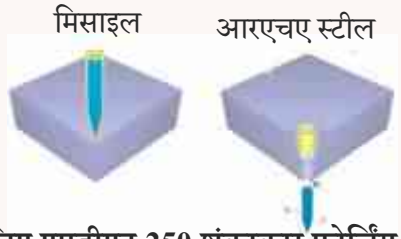

मिसाइल अनुप्रयोग के लिए एमडीएन 250 शंकाकार फोर्जिंग का विकास:

मिधानि द्वारा मिसाइल अनुप्रयोग के लिए एमडीएन 250 कोनिकल फोर्जिंग का विकास किया गया है। इसकी फोर्जिंग में विशेष तकनीक व प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए देश में पहली बार मिधानि द्वारा दो चरणों में 7.5° कोण के कोनिकल फोर्जिंग से इस धातु को सफलतापूर्वक विकसित कर अपेक्षित आयाम हासिल किया।

मिसाइल अनुप्रयोग के लिए टाइटन 31 बकेट फ्लैंज का विकास

टाइटेनियम के सभी ग्रेडों में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाना वाला Ti6A14V धातु का मिधानि ने देशीकृत विकास किया है। यह धातु टाइटेनियम 31 के नाम से अधिक प्रचलित है। यह आम तौर पर अनीलड स्थिति में उपलब्ध होता है और अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को मजबूती प्रदान करने के लिए आसानी से उष्मा उपचार योग्य होता है। एक सामान्य प्रयोजन के मिश्र धातु के रूप में Ti 6Al-4V में -210 ° C - 400 ° C के तापमान पर वांछनीय गुणों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। Ti 6Al-4V एक अल्फा-बीटा (α-β) मिश्र धातु है। Ti 6A1-4V में अच्छी वेल्डनियता (वेल्डेबिलिटी) (मिलान या ELI फिलर वायर के साथ) और तप्त अभिरूपणता (हॉट-फॉर्मेबिलिटी) होती है।

गन बैरल का स्वदेशीकरण

मिधानि ने इंडियन फील्ड गन, टी 72, मेन बैटल टैंक अर्जुन, 155 एमएम फील्ड हॉवित्जर (बोफोर्स) और टी 90 के लिए गन बैरल का सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया है। आयुध निर्माणी (ओडीएफ) को T 72 टैंक के लिए लगभग 2000-गन बैरल फोर्जिंग की आपूर्ति की गई है।

टैंक के गन बैरलों के लिए विकसित ग्रेडों को निम्नलिखित तालिका में देख सकते हैं:

शस्त्र/उपकरण	ग्रेड	अनुप्रयोग
155mm होवित्जर	एमडीएन 155	बैरल, ब्रीच रिंग, ब्रीच स्क्रू और नाल-मुख ब्रेक
टी-72 टैंक	एमडीएन 172 45xH2MQA 18X2H4MA 85W	बैरल, ब्रीच रिंग और ब्लॉक और कपलिंगटोर्शन बार क्रैंक शाफ्ट घर्षण डिस्क
एमबीटी (अर्जुन)	एमडीएन 95 इएन 25	बैरल, ब्रीच रिंग ड्राईविंग शाफ्ट
विजयंत	सी 55	बैरल
आईएफजी एमकेआईआई	एमडीएन 59 एमडीएन 60	ट्रायल ट्यूब कैरेज घटक

उक्त उत्पादों के अतिरिक्त निम्नलिखित धातुओं का भी मिधानि द्वारा सफलतापूर्वक विकास किया गया है:

देश के स्वदेशी "कावेरी ड्राई इंजन प्रोग्राम" के लिए उच्चतापीय मिश्र धातुओं का पूरी तरह से मिधानि के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से विकसित कर पहली खेप रवाना की गई है।

मिधानि ने नौसेना के उपयोग के लिए 74 किलोग्राम टाइटेनियम कास्टिंग विकसित की। यह कार्य देश में पहली बार करने का श्रेय मिधानि को जाता है।

एयरो इंजन डिस्क के अनुप्रयोग के लिए सुपरनी-718ए बारीक दाने वाले बार फीड स्टॉक का विकास।

एयरो इंजन के लिए सुपरनी 115ए एलपीटी ब्लेड ब्लैंक का विकास।

एमडीएन M 5 0 A टाइप प्रमाणन पूरा किया गया है। इसे CEMILAC से टाइप अनुमोदन भी प्रदान किया गया है। यह ग्रेड 430 ℃ तक कार्यगत तापमान पर काम कर रहे गैस टरबाइन इंजनों में बेरिंग अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया गया है।

उपर्युक्त मिश्र धातुओं के विकास के साथ ही मिधानि ने रक्षा क्षेत्र में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए आर्मर निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य किया है। हैदरबाद के अलावा मिधानि द्वारा रोहतक में एक आर्मर इकाई की स्थापना की गई है। यहाँ पर "मिधानि कवच" नामक हलके वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकट का विनिर्माण किया जा रहा है। हाल ही में मिधानि ने माइन प्रूफ व्हीकल के देशीकृत आर्मर का विनिर्माण कर आर्डिनेन्स फैक्टरी को सुपुर्द किया है।

मिधानि अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए आर्मरिंग के

क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर है। मिधानि द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उत्पाद जैसे बीआर जैकेट, बीआर हेलमेट और बीआर वेस्ट; समूह सुरक्षा जैसे बीआर शील्ड, बीआर मोर्चा, बीआर ब्रीफ आदि; वाहन आर्मर जैसे टाटा -407, स्कॉरपियो, फॉर्च्यूनर के लिए आर्मर; और हेप्टर हेलीकॉप्टर आर्मरिंग (एमआई-17 हेप्टर) का भी निर्माण किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से भारतीय सेना, ओएफबी, सीआरपीएफ, राज्य पुलिस जैसे कई प्रतिष्ठित ग्राहकों की आर्मरिंग की जरूरतों को पूरा करने में मिधानि ने सफलता हासिल की है।

आर्मरिंग यूनिट रोहतक द्वारा उत्पादित बुलेट प्रूफ जैकेट की पहली खेप सेना के जवानों के लिए रवाना की गई है। यह इकाई आर्मर उत्पादों के संपूर्ण स्पेक्ट्रम के लिए उत्पादन सुविधा वाली अपनी तरह की पहली इकाई है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद में वाईड प्लेट मिल की स्थापना की गई है जहाँ पर रक्षा क्षेत्र विशेष कर नौसेना के लिए प्लेट्स का उत्पादन किया जाएगा।

डॉ. संजय कुमार झा, सीएमडी, मिधानि आर्मर यूनिट, रोहतक में स्थापित स्वचालित फैब्रिक कटिंग मशीन का निरीक्षण करते हुए

मिधानि द्वारा हैदराबाद में स्थित अपने सयंत्र में स्थापित

वाईड प्लेट मिल एक विशेष और अनुपम मिल है। यह पूरे एशिया में अपनी तरह की एकमात्र मिल है। यह शीट और प्लेट मिल का एक अद्भुत संयोजन है। इसमें सर्वोत्तम परिचालन दक्षता और धातुकर्म गुणवत्ता क्षमता है। इस मिल के माध्यम से भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना 'आत्मानिर्भर भारत मिशन' में मिधानि एक विशेष भूमिका निभा सकती है। यह एक अद्भुत संयोग है कि इस मिल की स्थापना भारत की 'आजादी के अमृत महोत्सव' के समय हुई है। यह मिल एक अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मिल है। इसमें सिंगल स्टैंड में ही रिवर्सिंग स्टैंड उपलब्ध है, जिसमें 6000 मेट्रिक टन के रोल सेपरेटिंग फोर्स की विशाल क्षमता है। इसमें ऐसी सभी नवीन विशेषताएँ मौजूद हैं जो उच्च धातुकर्म गुणवत्ता, तंग आयामी सहनशीलता, उन्नत यांत्रिक गुणों और बेहतर सतह की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। यह मिल अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील्स, सुपरएलॉयज, स्टेनलेस स्टील्स, स्पेशल स्टील्स, आर्मर स्टील्स, टाइटेनियम और टाइटेनियम एलॉयज जैसे ग्रेड को 3000 मिमी तक की चौड़ाई और 4.5 मिमी की मोटाई तक रोल कर सकती है।

वाइड प्लेट मिल का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसका लेआउट इस तरह से निर्मित है कि यहाँ एक ही स्थान पर एक व्यापक मिश्रण को रोल करने, उससे जुड़ी अन्य सभी आवश्यक सहायक प्रक्रियाएँ शामिल हैं। जैसे कि समतल करना, काटना, विरूपण मुक्त शमन-सख्ती बढ़ाना, तड़कने से बचाना और आकार देना। मिधानि को अपने इस मिल के माध्यम से उत्पादन में बढ़त मिलेगी। इस मिल के कारण मिधानि अपने सम उद्योगियों के साथ प्रतियोगिता में आगे रहेगा। इस मिल के कारण अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की माँग करने वाले ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की मिधानि की क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस विशिष्ट मिल की मानक क्षमता लगभग 60000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। मिधानि द्वारा स्थापित इस मिल को एक राष्ट्रीय संपत्ति कहा जा सकता है, जो घरेलू उद्योग और निर्यात की जरूरतों को पूरा कर सकती है। यह परमाणु, ऊर्जा, अंतरिक्ष और नौसेना जैसे क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मिधानि ने सामरिक क्षेत्रों के लिए "आत्मनिर्भता के इंडेक्स" को बेहतर बनाने के क्रम में अद्भुत कार्य किया है।

संदर्भ : 1) मिधानि की 'कॉफी टेबल बुक'

2) आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मिधानि की पहल (प्रकाशनाधीन बुकलेट)

बैबिट युक्त बियरिंग के अल्ट्रॉसॉनिक परीक्षण में टी. वी. जी. तकनीक का प्रयोग

देवदत्त सिंह
उप प्रबंधक, बी एच ई एल – आर अण्ड डी

प्रस्तावना:

अल्ट्रॉसॉनिक परीक्षण एक अविभंजनीय परीक्षण तकनीक है। इसका प्रयोग उच्च आवृति की ध्वनि तरंगों की सहायता से किसी भी जाँब की मोटाई तथा आन्तरिक दोष ज्ञात करने में किया जाता है। ध्वनि तरंगों की गति सभी पदार्थो या माध्यम में भिन्न होती है और प्रवाहित होने के लिए एक माध्यम का होना आवश्यक होता है। जब एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की भाँति दो माध्यमों के अंतरफलक पर परावर्तन (Reection), अपवर्तन (Refraction) तथा विवर्तन (Diraction) क्रियाएँ होती हैं। इसके फलस्वरूप जो भी परावर्तित, अपवर्तित या विवर्तित सिग्नल पुनः प्राप्त होता है, तदनुसार अध्ययन कर जाँब की मोटाई तथा आन्तरिक दोषों का पता लगाया जाता है। इसकी सहायता से जाँब की संरचना का भी पता लगाया जाता है। अभियांत्रिकी व प्रोद्यौगिकी के अलावा चिकित्सा में भी विभिन्न आवृति की ध्वनि तरंग की सहायता द्वारा अल्ट्रॉसॉनिक परीक्षण का भरपूर प्रयोग किया जाता है।

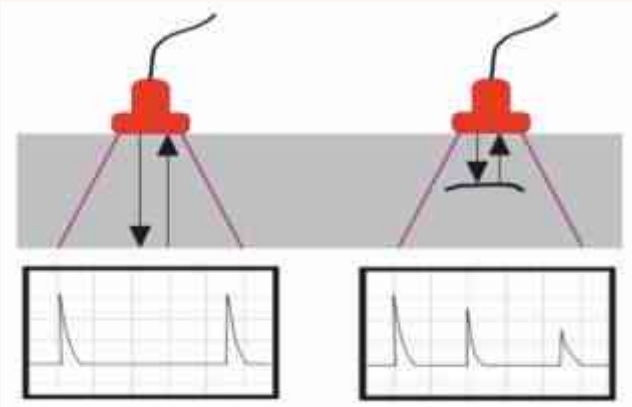

त्रुटिहीन सिग्नल त्रुटियुक्त सिग्नल

बैबिट पदार्थ तथा बियरिंग तल पर इसका निक्षेपण :

बैबिट पदार्थ, जस्ता (90 प्रतिशत), एंटीमनी, तांबा व अन्य पदार्थों जैसे लेड इत्यादि से बनी एक मिश्र धातु है जिसका प्रयोग मुख्यतः लाइन बियरिंग में किया जाता है। बैबिट एक मुलायम पदार्थ होता है। इसका प्रयोग दो परस्पर घर्षण करने वाले धातु अवयवों के मध्य किया जाता है। इससे दोनों अवयव एक दूसरे को हानि पहुँचाये बिना परस्पर गतिशील होते हैं। उदाहरण के तौर पर स्टीम टरबाइन तथा टर्बो जनरेटर आदि।

बियरिंग तल पर बैबिट के निक्षेपण के लिए पहले बैबिट पदार्थ को पिघलाकर अपकेन्द्रीय कास्टिंग विधि द्वारा बियरिंग के तल पर निक्षेपित किया जाता है। बियरिंग तल में इससे पहले विशेष आकार में ग्रूव बनाये जाते हैं,तत्पश्चात तल को शॉट ब्लास्टिंग व प्री-हीट किया जाता है ताकि बैबिट पदार्थ अच्छे से निक्षेपित हो जाए।

बैबिट युक्त बियरिंग का अल्ट्रॉसॉनिक परीक्षण

विभिन्न उद्योगों में बियंरिग का उपयोग किया जाता है जैसे बियरिंग, सील रिंग, बियंरिग पैड, बियंरिंग लाइनर इत्यादि। बियंरिग के सही निक्षेपण, आंतरिक दोष तथा बंधता की जाँच के लिए अल्ट्रॉसॉनिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है।

सर्वप्रथम बियंरिग सतह पर निक्षेपित बैबिट पदार्थ की मोटाई के अनुरुप रिफ्रेश ब्लॉक के द्वारा अल्ट्रॉसॉनिक परीक्षण मशीन को कैलीब्रेट किया जाता है तथा निर्देशित मानक के अनुसार संपूर्ण बियरिंग सतह की जाँच की जाती है। अल्ट्रॉसॉनिक परीक्षण मशीन, रिफ्रेश ब्लॉक तथा बियंरिंग सेल नीचे के चित्र में दर्शाया गया है।

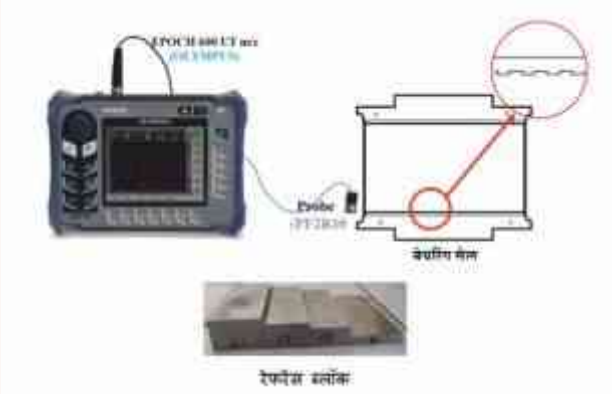

बियंरिग सतह की मोटाई के अनुसार रेफरेंस ब्लॉक का होना अनिवार्य है अन्यथा त्रुटि की संभावना बढ़ सकती है तथा उचित रेफरेंस ब्लॉक उपलब्ध न होने पर अल्ट्रॉसॉनिक परीक्षण को स्थगित भी किया जा सकता है। उत्पादकता बढ़ने पर, परीक्षण समय कम करने के लिए एक कुशल ऑपरेटर हमेशा तैयार रहता है तथा परीक्षण के नये-नये आयामों को अपनाता है। टी वी जी तकनीक, डी ए सी तकनीक के समतुल्य होने के साथ-साथ अधिक विश्वसनीय तथा तीव्र है जिसका उपयोग निश्चित रूप से समय की बचत में भी लाभकारी होता है।

डी ए सी तकनीक :

डी.ए.सी.अर्थात डिस्टेंस एम्पलीट्यूड करेक्शन कर्व तकनीक का इस्तेमाल समान साइज के परावर्तक के अलग-अलग दूरी से परावर्तित होकर आने वाले इको सिग्नल के विभव में होने वाली विविधताओं से किया जाता है। सामन्यत: सिग्नल ऐटनुएशन तथा बीम स्प्रेडिंग के कारण फॉर फील्ड में दूरी के बढ़ने से इन परावर्तकों से आने वाली ईको सिग्नल का एम्लीट्यूड क्रमश: घटता जाता है। डी.ए.सी.

कर्व का इस्तेमाल सिग्नल विभव में होने वाली इन विविधताओं को ग्राफ के माध्यम से दर्शाने में किया जाता है।

डी.ए.सी. कर्व (डिस्टेंस एम्प्लीट्यूड करेक्सन कर्व)

इस प्रकार समान साइज के परावर्तकों से हमें जो भी इको सिग्नल प्राप्त होंगे उनका एम्पलीट्यूड स्वाभाविक रूप से डी ए सी कर्व के अनुरूप होगा चाहे उनकी दूरी में कितनी भी भिन्नता हो। इसी प्रकार ऐसे परावर्तक जो कैलिब्रेशन में प्रयुक्त किये गये परावर्तक से छोटे या बड़े होंगे उनसे परावर्तित होकर आने वाली ईको सिग्नल का विभव डी ए सी कर्व से ऊपर या नीचे होगी। डी ए सी कर्व का उपयोग चित्र द्वारा नीचे दिखाया गया है।

टी वी जी तकनीक

टी.वी.जी. तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए पहले डी ए सी कर्व का निर्माण करना पड़ता है। तत्पश्चात यू.टी. मशीन के द्वारा इस कर्व को टी वी जी कर्व में परिवर्तित कर लिया जाता है। टी वी जी कर्व के प्रयोग से यू.टी. मशीन द्वारा सभी परिवर्तकों में दूरियों की भिन्नता के अनुरूप स्वतः परिवर्तन होता रहता है। परिणामस्वरूप समान आकार के इन परावर्तकों की दूरियों में भिन्नता के बावजूद इनसे आने वाले इको सिग्नल के एम्प्लीट्यूड में समानता बनी रहती है। टी वी जी तकनीक को नीचे चित्र में विस्तार से दिखाया गया है:

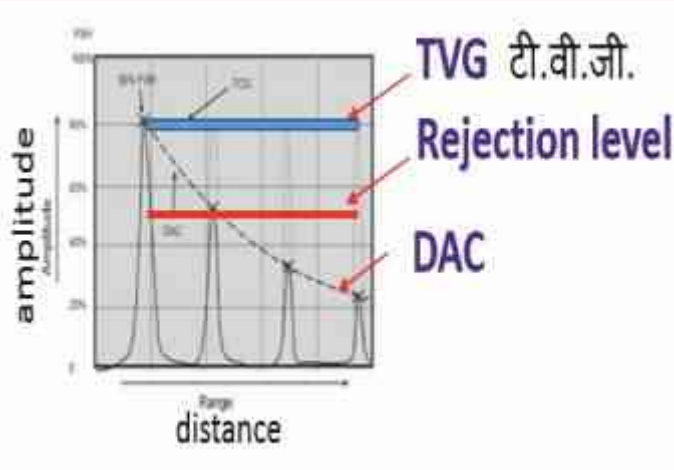

टी.वी.जी. (टाईम वैरीड गेन कर्व)

इस तकनीक के माध्यम से डी ए सी कर्व जिसका मूल स्वरूप वक्राकार होता है वह सरल रेखा में परिणत हो जाता है। इस प्रकार हम अपनी आवश्यकतानुसार यू.टी. मशीन के गेट ऊँचाई को 40%, 50% तथा मानकानुसार चयन कर सकते हैं। इस प्रकार का चयन डी ए सी में संभव नहीं हो पाता है। नीचे चित्र द्वारा गेट उँचाई को 50% में फिक्स करके टी वी जी कर्व का प्रयोग करते हुए दर्शाया गया है :

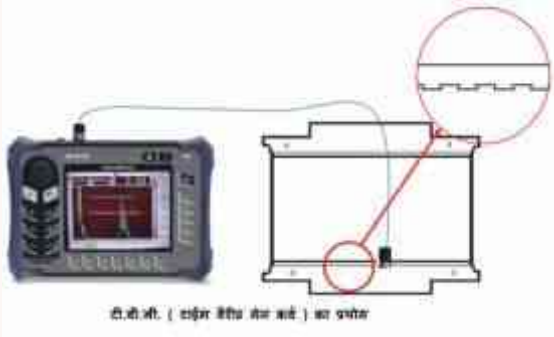

टी.वी.जी. (टाईम वैरीड गेन कर्व) का प्रयोग

निष्कर्ष

टी वी जी कर्व के प्रयोग से कई संभावित समस्याएँ खत्म होने के साथ-साथ जाँच की गुणवत्ता में काफी वृद्धि होना स्वाभाविक है। यू.टी. मशीन द्वारा परीक्षण पहले की अपेक्षा कम समय के साथ-साथ, अधिक सरल तथा प्रभावी हो जायेगा।

समाज कल्याण और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सिविल इंजीनियरिंग की भूमिका

जी. वेंकट लक्ष्मी
उप महाप्रबंधक, ऐण्टेना एवं साटकॉम प्रभाग, ई सी आई एल

परिचय :

इंजीनियरिंग एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है जो वैज्ञानिक ज्ञान को व्यावहारिक उपयोग में लाता है। इसमें विशालकाय बाँध के निर्माण से लेकर छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तक के डिज़ाइन शामिल हैं। इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में सिविल इंजीनियरिंग समाज कल्याण से जुड़ने वाली एक प्रचलित शाखा है। वैसे विज्ञान की सभी शाखाओं का प्रयोग मानव कल्याण के उद्देश्य से होता है पर व्यक्ति, समाज, संगठन और राष्ट्र-निर्माण का कोई भी क्षेत्र सिविल इंजीनियरिंग के बिना आधूरा है। सिविल इंजीनियरिंग को 'जन कल्याण और समाज संरक्षण' की एक आदर्श शाखा माना जा सकता है। वास्तव में सिविल इंजीनियरिंग में 'सिविल' शब्द जन-कार्य, सैन्य ठिकानों, मास ट्रांजिट सिस्टम अर्थात् राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे और जल मार्ग, जल शोधन कार्य, अपशिष्ट प्रबंधन आदि विभिन्न जन-कार्यों के लिए किया जाता है।

आज पर्याहितैषी संरचनाओं के डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव सिविल इंजीनियरिंग के विशेष अध्ययन का क्षेत्र है। यह शायद सबसे पुराने प्रकार की इंजीनियरिंग भी है। प्राचीन काल से सिविल इंजीनियरिंग के रूप में किसी आश्रय का निर्माण या पेड़ के तने से पुल का निर्माण इसके कुछ उदाहरण हो सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग पारंपरिक रूप से कई उप-विषयों में विभाजित है। इसे सैन्य इंजीनियरिंग के बाद दूसरा सबसे पुराना इंजीनियरिंग अनुशासन माना जाता है और इसे गैर-सैन्य इंजीनियरिंग को सैन्य इंजीनियरिंग से अलग करने के लिए परिभाषित भी किया जाता है। यह एक व्यावसायिक अनुशासन है जो भौतिक और प्राकृतिक रूप से निर्मित पर्यावरण के डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव से संबंधित है।

सिविल इंजीनियरिंग के बिना भौतिकत: समाज की कल्पना मुश्किल है। मानव समाज की सभी बुनियादी जरूरतें केवल सिविल इंजीनियरिंग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा सकती हैं। उदाहरण के लिए मानव आश्रय संबंधी संरचनाओं के हर हिस्से के साथ-साथ पशुधन परिवहन, सड़क, पुल, डाक, रेल और हवाई सेवा सहित अन्य मूलभूत सेवाएँ जैसे पानी, बिजली, फोन, इंटरनेट सेवा जैसी अनिवार्य सेवाएँ सिविल इंजीनियरिंग के बिना संभव नहीं हैं।

स्वाधीनता से पहले खाद्यान्न की खेती अपर्याप्त थी। लगभग दस प्रतिशत आबादी भूख से मर रही थी। सिविल इंजीनियरिंग की मदद से छोटे बाँध आदि के निर्माण के बाद खाद्यान्न उत्पादन में सुधार आया। यह समाज कल्याण के प्रति सिविल इंजीनियरिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है। सिविल इंजीनियरिंग ने पिछले सौ वर्षों में स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दृष्टि से जल आपूर्ति, जल-निकासी, अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी ढाँचों का निर्माण कर समाज कल्याण सहित प्रकृति संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सिविल इंजीनियरिंग में गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, यांत्रिकी, सामग्री, संरचनाओं के डिज़ाइन, सुविधाएँ, प्रणाली, जोख़िम की पहचान, संभावना, सांख्यिकी, स्थिरता, सार्वजनिक नीति, प्रशासन जैसी शाखाएँ शामिल हैं।

सिविल इंजीनियरिंग शाखा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न उपखंड हैं - सर्वेक्षण, सामग्री प्रौद्योगिकी, भू-तकनीकी इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, निर्माण प्रौद्योगिकी, हाइड्रॉलिक्स, जल संसाधन और सिंचाई इंजीनियरिंग, परिवहन इंजीनियरिंग तथा पर्यावरण इंजीनियरिंग।

सर्वेक्षण करना: सर्वेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सर्वेक्षणकर्ता कुछ निश्चित आयामों को मापता है और जहाँ भी आवश्यक होता है वहाँ मानक तय करता है। सर्वेक्षण माप द्वारा एकत्र किए गए डेटा को आरेख या योजना के रूप में ज़मीन की सतह के चित्रात्मक रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह एक आवश्यक कार्य है जो किसी परियोजना या संरचना निर्माण की शुरुआत में किया जाता है।

सामग्री प्रौद्योगिकी: किसी भी संरचना की उपयुक्तता का पता लगाने के बाद स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों को देखकर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग तय किया जाता है।

भू-तकनीकी इंजीनियरिंग : पृथ्वी पर निर्मित सभी संरचनाएँ उपयुक्त नींव के माध्यम से यानि मिट्टी या चट्टान के नीचे ज़मीन पर धारित लोड को स्थानांतरित करती हैं। मिट्टी एक जटिल भूविज्ञान है जिसमें सामग्री प्रयोग से संरचना को क्षति पहुँचाए बिना सुरक्षित रूप से इसके भार का हस्तांतरित किया जाता है। अत: मिट्टी, चट्टान, नींव के डिज़ाइन, साइट की जाँच, भूमि सुधार तकनीक आदि का अध्ययन किसी भी परियोजना के लिए आवश्यक होता है।

निर्माण प्रौद्योगिकी: विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण, विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री उपलब्ध कराना, निर्माण की विभिन्न तकनीकों का अध्ययन, विभिन्न निर्माण संबंधी गतिविधियों का प्रबंधन विभिन्न मानक जैसे कि संसाधन सामग्री या मानव, समय, वित्त और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्य करना इस क्षेत्र में शामिल होता है।

हाइड्रॉलिक्स: पानी, मानव जीवन और सभी रचनात्मक गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। यह क्षेत्र पानी के बुनियादी गुण, स्थिरता के साथ-साथ गति में पानी के अध्ययन, पाइप के माध्यम से प्रवाह, प्रवाह माप, खुले चैनल प्रवाह और विभिन्न विश्लेषणात्मक अध्ययन से संबंधित है। प्रवाह संबंधी समस्याओं को कम्प्यूटेशनल और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है।

जल संसाधन और सिंचाई इंजीनियरिंग: यह क्षेत्र इस धरती पर पानी के विभिन्न स्रोत, पानी के उपलब्ध संसाधनों का दोहन करने के लिए पानी के उपलब्ध संसाधनों की योजना, निर्माण और निर्माण के लिए संरचनाओं की कुल पानी की उपलब्धता और पानी की आवश्यकता, निर्माण और रखरखाव का आकलन / बाँध निर्माण और पानी ढोने वाली संरचनाओं का रखरखाव, विभिन्न सिंचाई योजनाएँ, बाढ़ नियंत्रण के तरीके, इसकी कमी और जल संसाधनों की पुनःपूर्ति से संबंधित है।

परिवहन इंजीनियरिंग: किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उस देश में उपलब्ध परिवहन सुविधाओं पर निर्भर होता है। परिवहन के विभिन्न साधनों में सड़क मार्ग, रेलवे, वायु मार्ग और जल मार्ग शामिल हैं। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के सड़क मार्गों, रेलवे, हवाई अड्डों और रनवे, बंदरगाह और डॉक, पुलों और सुरंगों के नियोजन, डिज़ाइन, निर्माण और रखरखाव का विस्तृत अध्ययन करता है।

पर्यावरण इंजीनियरिंग: यह क्षेत्र उपलब्ध पानी की गुणवत्ता के अध्ययन और मानकों की जाँच, जल संग्रह और विभिन्न उपचार प्रक्रियाओं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति और वितरण के माध्यम से जल शोधन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, घरेलू जल आपूर्ति प्रणाली और स्वच्छता प्रणाली, अपशिष्ट जल संग्रह, उपचार और सुरक्षित निपटान, अपशिष्ट प्रबंधन, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और इसके नियंत्रण उपायों का अध्ययन, पर्यावरण सुरक्षा आदि के अध्ययन से संबंधित है।

इसी प्रकार उद्योग, कार्यालय, कर्मचारियों के लिए आवास, जल आपूर्ति, जल निकासी व्यवस्था, आंतरिक सड़कें, मशीनरी आदि की व्यवस्था भी सिविल इंजीनियरिंग का ही हिस्सा है। देखा जाए तो कहा जा सकता है कि सिविल इंजीनियरिंग के बिना व्यक्ति, समाज, संगठन और राष्ट्र-निर्माण के कार्य संभव नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग किसी भी समाज की मूलभूत आवश्यकता और विकास की प्राण-शक्ति है।

इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ईसीआईएल में सिविल इंजीनियरिंग का महत्व

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक बहु-उत्पाद, बहु-विषयक और बहु-प्रौद्योगिकी कंपनी है जो परमाणु, रक्षा, वांतरिक्ष, सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-अभिशासन जैसे सामरिक क्षेत्रों से जुड़ा कार्य करती है। ई सी आई एल में उत्पाद लघु घटकों से लेकर जटिल प्रणालियों और यंत्रीकरण तक शामिल हैं। ईसीआईएल ने देश में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे ऐण्टेना, वी-सैट नेटवर्क, वायु मास्ट्स, मिसाइल सपोर्ट सिस्टम, एयरबॉर्न रेडार के लिए स्थिर प्लेटफार्म, ईवीएम, ऊर्जा मीटर, सुरक्षा प्रणाली, वाहन अभिगम नियंत्रण आदि का विकास किया है।

ईसीआईएल में वांतरिक्ष उत्पादों के कुछ उदाहरण

ईसीआईएल उत्पाद देश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर हिमालयी क्षेत्रों और लेह, लद्दाख में स्थापित हैं। वांतरिक्ष वर्ग ने प्रतिष्ठित परियोजनाएँ जैसे ऐण्टेना माउंटिंग बिल्डिंग के साथ 32 मीटर DSN ऐण्टेना, 21 मीटर मेस टेलीस्कोप, अंटार्कटिका से होमलैंड के लिए मैत्री स्टेशन, अंटार्कटिका के लिए पहला संचार लिंक ऐण्टेना, भारती स्टेशन के लिए स्ट्रक्चरल स्टील प्लेटफॉर्म के साथ ऐण्टेना, 125 मीटर ऊँची एमईटी सुविधा, एलसीए एमएमआर, शिपबोर्न टर्मिनल के लिए एसडीएससी, एसएचएआर, ऐण्टेना प्लेटफार्म इकाइयाँ स्थापित की हैं। इन सभी ऐण्टेना के निष्पादन में साइट सर्वेक्षण, मिट्टी की जाँच नींव का डिज़ाइन, सामग्री का चयन, संरचनात्मक विश्लेषण और ऐण्टेना का डिज़ाइन सेल्फवेट, लाइव लोड, वायु भार, भूकंप भार, तापमान भार, गतिशील भार, सुरक्षा शामिल हैं।

हाइड्रोजन एमएसईआर क्लॉक जैसे संवेदनशील उपकरणों को स्थापित करने के लिए विशेष प्रकार की पृथक स्थापना की आवश्यकता होती है। बाहरी संरचना को बाहरी गड़बड़ी या कंपन से अलग करना होता है। आरएफ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रकार के उपचार जैसे कि कॉपर क्लैडिंग, आरएफ दरवाजे, आरएफ परिरक्षण आदि। सुनिश्चित किया जाना होता है कि ऐण्टेना के लिए क्रेन बूम लंबाई का आकलन, क्रेन चलन के लिए कठोर स्टैंड, समुद्र के किनारे नींव ये सभी सिविल इंजीनियरिंग कार्यों का भाग है।

32 एम डीप स्पेस नेटवर्क (डी एस एन) ऐण्टेना बिल्डिंग के लिए कॉपर क्लैडिंग

माउण्टिंग 32 डी एस एन ऐण्टेना के लिए बिल्डिंग रूफटॉप रिंग बीम पर ऐंकर बोल्ट

अनुमान लगाया जा सकता है कि सामाजिक और उद्यम जगत के लिए सिविल इंजीनियरिंग कितनी उपयोगी है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भी इससे अछूता नहीं।

आई बी सी के तहत कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया

पी आदिलक्ष्मी
उप महाप्रबंधक (विधि), पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इं. लि.

पृष्ठभूमि

बैंकों के गैर-निष्पादित ऋण की अधिक संख्या और ऋण समाधान में देरी को देखते हुए दिवालियापन और दिवाला संहिता 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code 2016) कानून संसद के एक अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था। दिवालियापन और दिवाला संहिता याने आई बी सी को SICA (Sick Industrial Companies Act / बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम) की जगह लाया गया। SICA को दि. 1 दिसंबर, 2016 से निरस्त कर दिया गया। 1980 के दशक में भारत में बड़े पैमाने पर औद्योगिक बीमारी का माहौल देखा गया। भारत सरकार ने इस समस्या का मुकाबला करने के लिए प्रमुख कानून यानी बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम (Sick Industrial Companies Act) बनाया। व्यापक औद्योगिक रुग्णता अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करती है। यह अधिनियम औद्योगिक उपक्रमों के स्वामित्व वाली बीमार या संभावित रूप से बीमार कंपनियों की पहचान करने और उनके पुनरुद्धार के लिए त्वरित उपचारात्मक उपाय करने के लिए अस्तित्व में आया था और ऐसे परिदृश्य में आया था जहाँ दूसरा कोई उपाय नज़र नहीं आया था। यह बीमार औद्योगिक इकाइयों में फँसे हुए निवेश को मुक्त कराने और उन्हें अधिक उत्पादक तरीके से उपयोग करने के उद्देश्य से की गई एक कार्रवाई थी।

बाद में SICA को निरस्त कर दिया गया और 2003 में बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया। नये कानून में मुख्य परिवर्तनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कंपनियाँ केवल कानूनी दायित्वों से बचने और वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई रियायतों का अनुचित लाभ लेने का प्रयत्न न कर पाएँ। अधिनियम की कार्यशीलता अपेक्षित परिणामों पर खरी नहीं उतरी और अन्ततः IBC को दि. 28 मई, 2016 को अधिसूचित किया गया और SICA दि. 1 दिसंबर, 2016 से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया।

आई बी सी का लक्ष्य:

यह विषय-वस्तु के रूप में पुनर्गठन और दिवाला समाधान मुद्दों वाले कानूनों को समेकित और संशोधित करने का एक अधिनियम है। दिवाला, परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन या दिवालियापन के मामले में अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे :

कंपनी

सीमित देयता भागीदारी

साझेदारी फर्म

कॉर्पोरेट व्यक्ति

व्यक्तियों

आई बी सी, कंपनियों, साझेदारियों और व्यक्तियों पर लागू होता है। यह दिवाला को हल करने के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है। इसके अनुसार जब पुनर्भुगतान में कोई चूक होती है, तो लेनदारों को देनदार की संपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त होता है और उन्हें दिवाला को हल करने के लिए निर्णय लेने का अधिकार होता है। आई बी सी के तहत देनदार और लेनदार दोनों एक दूसरे के खिलाफ 'वसूली' की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।

अधिनियम के तहत प्रतिष्ठान

कोड आई बी सी के सुचारू कामकाज के लिए महत्वपूर्ण तीन नई संस्थागत संरचनाओं की स्थापना के प्रावधान निर्धारित करता है :

1) **आई बी बी आई** : इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया (IBBI) कोड का उद्देश्य ही इस बोर्ड की स्थापना को निर्दिष्ट करता है। बोर्ड एक नियामक के रूप में कार्य करता है। इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को एक नियामक के रूप में नियुक्त किया गया है और यह इन कार्यवाहियों की देखरेख कर सकता है। आई बी बी आई में वित्त मंत्रालय, कानून मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक वगैरह से 10 सदस्य होते हैं।

2) **आई पी ए** : दिवाला व्यावसायिक एजेंसी (IPA) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियाँ ही दिवाला व्यावसायिक एजेंसी के रूप में पंजीकरण के लिए आई बी बी आई से संपर्क कर सकती हैं। दिवाला पेशेवर एजेंसियाँ पेशेवर मानक, आचार संहिता का विकास करती हैं और दिवाला पेशेवर सदस्यों के लिए प्रथम स्तर की नियामक होती हैं। इससे पेशेवर काम करने वालों के लिए एक प्रतिस्पर्धी उद्योग का विकास होगा।

3) **सूचना उपयोगिता:** सूचना उपयोगिता ऐसी सेवाएँ प्रदान करती है जो निर्दिष्ट की जा सकती हों, जिसमें मुख्य सेवाएँ शामिल हैं जैसे किसी व्यक्ति को ऋण और चूक पर जानकारी एकत्र कराना और संग्रहीत करना, यदि ऐसा व्यक्ति नियमों और शर्तों का अनुपालन करता है जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

नियामक का अधिदेश दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगकर्ताओं को विनियमित करने के साथ-साथ आईबीसी के तहत नियमों को तैयार करना है।

दिवाला पेशेवर (Insolvency Professional): एक दिवाला पेशेवर के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति को दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का सदस्य होना चाहिए और आई बी बी आई के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

निर्णायक प्राधिकरण : (Adjudicating Authority): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत गठित राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) कोड के तहत एक निर्णायक प्राधिकरण है और कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान मामलों की सुनवाई करेगा।

एन सी एल टी भारत सरकार द्वारा नागरिक निगमों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटान करने स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। जबकि, राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) एक उच्च न्यायाधिकरण है जहाँ एन सी एल टी के फैसले से पक्ष संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में अपील दायर की जा सकती है।

ट्रिब्यूनल दि. 1 जून, 2016 को सरकार द्वारा लागू संविधान के अनुच्छेद 245 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करके अस्तित्व में आया है।

यह कोड बैंक और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली की धारा 3 (1) के तहत गठित ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) को भी साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान और दिवालियापन मामलों के उद्देश्य के लिए निर्णायक प्राधिकरण के रूप में मान्यता देता है। न्यायाधिकरण शीघ्र न्याय निर्णयन और ऋण की वसूली के उद्देश्य से अस्तित्व में आया है।

न्याय निर्णयन प्राधिकरण इस मुद्दे को आगे बढ़ाने में या तो स्थगन की घोषणा कर सकता है या सार्वजनिक घोषणा का कारण बन सकता है या जाँच और समाधान पता करने के लिए एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त कर सकता है।

संहिता के तहत प्रक्रिया और आवेदन दाखिल करना :

एक दिवाला समाधान प्रक्रिया निम्नलिखित द्वारा शुरू की जा सकती है

वित्तीय लेनदार, या

परिचालन लेनदार, या

कॉर्पोरेट

वित्तीय लेनदार :

आई बी सी की धारा 5 (7) में कहा गया है कि वित्तीय लेनदार का मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति शामिल है जिसे इस तरह के ऋण को कानूनी रूप से दिया गया है या स्थानांतरित किया गया है।"

एक वित्तीय लेनदार या तो स्वयं या अन्य वित्तीय लेनदारों के साथ संयुक्त रूप से एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ जब कोई भी चूक होने पर कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर कर सकता है।

न्याय निर्णयन प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति के चौदह दिन के भीतर एक सूचना उपयोगिता के रिकॉर्ड से या वित्तीय लेनदार द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर किसी चूक के होने का पता लगाएगा।

परिचालन लेनदार :

भुगतान में देर होने की स्थिति में, परिचालन लेनदार एक अवैतनिक देनदार को चालान की एक प्रति के रूप में अधिसूचना के लिए अनुरोध भेज सकते हैं, जो देनदार कंपनी को देर से भुगतान के अनुरूप राशि के भुगतान का अनुरोध आई बी सी के फॉर्म 3 के अनुसार कर सकता है।

देनदार को अनुरोध या चालान की प्रति प्राप्त होने के दस दिन के भीतर अनिवार्यतः लेनदार को नोटिस भेजना होगा।

भुगतान की माँग करने वाले नोटिस या चालान की डिलीवरी की तारीख से दस दिन की अवधि की समाप्ति के बाद, यदि परिचालन लेनदारों को कॉर्पोरेट देनदार या विवाद की सूचना से भुगतान प्राप्त नहीं होता है, तो परिचालन लेनदार फॉर्म 5 ओएफ में निर्णायक प्राधिकरण को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आई बी सी एक आवेदन दायर कर सकता है।।

कॉर्पोरेट :

जैसे ही भुगतान में चूक होती है, उसका एक कॉर्पोरेट आवेदक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आई बी सी के फॉर्म 6 में न्याय निर्णायक प्राधिकरण को एक आवेदन दायर कर सकता है। यह कॉरपोरेट देनदारों के दिवाला और परिसमापन से संबंधित मामलों पर लागू होगा जहाँ डिफ़ॉल्ट न्यूनतम राशि एक लाख रुपये है। कॉर्पोरेट आवेदक, आवेदन के साथ संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा - खाते की किताबें और ऐसी अवधि से संबंधित ऐसे अन्य दस्तावेज जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं; तथा समाधान पेशेवर को अंतरिम समाधान के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव है

निम्नलिखित आवेदन फाइल नहीं कर सकते :

- दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रहे कॉर्पोरेट देनदार; या
- कॉर्पोरेट देनदार ने आवेदन करने की तारीख से बारह महीने पहले कॉर्पोरेट दिवाला प्रक्रिया पूरी कर ली है; या
- कॉर्पोरेट देनदार या वित्तीय लेनदार जिसने बारह महीने पहले स्वीकृत किसी भी योजना की शर्तों का उल्लंघन किया है; या
- कॉर्पोरेट देनदार जिसके संबंध में एक परिसमापन आदेश जारी किया गया है।

पोस्ट आवेदन प्रक्रिया

1. अधिस्थगन अवधि के तहत प्रतिबंध

देनदार के खिलाफ सभी लंबित कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं और 180 दिन की अधिस्थगन अवधि के दौरान कोई नई कार्रवाई शुरू करने की अनुमति नहीं है और देनदार को अपनी संपत्ति का निपटान करने से मना किया जाता है। सरफेसी अधिनियम के तहत कोई भी दावा फिलहाल के लिए प्रतिबंधित है और लंबित कार्यों को रोक दिया गया है। संबंधित 180 दिन की अवधि मूल रूप से कंपनियों और लेनदारों के लिए प्रदान की गई एक समय की रूपरेखा है, जो कंपनी की बिगड़ती स्थिति का समाधान खोजने के लिए उनके भविष्य की कार्रवाई तय करके एक रास्ता दिखाती है।

2. दिवाला पेशेवर की भूमिका

देनदार का व्यवसाय पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है और लेनदारों की समिति में स्थानांतरित हो जाता है। एक दिवाला समाधान पेशेवर को लेनदारों की समिति की ओर से देनदार के व्यवसाय का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया जाता है ताकि उसकी संपत्ति को अधिकतम संभव सीमा तक संरक्षित किया जा सके और लेनदारों की समिति के कार्यों का समन्वय किया जा सके।

दिवाला समाधान प्रक्रिया को इसके प्रारंभ होने के 180 दिन के भीतर पूरा किया जाना होता है। यदि निर्णायक प्राधिकारी संतुष्ट हो तो 90 दिनों की एक और अवधि के लिए एकमुश्त विस्तार की अनुमति दी जा सकती है। लेनदारों की समिति को देनदार के लिए समाधान योजना को मंजूरी देना होता है। 180 दिन की अवधि के अंत तक विफल होने पर कंपनी परिसमापन में चली जाती है। संकल्प को केवल तभी अनुमोदित किया जाता है जब वित्तीय लेनदारों (सुरक्षित और असुरक्षित दोनों) के मूल्य में 75% मतदान प्राप्त हो जाता है।

संहिता के तहत अभ्यास को पूरा करने की समय सीमा क्या है?

कंपनियों को आई बी सी के तहत 180 दिन के भीतर दिवाला प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यदि लेनदारों ने विस्तार पर आपत्ति नहीं जताई तो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। 1 करोड़ रुपये के वार्षिक कारोबार वाले स्टार्ट-अप सहित छोटी कंपनियों के लिए, दिवालियेपन की पूरी कवायद 90 दिन में पूरी की जानी चाहिए और समय सीमा को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। यदि ऋण समाधान नहीं होता है तो कंपनी परिसमापन के लिए जाती है।

दिवाला समाधान की सुविधा कौन देता है?

एक लाइसेंस प्राप्त पेशेवर समाधान प्रक्रिया का प्रबंधन करता है, देनदार की संपत्ति का प्रबंधन करता है और लेनदारों को निर्णय लेने में सहायता करने के लिए जानकारी प्रदान करता है।

कार्यवाही पर निर्णय कौन करता है?

समाधान प्रक्रिया की कार्यवाही का निर्णय कंपनियों के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन सी एल टी) और व्यक्तियों के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी आर टी) द्वारा किया जाएगा। अदालतें समाधान प्रक्रिया शुरू करने, दिवाला पेशेवर की नियुक्ति और लेनदारों के अंतिम निर्णय को मंजूरी देती हैं। दिवाला और दिवालियापन बोर्ड संहिता के तहत स्थापित दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित करता है।

संहिता के तहत दिवाला समाधान की प्रक्रिया क्या है?

जब कोई चूक होती है तो देनदार या लेनदार द्वारा समाधान प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। दिवाला पेशेवर प्रक्रिया का प्रबंधन करता है। पेशेवर देनदार की वित्तीय जानकारी सूचना उपयोगकर्ताओं से लेनदार को प्रदान करता है और देनदार की संपत्ति का प्रबंधन करता है। यह प्रक्रिया 180 दिन तक चलती है और इस अवधि के दौरान देनदार के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई प्रतिबंधित है।

लेनदारों की समिति क्या करती है?

ऋणी को धन उधार देने वाले वित्तीय लेनदारों की एक समिति का गठन दिवाला पेशेवर द्वारा किया जाता है। लेनदारों की समिति उन पर बकाया कर्ज का भविष्य तय करती है। वे चुकौती अनुसूची में बदलाव करके या देनदार की संपत्ति को बेचकर अपने बकाया को वापस लेने के लिए उन पर बकाया ऋण को पुनर्जीवित करने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि 180 दिन में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो देनदार की संपत्ति परिसमापन में चली जाती है।

परिसमापन के तहत क्या होता है?

यदि देनदार परिसमापन में जाता है, तो एक दिवाला पेशेवर परिसमापन प्रक्रिया का प्रबंधन करता है। देनदार की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय को निम्नलिखित क्रम में वितरित किया जाता है: पहला दिवाला समाधान लागत, दिवाला पेशेवर को पारिश्रमिक, दूसरा सुरक्षित लेनदार, जिसका ऋण संपार्श्विक द्वारा समर्थित है और श्रमिक, अन्य कर्मचारियों को तीसरा बकाया है, आगे असुरक्षित लेनदार।

दिवाला या परिसमापन (Insolvency or Bankruptcy)

आई बी सी में दिवाला प्रावधान शुरू करने के प्रावधान हैं जो एक तरह से कंपनियों के लिए समय पर उनकी खराब होती वित्तीय स्थितियों का पता लगाने में मददगार होते हैं और उनके पास वसूली के लिए एक उचित मौका होता है। लेकिन यह 100% संभावना नहीं है कि कोई कंपनी इस तरह से उबरने में सक्षम होगी।

यहाँ दो अवधारणाओं के बीच अंतर को नोट करना महत्वपूर्ण है। दिवाला की प्रक्रिया में कंपनी के लिए न्यूनतम आशा है क्योंकि कंपनी प्रशासन का उद्देश्य कंपनी को दिवाला से बचने के लिए ऋण चुकाने में मदद करना है। जबकि, परिसमापन एक कदम आगे है जिसके बाद कंपनी का समापन होता है जिसमें कंपनी को पूरी तरह से भंग करने से पहले सभी संपत्तियों को बेचने की प्रक्रिया शामिल होती है।

आई बी सी के तहत, यदि समाधान योजना को 75% लेनदारों द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है या यदि वे ऋणी को परिसमापन में डालने के लिए सकारात्मक रूप से मतदान करते हैं, तो एन सी एल टी को एक परिसमापन आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है। परिसमापक दिवाला पेशेवर होगा जो आई आर पी का प्रबंधन करता है या एक नया दिवाला पेशेवर तब लेनदारों को संपत्ति के वितरण और कंपनी की समापन प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया जाएगा।

परिसमापन आदेश पारित होने पर, अधिस्थगन हटा लिया जाता है और सुरक्षित लेनदार SARFAESI या अन्य लागू कानूनों के तहत अपने सुरक्षा हितों को लागू कर सकते हैं। आई बी सी परिसमापन परिदृश्य में सुरक्षित लेनदार को दो विकल्प देता है :

सुरक्षित लेनदार अपने सुरक्षा हित को त्यागने और परिसमापन प्रक्रिया का हिस्सा बनने का विकल्प चुन सकता है। इस मामले में इसकी देय राशि नीचे चर्चा की गई वितरण की प्राथमिकता में उच्च रैंक होगी; या सुरक्षित लेनदार परिसमापन प्रक्रिया से बाहर रहने का विकल्प चुन सकता है और अपने सुरक्षा हित को लागू कर सकता है। इस मामले में, सुरक्षित लेनदार अपने ऋण के किसी भी हिस्से के संबंध में संपत्ति के वितरण में अपनी प्राथमिकता खो देगा, जिसे वह प्रवर्तन पर पुनःप्राप्त नहीं कर सकता।

निष्कर्ष

प्रथम दृष्ट्या यह आईबीसी दिवाला के मुद्दे से निपटने के लिए एक त्वरित और विशिष्ट प्रक्रिया के साथ एक व्यापक कानून है। आई बी सी की समयबद्ध प्रकृति एक जीत की स्थिति इंगित करती है क्योंकि कंपनियों के संसाधनों को समय पर सही जगह पर रखा जाता है, चाहे वह लेनदारों को भुगतान करके हो या बंद करके। कंपनी अंतहीन समय अवधि के लिए घाटे में नहीं चल सकती है। जिससे पूरी अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है और लेनदारों को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित कर सकता है।

दावानल

विनीत कुमार सोनवंशी
उप महाप्रबंधक, बी ई एल

भीषण ग्रीष्म की वह बात थी
घनी अंधेरी काली रात थी।
दूर कहीं ऊँचे पहाड़ पर,
चिंगारी से लगी आग थी।।

जल रहा था, जंगल कहीं,
यह तो प्रकृति की सौगात थी।
उठ रहा था धुँआ ऊपर,
वह तो जंगल की लाल रात थी।।

दूर खड़ा मैं देख रहा था,
जैसे की फुलझड़ियों की बरसात थी।
जंगल के इस दावानल में,
चीखते पेड़ों की आवाज़ थी।।

जंगल के इस दावानल को
सारी प्रकृति देख रही थी।
सांप्रदायिकता के दावानल से,
इसकी तुलना कर रही थी।।

बुझ गया, दावानल जंगल का,
अब तो बरसात वाली बात थी।
गुम हो गया था जंगल कहीं,
सिर्फ सुनसान काली रात थी।।

सोच रहा था, अब भी मैं,
वह तो जंगल वाली बात थी।
गूँज रही थी कानों में मेरे,
मानव के चीखने की आवाज़ थी।।

सांप्रदायिकता के दावानल में,
जलता देख रहा था मानव को।
इस दावानल के दानवों से,
मरता देख रहा था मानव को।।

अज्ञान, अधर्म एवं अंधकार से,
अब कौन बचाएगा मानव को?
हर दिल से नफरत हटाकर,
कौन बुझाएगा इस दावानल को?

नाड़ी शोधन प्राणायाम – संपूर्ण सेहत का द्वार

रमेश कुमार
अपर महाप्रबंधक (आउटसोर्सिंग), एच ए एल

अच्छी सेहत के बिना किसी ऐशो आराम, रुतबे, पैसे और खुशी का कोई मतलब नहीं होता। पैसे से सेहत नहीं खरीदी जा सकती है। यह हमने हाल ही की कोरोना महामारी के दौरान बहुत करीब से देखा और महसूस किया है।

अच्छी सेहत कमाना पड़ता है। साथ ही, सेहत अच्छी हो तो उसके बरकरार रखना भी उतना ही आवश्यक है। नासाज़ सेहत को वापस पटरी पर लाना भी ज़रूरी है। दोनों ही सूरत में कुछ ऐसा करना ज़रूरी है जिससे अच्छी सेहत बनी रहे।

अच्छे स्वास्थ्य में बहुत आयाम शामिल हैं : 1. अच्छा पौष्टिक आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियों का अच्छा मिश्रण हो। 2. अच्छी सकारात्मक सोच 3. पर्याप्त विश्राम जिसमें नींद भी शामिल है। 4. व्यायाम जिसमें योग, प्राणायाम, खेल और चलना-फिरना शमिल है।

प्राण+आयाम से प्राणायाम शब्द बना है। प्राण का मतलब प्राण तत्व जो हमारे अस्तित्व को पुष्ट करता है। 'यम' का मतलब नियंत्रित करना और आयाम का मतलब इस प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है।

प्राणायाम का मतलब यह हुआ कि साँसों की गति जिसमें साथ-साथ ब्रह्मांडिक प्राण ऊर्जा भी गति करती है उसे नियंत्रित करना, बढ़ाना और ज्यादा गति देना है। हमारे ऋषियों ने प्राणायाम की बहुत-सी विधियाँ बतायी हैं।

इसमें सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम आता है। पहले यह समझना ज़रूरी है कि नाड़ी होती क्या है? पतंजलि योग सूत्र, योग विज्ञान और ध्यान विधि के शास्त्र में यह वर्णन मिलता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में 72000 नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। इनमें तीन नाड़ियाँ प्रमुख हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। यह आश्चर्य की बात है कि 72000 नाड़ियाँ या ऊर्जा की वाहिनियाँ इस सूक्ष्म शरीर में हैं। यह प्राण ऊर्जा देती हैं शरीर को। ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ सुषुम्ना की दोनों तरफ़ लिपटी होती हैं। कई स्थानों पर ये तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं। उस मिलन बिंदु को चक्र कहते हैं और ये ब्रह्मांडिक ऊर्जा के चक्र होते हैं।

ऐसे सात चक्र होते हैं :

1. मूलाधार चक्र (स्थान : प्रजनन अंग के पास)
2. स्वाधिष्ठान चक्र (स्थान : नाभी और प्रजनन के मध्य)
3. मणिपूरक चक्र या सूर्य केंद्र (स्थान : नाभि से थोड़ा ऊपर)
4. अनाहत चक्र या हृदया चक्र (स्थान : हृदय)

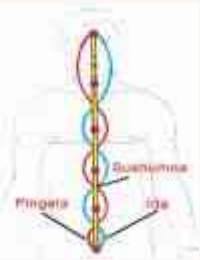

5. विशुद्ध चक्र (स्थान : गला)
6. आज्ञा चक्र (स्थान : भौहों के मध्य या तीसरा नेत्र)
7. सहस्रार चक्र या हज़ार पंखुड़ियों वाला कमल (स्थान : सर के ऊपर)

इसमें इतना जानना ज़रूरी है कि सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र (प्रजनन अंग के पास) से शुरू होती है और सभी चक्रों को भेदती हुई सहस्रार चक्र (सर के ऊपर) तक जाती है।

कुंडलिनी शक्ति या शक्ति का वास मूलाधार चक्र में होता है। यहाँ पर यह मूलत: सुषुप्त अवस्था में होती है। आदमी तभी बुद्ध और प्रबुद्ध होता है जब यह कुंडलिनी शक्ति सभी चक्रों को भेदती हुई सहस्रार चक्र पर पहुँचती है।

99.999 % लोग मूलाधार चक्र पर ही जीते हैं और अपने असीमित रूप को जान ही नहीं पाते। इनके जीवन को ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ ही संचालित करती हैं। आप कभी ध्यान दें तो पाएँगे कि आपकी दोनों नासिकाओं से साँस चल रही होती है, पर एक नासिका में दूसरी नासिका से ज़्यादा साँस आती है।

ज़्यादातर कोई भी एक नासिका दूसरी से ज़्यादा साँस या वायु छोड़ती है। अगर दायीं नासिका से ज़्यादा हवा आ रही है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पिंगला नाड़ी ज़्यादा काम कर रही है। आप में ज़्यादा गर्मी पैदा होगी और आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा और सक्रिय होगा। आपके दिमाग का दायाँ हिस्सा ज़्यादा सक्रिय होगा। संसार में कर्म के लिए आवश्यक ऊर्जा पिंगला नाड़ी से ही मिलती है। पिंगला के सक्रिय होने से पुरुष शक्ति सक्रिय होती है जिसे चीन में येंग भी कहते हैं। यह आपको सांसारिक दृष्टि से कर्म के लिए प्रेरित करता है।

बायीं नासिका से ज़्यादा साँस आने का अर्थ है कि आपकी ईड़ा नाड़ी ज़्यादा सक्रिय है। इसका मतलब है कि आपका नारी तत्व अर्थात दैवीय शक्ति ज़्यादा सक्रिय है। इससें आप ज़्यादा शांत-चित्त, चिन्ताओं से मुक्त रहेंगे। आपकी नींद ज़्यादा गहरी होगी। आप अपने में स्थित परम तत्व को पहचानना शुरू करेंगे। ईड़ा नाड़ी सक्रिय होने से आपके दिमाग के बायें हिस्से में चंद्रमा शक्ति गतिमान होगी। चंद्रमा हमेशा शीतलता का प्रतीक माना जाता है। नारी शक्ति या ईड़ा के अधिक सक्रिय होने से शीतलता प्रदान होगी। ईडा के सक्रिय होने से आदमी बुद्धतत्व की ओर अग्रसर होता है। साथ ही, शरीर के अति आवश्यक कार्य जैसे, दिल की धड़कन, साँस का लेना, रक्त प्रवाह, प्राण शक्ति का संचार और सभी अंदरूनी शरीर के कार्य इसी ईड़ा के माध्यम से होते हैं।

हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में जितने भी शारीरिक, मानसिक दोष और बीमारियाँ होती हैं उनका मूल कारण ईड़ा और पिंगला का सामंजस्य न होना है। सूर्य और चंद्र नाड़ी का तालमेल होना ज़रूरी है। अगर सूर्य और चंद्र नाड़ी यानि ईड़ा और पिंगला में समन्वय हो अर्थात दायीं और बायीं नासिका से हवा का बहाव एक-सा हो तो आपके तीनों दोष कफ, वात और पित्त घट जाएँगे और आपके शरीर को कोई बीमारी चाहे वह स्थूल शरीर की हो या फिर मानसिक ठीक हो जाती है। अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम कुछ हफ़्तों तक लगातार किया जाये तो आपका शरीर हर बीमारी से मुक्त हो जाएगा। इसको कुछ महीनों तक करने से आप सुषुम्ना से ऊर्जा और प्राणों का संचार करने में सक्षम हो जाएँगे। इसे कैसे किया जाता है –

इसको सुबह या फिर शाम को किसी भी प्राणायाम या शारीरक व्यायाम करने से पहले करना चाहिए। इसके लिए किसी शांत कमरे का चयन कर सकते हैं। एक योग मैट या बिछोने पर सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ कर भी कर सकते हैं। बस आपकी रीढ़ सीधी हो।

अपने बायें हाथ को अपने घुटने के ऊपर रखें। दायें हाथ से विष्णु मुद्रा बनाए (चित्र – देखें)।

1. अंगूठे से दायीं नासिका को बंद करें और बायीं नासिका से 6-8 सेकण्ट तक साँस भरें।
2. और अब बायीं नासिका को अपनी तीसरी उंगली (अंगूठी वाली) से बंद करें। 3-4 सेकण्ड तक वैसे ही रखकर फिर अंगूठा दायीं नासिका से हटा लें।
3. फिर धीरे-धीरे दायीं नासिका 3-4 सेकण्ड रुकें और 6-8 सेकण्ड साँस छोड़ें।
4. अब धीरे-धीरे साँस दायीं नासिका से अंदर लें। 3-4 सेकण्ड के लिए रुकें और 6-8 सेकण्ड साँस छोड़ें।
5. अब दायीं नासिका को अंगूठे से बंद करें और बायीं नासिका से साँस छोड़ें 3-4 सेकण्ड के लिए साँस रोकें और 6-8 सेकण्ड साँस छोड़ें।
6. यह एक चक्र पूरा हुआ।
7. इसी तरह सुबह और शाम 10 चक्र पूरा करें। इसको करने के लिए कुछ मिनट का समय लगता है। शुरुआत में एक हफ्ता इस प्रकार करें।
8. दूसरे हफ्ते में 10 चक्र की जगह 14 चक्र करें। तीसरे हफ्ते 18 चक्र और चौथे हफ्ते 22 चक्र, पाँचवें हफ्ते 26 चक्र और छठे हफ्ते में आप 30 चक्र पूरा कर पाएँगे।

अब 30 चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम अगले 5-6 महीने करें। आपके दैहिक और मानसिक विकास और दोष पूरे हो जाएँगे और आप एक रोग मुक्त जीवन जी सकेंगे। प्राणायाम करने से हम स्वस्थ और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। साथ ही, हम अपने आपको भी जान सकते हैं।

भाषा और शब्द

वी सुरेश कुमार
सहायक प्रबंधक (राजभाषा), बी ई एल

शब्दों को लेकर मेरा संघर्ष पुराना है
पर देखता हूँ इनका हर कोई दीवाना है
क्या कहूँ इनके खिलाफ मेरी कई शिकायतें है
सुनो मेरे भी दो शब्द और चार बातें हैं।

आज कुछ शब्द हैं तो कल नये बने
कैसे मैं इन्हें याद करूँ।
शब्द से शब्द जुड़ नये शब्द बने,
कैसे मैं इस पर गौर करूँ

आज एक मतलब तो कल कुछ और बने
इनके बदलते रूप से मैं डरूँ
आज एक तो कल दूसरी भाषा से शब्द जुड़े
कब तक इनके पीछे में पड़ूँ।

कुछ शब्द अब लुप्त हो चुके हैं
क्या अब इनका इतिहास मैं रचूँ
और तो और एक शब्द के कई अर्थ हैं
उफ, अब मैं भी ऊब चुका हूँ

शब्दों की देखो कैसी है यह उलझन
इस उलझन में कुछ है खास
ऐसे ही उलझ कर सुलझती है भाषा
इसी में है इसका विकास

लड़ते-लड़ते ही सही हम दोस्त बन गए
शब्दों के विकास को हम सराहने लगे
शब्द सृजन में भाषा की उन्नति है
अब जैसे भी चाहे नये शब्द जुड़े

शब्दों के नवोम्नेष में भाषा की प्रगति है
शायद इसी कारण आज हिंदी भाषा में काफी उन्नति है।
जब हिंदी को मिले इतने वक्ता और श्रोता
उसका विकास भला क्यूँ न होता।

वैश्विक मानव समता के प्रचारक श्री रामानुजाचार्य

शुक्ला उपेंद्र कुमार
पर्यवेक्षक (राजभाषा), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री ने किया जिसे 'समता मूर्ति' अथवा 'स्टैच्यु ऑफ इक्वालिटी' का नाम दिया गया है। 11वीं सदी के महान दार्शनिक और समाज सुधारक संत रामानुज की यह प्रतिमा 216 फीट ऊँची है। हैदराबाद के नज़दीक मुचिंतल स्थित 'चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम' में इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है। 1017 ईसवी में जन्मे संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती के अवसर पर इस विशाल मूर्ति की स्थापना की गयी है।

इस प्रतिमा को 'पंचलौह' (सोना, चाँदी, तांबा, पीतल और जस्ता) से तैयार किया गया है। धातुओं से बनी विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमाओं में यह शामिल है। 54 फिट ऊँचे 'भद्र वेदी' को इसका आधार बनाया गया है। इसके अंदर एक वैदिक डिजिटलीकृत पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र भी है। इसमें प्राचीन सनातन ग्रंथों से लेकर रामानुजाचार्य के जीवन से सम्बंधित दस्तावेज होंगे।

भक्ति काल को नई दिशा देने वाले संत रामानुजाचार्य का जीवनकाल 120 वर्षों का था। उन्होंने 1137 ईसवी में अपना शरीर त्यागा। वैष्णव समाज के प्रमुख संतों में उनका नाम लिया जाता है। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने काँची के महान विद्वान प्रकाश को अपना गुरु माना। हालाँकि, अपने गुरु के 'अद्वैत वेदांत' के सिद्धांतों से वे सहमत नहीं थे। उन्होंने तमिल के 'अलवार' परंपरा के संत नाथमुनि और यमुनाचार्य के मार्गदर्शन में चलने का निर्णय लिया। उन्हें 'विशिष्ट अद्वैत' सिद्धांत का जनक माना जाता है।

रामानुजाचार्य ने जाति विभेद के खिलाफ अभियान चलाया और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जीवन भर परिश्रम किया। इस्लामी आक्रांता जब भारत में पाँव पसारने जा रहे थे तब उन्होंने 'मुक्ति और मोक्ष' के मंत्रों को सार्वजनिक करते हुए हर वर्ग के लोगों तक इसे पहुँचाया। उनका कहना था कि ये चीजें गोपनीय नहीं रहनी चाहिए, सभी वर्गों के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए।

डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं "तिरुवल्ली में एक दलित महिला के साथ शास्त्रार्थ के बाद उन्होंने उक्त महिला से कहा कि आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं। इसके बाद संत रामानुजाचार्य ने उक्त महिला को दीक्षा दी और उसकी मूर्ति बना कर मंदिर में स्थापित किया। उन्होंने धनुर्दास नाम के पिछड़े समाज के व्यक्ति को अपना शिष्य बनाया।

श्री रामानुजाचार्य ने वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ा। जगद्गुरु शंकराचार्य के बाद उनका ही नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने भक्ति आंदोलन से पिछड़े समाज को जोड़कर कुलीन वैदिक आंदोलन के साथ उसके सेतु का निर्माण किया। उनका जन्म मद्रास से कुछ दूरी पर स्थित 'पेरबुधूरम' में हुआ था। उनके पिता का नाम आसुरीदेव दीक्षित और माता का नाम काँतिमति था। उनके मामा शैलपूर्ण एक संन्यासी थे और माँ के नाना यमुनाचार्य एक बड़े संत थे।

आठ वर्ष की उम्र में जनेऊ संस्कार के साथ ही उन्हें वेदों की शिक्षा देने का कार्य शुरू कर दिया गया था। बाल्यकाल में ही सब उनकी बुद्धिमत्ता और स्मरणशक्ति के कायल हो चुके थे। 16 वर्ष की उम्र में रक्षाम्बा नामक लड़की से उनका विवाह हुआ था। उन्हें वैष्णव संप्रदाय की दीक्षा दी गई थी। श्रीरंगम में अपने निधन से पहले यमुनाचार्य ने रामानुजाचार्य के लिए तीन सन्देश छोड़े थे – वेदांत सूत्रों के भाष्य की रचना करो, आलवार के भजन संग्रह को संकलित कर 'पंचम वेद' के नाम से लोकप्रिय बनाओ और मुनि पराशर के नाम पर किसी विद्वान का नामकरण करो।

इसके बाद उन्होंने काँची लौटकर द्रविड़ भाषा में आलवारों द्वारा रचित 4000 भजन का एक संग्रह तैयार किया। यामुनाचार्य की रिक्त गद्दी पर उन्हें ही स्थान मिला। भगवान रंगनाथ के मंदिर के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी उनके कन्धों पर आ गई, जिसे उन्होंने अच्छी तरह सँभाला। मंदिर की पूरी आय को वे मंदिर के लिए ही खर्च करते थे और खुद भिक्षा से जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें कुछ रहस्य मंत्र इस शर्त पर मिले थे कि वे किसी को बताएँगे नहीं, लेकिन एक सभा में उन्होंने ये मंत्र जनता के लिए सार्वजनिक कर दिए।

उन्होंने कहा कि जब इस मंत्र से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है तो ये सभी को सुनना चाहिए। वे इसके लिए संतों द्वारा दंड के लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने वेदांत सूत्रों पर 'श्री भाष्य' की रचना की और अपने एक शिष्य कुरेश के बेटे का नाम पराशर रखा। उन्होंने भक्ति को मुक्ति का साधन बताते हुए इसे ज्ञान के ऊपर तरजीह दी। उन्होंने भारत यात्रा कर कई विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। जब वे श्रीरंगम वापस आये, तब तक भारत के कई हिस्सों में उनके शिष्य हो चुके थे।

उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता पर ही भाष्य लिखा। 'वेदांत सार' में उन्होंने अपने सिद्धांतों को आम लोगों को सरल भाषा में समझाया। ईश्वर को सगुण माना और यह भी कहा कि उसमें कोई अवगुण नहीं है। उन्होंने दोषहीन, शुद्ध, सर्वश्रेष्ठ, निर्मल और एकरूप ब्रह्म को जानने वाले को ही सच्चा ज्ञानी बताया। उन्होंने शंकराचार्य के कई सिद्धांतों का खंडन कर अपने सिद्धांत भी दिए।

श्री रामानुजाचार्य ने अपने बोधयानवृत्ति को कंठस्थ करने वाले एक शिष्य की मदद से श्रीभाष्य की रचना की। उत्तर भारत में श्रीराम की आराधना के पीछे भी उनका योगदान माना जाता है। उनकी ही शिष्य परंपरा की 14वीं पीढ़ी में संत रामानंद हुए थे, जिनके शिष्य कबीर थे। श्री रामानुज तमिल ब्राह्मण समुदाय से थे। काँचीपुरम के वरदराज पेरुमल मंदिर में वे वर्षों तक पुजारी रहे। वे जीवन भर वैष्णव समाज के स्तंभ रहे। ईर्ष्या और उनके बढ़ते प्रभाव के कारण कई बार उनकी हत्या की भी कोशिश हुई।

श्री रामानुजाचार्य ने दक्षिण की समृद्ध भक्ति परंपरा को विशेषकर आलवार संत कवियों की परंपरा को बौद्धिक आधार प्रदान किया। जैसा कि सर्वविदित है, अधिकांश आलवार संत पिछड़ी जातियों में जन्मे थे। श्री रामानुजाचार्य ने तथाकथित अछूत जाति के तिरुप्पन आलवार जैसे संतों की रचनाओं को वैष्णवों के वेद के रूप में सम्मानित किया। तथाकथित पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए वैष्णव धर्म के द्वार खोलने का कार्य किया। उन्होंने समझाया कि भक्ति सभी जाति-भेदों से ऊपर है और ईश्वर की आराधना का सबको समान अधिकार है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ईश्वर की भक्ति के लिए किसी पुरोहित-वर्ग की भी जरूरत नहीं है। श्री रामानुज स्वामी ने तत्कालीन समाज-व्यवस्था में समता का संचार कराया। उन्होंने वेदान्त की बौद्धिकता में भक्ति के रस का मिश्रण किया। उन्होंने बुद्धि को हृदय से जोड़ा तथा अमूर्त को मूर्त से जोड़ा। उन्होंने सब कुछ छोड़ कर ईश्वर की शरण में जाने की भावना को उत्पन्न करने की शिक्षा दी और इस भक्ति-भाव को 'प्रपत्ति' का नाम दिया। उन्होंने भक्ति द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाया।

भारत में भक्ति की धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हुई। इसके लिए उत्तर भारत के साधु-समाज ने श्री रामानुजाचार्य जैसे दक्षिण भारत के संतों के प्रति सदैव कृतज्ञता व्यक्त की है। उत्तर भारत के भक्तों में एक दोहा प्रचलित है :

"भक्ती द्राविड ऊपजी, लाए रामानन्द

परगट कियो कबीर ने, सात द्वीप नौ खण्ड।"

अर्थात भक्ति की धारा दक्षिण के क्षेत्र में आलवार संतों और श्री रामानुजाचार्य की परंपरा में उत्पन्न हुई। उसे स्वामी रामानन्द उत्तर भारत में ले आए। उनके शिष्य संत कबीर ने जम्बू-द्वीप सहित सातों द्वीप और भरत-खंड सहित सभी नौ खंडों में अर्थात समस्त भारत वर्ष में भक्ति के प्रकाश को फैलाया।

स्वामी रामानन्द ने कबीर, रैदास, दादू दयाल और पीपा जैसे संतों को भक्ति का मार्ग दिखाया। स्वामी रामानन्द के वे सभी शिष्य तथाकथित पिछड़ी जातियों के थे। आज से सदियों पहले के इस उदाहरण में भारत की समतामूलक चेतना के तत्व विद्यमान हैं। इस प्रकार श्री रामानुजाचार्य के दर्शन पर आधारित भक्ति की धारा ने समता के आधार पर समस्त भारत में समाज के सभी वर्गों को एक-दूसरे से जोड़ा।

समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु कार्य करना भी हमारे देश का प्रमुख जीवन-मूल्य रहा है। सबके हित का यही आदर्श रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत पर आधारित भक्ति मार्ग में भी दिखाई देता है। इस करुणा-युक्त भक्ति का प्रवाह देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचा। गुजरात में नरसी भगत ने इसी परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु का वास्तविक भक्त उसे माना जो दूसरे के कष्ट को समझे तथा उनका दुख दूर करने में लगा रहे।

महात्मा गाँधी ने भी नरसी मेहता द्वारा दी गई वैष्णव-भक्त की इसी परिभाषा को अपनाया। आधुनिक युग में सनातन भारतीय जीवन-मूल्यों की स्थापना करने वाले गाँधी जी पर भी श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव दिखाई देता है। गाँधी जी ने सन् 1923 में अपने कारावास के दौरान 'रामानुज-चरित' शीर्षक पुस्तक का अध्ययन किया था।

श्री रामानुजाचार्य के बाद की सहस्राब्दी में उनकी सोच से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहा है। साथ ही, समाज-सुधार एवं मानवता के कल्याण के लिए जो बदलाव हुए हैं उन पर भी रामानुज स्वामी का प्रभाव दिखाई देता है। असम में श्री शंकरदेव से लेकर महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर तक पंजाब में गुरु नानक से लेकर केरल में मेलपत्तूर नारायण भट्ट-तिरि तक इन सभी विभूतियों पर श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव रहा।

श्री रामानुजाचार्य जैसे संत युग-प्रवर्तक भी होते है और युग-दृष्टा भी। सदियों पहले मंदिर और मठ, संस्कृति और कार्य-व्यवस्था के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। उस परिवेश में समानता की स्थापना करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने समाज के पिछड़े वर्गों को मंदिरों और मठों की व्यवस्था में सहभागी बनाया। इस प्रकार, हमारे संविधान के समता-मूलक आदर्श श्री रामानुजाचार्य के विचारों और कार्य-प्रणाली में स्पष्ट दिखाई देते हैं।

हमारी परंपरा में प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने के लिए साकार प्रतिमा या मूर्ति को आधार बनाया जाता है। किसी स्वरूप के आलंबन के बिना भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती।

ईश्वरीय गुणों से युक्त विभूतियों को ठोस आकार में देखने की यह भावना ही श्री रामानुजाचार्य की इस विशाल प्रतिमा के निर्माण की प्रेरणा रही है। यह भव्य एवं विशाल प्रतिमा, पंच-धातु से निर्मित एक मूर्ति मात्र नहीं है। यह प्रतिमा भारत की संत-परंपरा का मूर्तिमान स्वरूप है। यह प्रतिमा भारत के समतामूलक समाज के स्वप्न का मूर्तिमान स्वरूप है। यह प्रतिमा भारत की आध्यात्मिक महानता का प्रतीक है। यह प्रतिमा भारत के स्वर्णिम भविष्य का मूर्तिमान स्वरूप।

वायुयान की खिड़कियाँ गोल क्यों होती हैं?

अमृत सिंह
उप अभियंता, बी एच ई एल – रामचंद्रपुरम

हवाई यात्रा के दौरान ध्यान दें तो हवाई जहाज की खिड़कियाँ गोल या अंड़ाकार दिखाई देती हैं। दरवाजे के कोने भी गोलाई लिए हुए होते हैं अन्य दीवारों और खिड़कियों की तरह ये खिड़कियाँ और दरवाजें पूर्णत: चौकोर नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? यह जानने से पहले इसका महत्व समझना जरूरी है जो एक कहानी से जुड़ा है। इन खिड़कियों के गोल या अंडाकार न होने के कारण अलग-अलग दुर्घटनाओं में कुल 110 लोग मारे गए थे। जानते हैं कि इसके पीछे क्या हुआ था।

हवाई यात्रा के शुरुआती दिनों में हवाई जहाज अनप्रैशराइज अर्थात केबिन में कृत्रिम रूप से वायु दबाव बढ़ाने वाली प्रणाली के बिना बना करते थे। इस कारण यात्री जहाज बहुत ऊँचाई तक नहीं उड़ पाते थे और यात्रा आरामदेह नहीं होती थी। यात्री विमानों की गति भी बहुत अधिक नहीं हुआ करती थी क्योंकि तब तक सभी यात्री जहाज प्रोपेलर से चलते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई तकनीक से सीख लेते हुए 02 मई, 1952 को डे हैविलैंड कंपनी ने हवाई यात्रियों के लिए पहला जेट लाईनर लाँच किया जो उस समय के अपने प्रतिद्वंदी जहाजों से दो गुना तेज था तथा प्रेशराइजेशन प्रणाली से सुसज्जित था। ये करीब 12 किलोमीटर की ऊँचाई पर उड़ सकता था। इस जहाज का नाम "कॉमेट" था। इस विमान की खिड़कियाँ चौकोर थीं। यह विमान लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। इसकी यात्रा विलासितापूर्ण, द्रुतगामी और आरामदायक थी।

कुछ समय परिचालन के बाद इस विमान की पहली दुर्घटना 26 अक्तूबर, 1952 को इटली के रोम शहर से उड़ान भरने के दौरान हुई। कोई हताहत तो नहीं हुआ लेकिन दुर्घटनाग्रस्त जहाज को सेवा से हटाना पड़ा। दूसरी दुर्घटना 03 मार्च, 1953 को पाकिस्तान के कराची शहर से उड़ान भरते वक्त हुई। 6 यात्रियों और पाँच क्रू मेंबर सहित कुल 11 लोग मारे गए। यह किसी भी जेटलाइनर का पहला ऐसा एक्सीडेंट था जिसमें लोगों की जान गई थी। दोनों दुर्घटनाएँ पायलट की गलती से हुई थीं इसलिए कोई विशेष जाँच नहीं की गई।

तीसरा हादसा भारत के कलकत्ता शहर में 02 मई, 1953 को उड़ान भरने के 16 मिनट बाद हुआ। इसमें कुल 43 लोग मारे गए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यह "कॉमेट" विमान पँखविहीन होकर जगलगोरी गाँव पर गिरा जिससे जाँचकर्ताओं को इसके ढाँचे पर शक हुआ। चूँकि यह दुर्घटना खराब मौसम में हुई थी इसलिए कोई विशेष जाँच नहीं हो पाई और इसकी उड़ानें पूर्ववत चालू रहीं।

फिर 10 जनवरी, 1954 को रोम शहर से लंदन के लिए उड़ान भरने के 26 मिनट बाद एक कॉमेट जहाज बीच हवा में टुकड़े-टुकड़े होकर उथले समुद्र में क्रैश हो गया। कुल 35 यात्री तथा एयर क्रू मेंबर मर गए। कॉमेट जहाजों की उड़ानों पर रोक लगा दी गई और दुर्घटना की जाँच शुरू कर दी गई। जाँच कमेटी ने हर कोण से इसकी जाँच की। लेकिन दुर्घटना के कारण का कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। शायद यात्रियों की जान से ज्यादा पैसा प्यारा था तो दुर्घटना की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने कॉमेट विमानों की उड़ानों पर लगी रोक हटाकर उनके परिचालन की फिर से अनुमति दे दी। अनुमति देने के करीब पन्द्रह दिन बाद 08 अप्रैल, 1954 को एक और जहाज रोम से मिस्र के लिए उड़ान के दौरान बीच हवा में टुकड़े-टुकड़े होकर गहरे समुद्र में समा गया और 21 यात्री मर गए। फिर से कोई यात्री एवं एयर क्रू मेंबर नहीं बचे। दिलचस्प बात यह थी कि इन दोनों ही जहाजों को उड़ान से पहले की जाँच करने तथा अंतिम सलामी देने वाली एक ही टीम थी। अब मामला गंभीर हो गया। जाँच कमेटी पर सही कारण खोजने का बहुत ज्यादा दबाव बना। उस जमाने में जहाजों में ब्लैक बॉक्स अर्थात फ्लाइट डेटा रिकार्डर नहीं हुआ करते थे इसलिए सही कारण ढूँढना भूसे के ढेर में सुई ढूँढने समान था। उथले समुद्र में से डूबे जहाज के टुकड़ों को बड़ी मुश्किल से किसी प्रकार ढूँढ-ढूँढकर निकाला गया और मिले विभिन्न टुकड़ों की एक-एक कर पहचान की गई और एक लकड़ी के जहाजनुमा फ्रेम पर टुकड़ों को लगाकर कारण जानने की कोशिश की गई। जाँच टीम को मेटल फटीग अर्थात बार-बार दबाब या तनाव पड़ने से होने वाली दरारों पर शक हुआ। लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिला। अब उन्होंने जहाज की प्रेशराइजेशन प्रणाली की जाँच की और इसके लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। एक असली कॉमेट जहाज को, सभी साजो सामान निकालने के बाद इस जहाज के लिए विशेष रूप से बनाई हुई पानी की टंकी में डुबो दिया गया। जहाज के अन्दर और बाहर दोनों तरफ पानी था। अब जहाज के केबिन में पानी के दबाब अर्थात प्रेशर को बढ़ाया जाता और फिर से कम किया जाता। फिर से बढ़ाया जाता और फिर से कम किया जाता। यह काम पाँच-पाँच मिनट के अंतराल पर लगातार तीन महीने तक बिना रुके दिन-रात किया गया। इस दौरान इस प्रक्रिया को तीन हजार से अधिक बार दोहराया गया जो कि जहाज की तीन हजार उड़ानों के समान है। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। जहाज की चौकोर खिड़कियों के कोनों में बहुत बड़ी-बड़ी दरारें आ गईं और ये दरारें एक खिड़की के कोने से दूसरी खिड़की के कोने तक जा रही थीं। इस कारण जहाज की स्किन भी कई जगह से फट गई थी। चौकोर खिड़कियों और दरवाजों के कोनों में स्ट्रेस कान्सन्ट्रेशन प्वाइंट अर्थात वह बिंदु जहाँ पर तनाव या दबाब आकर इकट्ठा हो, बन रहे थे। इस कारण छोटी-छोटी दरारें पड़ रही थीं जो कि कालान्तर में बहुत बड़ी दरारों में परिवर्तित हो रहीं थीं और यही दरारें कॉमेट विमानों की कम से कम उन अंतिम तीन दुर्घटनाओं का कारण बनीं जिनमें लोगों की जान गई।

इसी प्रकार की घटना घर और मकानों में भी देखने में आती है। भूकंप आने के बाद घर में खिड़कियों और दरवाजों के कोनों में दरारें बनती हैं। कालान्तर में भूकंप के झटकों के साथ ये दरारें बढ़ती जाती हैं।

कॉमेट विमानों की दुर्घटनाओं की जाँच कमेटी की अक्तूबर, 1954 में जमा की गई रिपोर्ट के आधार पर जहाज बनाने की अवधारणा में मूलभूत परिवर्तन आया। अब यह कोशिश की गयी कि जहाज में कोई स्ट्रेस कान्सन्ट्रेशन प्वाइंट न बनने पाए और इसी कोशिश के मद्देनजर जहाज की खिड़कियों को गोल अथवा अंडाकार बनाया गया है और चौकोर दरवाजों के कोनों को गोलाई लिए हुए बनाया गया ताकि कॉमेट विमानों जैसी दुर्घटनाएँ फिर से न हो।

औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

डॉ. रजिन्दर कौर
प्रबंधक (राजभाषा), एन एम डी सी लिमिटेड

'उद्योग' शब्द का अर्थ किसी कार्य को ऊपर अथवा आगे की ओर ले जाना है। अन्य शब्दों में परिश्रम सहित कार्य को विकास की ओर ले जाना है। कोई परिश्रम युक्त संयुक्त प्रक्रिया अपने लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकती है जब समग्र रूप से सभी आवश्यक घटक इसमें सहायक हों। किसी उद्योग को स्थापित करना हो तो बुनियादी कारक यथा - भूमि, पूँजी, श्रम शक्ति, कच्चा माल, कौशल, योजना, बाजार, प्रतिस्पर्द्धा आदि की आवश्यकता होती है। इनमें आधारभूत तत्व सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को जोड़ दिया जाए तो विकास की गति स्वत: तीव्र हो जाती है। वर्तमान काल में प्रत्येक संगठन सुरक्षा के अधुनातन उपाय अपना कर दुर्घटनाओं से दूर रहते हुए अपनी प्रभावपरक वृद्धि करने के लिए प्रयासशील है। सुरक्षा एवं स्वास्थ्य एक ऐसा पहलू है जो कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है और उन्हें भय मुक्त कर कार्य संलग्नता में वृद्धि करता है। औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य किसी औद्योगिक प्रगति का मूलाधार होते हैं।

मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और सुरक्षा का भाव जन्मगत स्वभाव उसके भीतर निहित है। कुदरत ने हमें सुरक्षित एवं जीवन विस्तार के लिए बनाया है। पर भौतिक सुख-सुविधाओं में निरंतर वृद्धि और तकनीकी विस्तार से कई प्रकार के जोख़िम भी उत्पन्न हो गए हैं। ऐसा नहीं कि अनादि काल में सुख-सुविधा रहित मनुष्य खतरों से घिरा नहीं था, किंतु यह खतरे मनुष्य द्वारा उत्पन्न नहीं थे। बावजूद इसके उसने धीरे-धीरे अपने अनुभव से इन जोख़िमों और कुदरती रहस्यों के साथ रहना सीखा। अनादि काल से मनुष्य जिस परिवेश में रहा तदनुरूप अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को विकसित कर अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करता रहा। समय के साथ विकास की ओर अग्रसर पुराने परिवेश से पृथक हो उसने एक जोख़िम भरे परिवेश का स्वत: सृजन भी कर लिया।

सुख-सुविधाओं से सम्पन्न जीवन प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है और इस दिशा में उसने परिश्रम भी किया है। किसी भी बड़े अथवा छोटे संगठन की टैग लाइन प्राय: यही होती है कि 'कार्य किसी भी परिस्थितियों में रुकना नहीं चाहिए' और ऐसी दशा में उस उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा व स्वास्थ्य की जवाबदेही जितनी संगठन की बनती है उतनी ही कर्मचारियों की भी होती है। बड़ी-बड़ी मशीन, उपकरण, कल-पुर्जों के साथ जूझते हुए अपने जीवन को संकट में डाल कार्य करना मनुष्य के विवेक को एक प्रकार की चुनौती है। जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिन कल-कारखानों का जन्म हुआ यदि वही उसके स्वास्थ्य को खतरे में डाल देंगे तो मनुष्य का विवेकशील होना शेष नहीं रह जाता। अत: किसी भी उद्योग से जुड़े जोख़िम को सर्वप्रथम समझने के बाद ही उसके निवारण की दिशा में प्रयास होने चाहिए। कार्मिकों के जीवन को भयमुक्त कर सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।

किसी संगठन की सुरक्षा सुनिश्चयन के लिए "सेंटर फार फायर सेफ्टी एवं इंजीनियरिंग" जैसे संस्थान खोले गये हैं। भारत बेशक कृषि प्रधान देश रहा है किंतु उद्योग के क्षेत्र में भी अब यह पीछे नहीं है। भिलाई, बोकारो, फरीदाबाद, जमशेदपुर, अलीगढ़ आदि अनेक शहर औद्योगिक क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ के कल-कारखानों में देश के छोटे-बड़े गाँव-शहरों से हज़ारों लोग कार्य करते हैं। इनमें कार्यरत श्रमिक पढ़े-लिखे अथवा कम पढ़े-लिखे सभी प्रकार के होते हैं। पढ़े-लिखे श्रमिकों में भी तकनीकी क्षेत्र में कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार संयुक्त रुप से कार्य करते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता एवं योग्यतानुसार ही कार्य सौंपा जाता है किंतु कार्मिकों की मन:स्थिति को जानना भी बेहद आवश्यक होता है तभी संगठन पूरी तरह सुरक्षा व स्वास्थ्य उपाय का निर्धारण करने में सफल हो सकता है।

प्रत्येक उद्योग की अपनी प्रकृति होती है और तदनुसार वहाँ के वातावरण, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी नियमों का निर्धारण होता है। इनमें निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है :

1. **संगठन का स्वरूप :** किसी भी संगठन के स्वरूप को पूरी तरह जाने बिना उसके सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उपायों को निर्धारित नहीं किया जा सकता। सरकारी अथवा गैर सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बृहद, लघु एवं सामान्य आकार के संगठन अपना अलग अस्तित्व रखते हैं और तदनुसार ही सुरक्षा उपायों की अपेक्षा करते हैं।

2. **संगठन एवं कार्य की प्रकृति :** सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी उपायों को लागू करते समय यह जानना बेहद ज़रूरी होता है कि संगठन में किस प्रकार का उत्पादन होता है। तदनुसार सुरक्षा का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। जैसे अधिक जोख़िम अथवा सामान्य जोख़िम वाले कार्य तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कार्य जिनके लिए सुरक्षा व स्वास्थ्य संबंधी पृथक-पृथक दिशा-निर्देश हों। खनन उद्योगों में प्राय: कार्मिकों को श्वास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्थलों पर पर्याप्त धूल शमन उपकरण जरूरी होते हैं। भारी यंत्रीकृत उद्योग जो अधिक ध्वनि का उत्सर्जन करते है वहाँ श्रव्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अत: यहाँ कर्मचारियों के लिए पर्याप्त 'इयर मफ' आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

3. **संगठन में कार्य करने की स्थितियाँ** : कार्य करने के लिए स्थितियाँ कार्य करने के अनुकूल अथवा प्रतिकूल हैं इसकी भी जानकारी आवश्यक होती है। ऐसे कई कौशलपूर्ण कार्य होते हैं जिन्हें करने के लिए अधिक सावधानी अथवा एकाग्रता की आवश्यकता होती है जिसके लिए उपयुक्त मशीनें, उपकरण, रोशनी आदि की पर्यात व्यवस्था के बाद ही वहाँ की सुरक्षा निश्चित हो सकती है। कार्य करने का वातावरण एवं श्रमिकों की शारीरिक क्षमता से अधिक कार्य घण्टे निर्धारित होना न केवल मानवीय अधिकारों का हनन है बल्कि सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी भी है। भोजन करने एवं विश्राम आदि की व्यवस्था का होना अथवा न होना भी सुरक्षा उपायों को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति मनुष्य मन को प्रभावित करती है और मन कार्य को प्रभावित करता है। इस प्रकार मानसिक असंतोष की स्थिति किसी भी सुरक्षा उपाय को निष्फल बना सकती है।

4. **श्रमिकों की शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक स्थिति की जानकारी:** श्रमिकों के स्वास्थ्य के साथ उनकी मनोस्थिति को भी ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। कई कार्य एकरस होते हैं जिनसे ऊब की स्थिति पैदा होती है। मनोविज्ञानिकों का मानना है कि जिस काम में अरुचि हो वहाँ थकान शीघ्र होती है। अत: इस प्रकार के कार्यों को करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा निर्धारित करने एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होती है।

5. **निर्माण में उपयुक्त मशीनें, उपकरण एवं सहायक कल-पुर्जों की स्थिति :** उत्पादन में लगी मशीनों की स्थिति काम चलाऊ होने की स्थिति में वह अधिक समय लेती हैं अथवा निर्धारित व्यय से अधिक व्यय होता है। समय का सदुपयोग और बचत को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपायों की ज़रूरत होती है।

6. **श्रमिकों की संख्या :** श्रमिकों की संख्या पर्याप्त है या कम लागत और कम व्यय के लिए श्रमिकों की संख्या न्यून रखी गई है-इस तथ्य का आकलन भी ज़रूरी है। कई कार्यों में अधिक श्रम व सूझ की आवश्यकता होती है। ऐसी जगह उचित संख्या निर्धारित करने के पश्चात ही सुरक्षा उपाय सहायक हो सकते हैं।

वर्तमान युग में औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य एक आवश्यक पहलू है। बड़ी-बड़ी मशीनों के साथ जूझता संवेदनशील मनुष्य संगठन से एक सुगठित सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की अपेक्षा करता है। सर्वविदित है कि सुरक्षित वातावरण में हम अधिक क्षमता, लगन एवं रुचि से कार्य कर सकते हैं। भय मुक्त वातावरण किसी भी संगठन के विकास की दिशा में प्रथम कड़ी साबित हो सकता है। सुरक्षा के उपाय, सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण, सुरक्षा नियम एवं अनुपालन कार्य की अनुकूल परिस्थितियाँ व सुरक्षा के प्रति जगरूकता किसी भी संगठन को उसके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
हैदराबाद

- नियोजक अपने संस्थान में 10 और इससे अधिक कार्मिकों को रोजगार देने के 15 दिनों के भीतर संस्थान का पंजीकरण करवाएँ तथा कार्मिकों की नियुक्ति से 10 दिनों के भीतर कार्मिकों का पंजीकरण करवाएँ।
- निगम के हितलाभों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए नियोजक तथा बीमाकृत व्यक्ति ध्यान दें कि किसी भी स्थिति में दोहरा पंजीकरण न किया जाए।
- बीमाकृत व्यक्ति को निर्बाध और आसानी से हितलाभ प्रदान करवाने के लिए उनके परिवार, बैंक खाते और मोबाइल नंबर संबंधी पूरे ब्योरे निगम के पोर्टल पर नियोजक अद्यतन करना सुनिश्चित करें।
- बीमाकृत व्यक्ति को यूनिक बीमा संख्या आबंटित होती है, दोहरे पंजीकरण से लाभार्थी के हितलाभ रुक जाते हैं।
- निगम के विनियम 31 के अंतर्गत नियोजकों से अनुरोध है कि अंशदान-अवधि की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर अंशदान का भुगतान कर दें।
- विनियम 10-सी के अनुसार नियोजक अपने संस्थान/इकाई का स्थान, मोबाइल नंबर, ई-मेल तथा पोस्टल एड्रेस प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से अद्यतन करें।

अधिक जानकारी के लिए निगम के नजदीकी शाखा कार्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, आदर्शनगर से संपर्क करें।

आत्मनिर्भर भारत

शरद कुमार त्रिपाठी
आंचलिक महाप्रबंधक, गेल (इंडिया) लिमिटेड

आत्मनिर्भर भारत से अभिप्राय क्या है? इसके लिए पिछले दशकों में की गई पहल, इसकी सफलता के साथ वर्तमान योजना, स्थिति व आवश्यकता का आकलन ज़रूरी है।

आज़ादी की लड़ाई में स्वराज व स्वदेशी का नारा दिया गया था। अत: स्वावलंबन के बीज औपनिवेशिक काल में ही डाल दिये गये थे। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही हमें राजनैतिक स्वावलंबन मिल गया और हम अपने नियम-कानून बनाने के लिए निर्भर नहीं रहे।

सैकड़ों वर्ष की गुलामी ने देश को शैक्षिक व आर्थिक रूप से खोखला कर दिया था। देश के करोड़ो लोगों का पेट भरने, रोजगार, शिक्षा व स्वास्थ्य एक चुनौती थी। अतः मूलभूत व स्ट्रेटजिक महत्व के उद्योगों को तेजी से सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ (पी एस यू) लगाने की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए पी एस यू की स्थापना की गयी। घरेलू उद्योग पनप सके इस दृष्टि से देश के दरवाजे बाहर के माल के लिए बंद कर दिये गये। पी एस यू को देश के तेजी से विकास के लिए व रोजगार के लिए महत्वपूर्ण माना गया। लेकिन समय के साथ व लंबे समय तक प्रतिद्वंद्विता न होने के कारण पी एस यू खराब गुणवत्ता व अधिक कीमत का सामान बेचने लगे। बाकी प्राइवेट उद्योग भी लाइसेंस राज व भ्रष्टाचार के कारण पनप न सके। आज़ादी के बाद हरित क्रांति की एक सफल कोशिश की गयी और अन्न उत्पादन के मामले में हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हुए। यहाँ तक कि कोरोना त्रासदी के दौरान भी सरकार मुफ्त राशन उपलब्ध करा सकी |

समय के साथ उद्योग-धंधों की स्थिति गंभीर होती गयी और देश 'बैलेन्स ऑफ पेमेंट' (आयात अधिक, निर्यात कम) के संकट में फँस गया। परिणामतः तेल, एल पी जी आदि की कीमत निर्धारण को नियंत्रण से बाहर करना पड़ा। उदारीकरण (1990) का दौर शुरू कर देश के दरवाजे विश्व के लिए खोलने पड़े।

यह स्थिति दर्शाती है कि आत्मनिर्भरता का मतलब यह कतई नहीं है कि हम विश्व बाज़ार से कट जायें। हाँ, यह आवश्यक है कि हम आर्थिक रूप से मजबूत रहें व विश्व व्यापार में घाटे न रहें। इसके अतिरिक्त आवश्यकता इस बात की है कि हम समय-समय पर यह निर्धारित करें कि कौनसे ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें देश की निर्भरता आयात पर अत्यधिक निर्भर है – जैसे तेल एवं गैस, इलेक्ट्रॉनिक, सेमी कंडक्टर चिप, रक्षा उपकरण आदि। इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

कोविड-19 त्रासदी के बाद दूसरे देशों पर बहुत अधिक निर्भरता की खामी उजागर हो चुकी है। जैसे कि चीन पर बल्क ड्रग, चिकित्सकीय उपकरण आदि पर निर्भरता चिंताजनक है |

विश्व के अन्य देश भी इस बात को समझ रहे हैं कि चीन पर अत्यधिक निर्भरता ठीक नहीं। अत: वे भी निवेश व उद्योग स्थापित करने वैकल्पिक देशों की तलाश में है। हम एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं और यह हमारे लिए सुनहरा अवसर हो सकता है।

सरकार निर्यात को सुदृढ़ करने के लिए, मूलभूत अवसंरचना के लिए, देश में उद्योग-धंधे स्थापित करने के लिए, निवेश के लिए समुचित कदम जैसे कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पी एल आई) योजना, डिफेंस कॉरीडोर योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट आदि पर जोर दे रही है |

इस प्रकार आज़ादी के बाद आत्मनिर्भर भारत का सपना एक सुनहरा अवसर है। यह अपनी ज़रूरतें पूरी करने के साथ-साथ अन्य देशों को पर्याप्त निर्यात के अवसर प्रदान करेगा। इसमें चीन व अन्य देशों पर निर्भरता कम होने के साथ-साथ निर्यात से 'बैलेंस ऑफ पेमेंट' संतुलित हो पायेगा और उद्योग सहित आर्थिक क्षेत्र को मजबूती व स्थिरता प्राप्त होगी।

आत्मनिर्भर भारत याने स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहें तो देश के करोड़ों लोगों के लिए संदेश है कि "उठो, जागो और तब तक न रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।

प्रमोशन - एक लघु कथा

बी जे वसुन्धरा
प्रबंधक (मा सं – रा.भा.), बी एच ई एल – आर अण्ड डी

प्रियंका के सास- ससुर का फोन सुबह –सुबह घनघना रहा था। सुबह के 8.00 बजे तक उसे कंपनी में पहुँच जाना होता है। मोबाइल पर कॉल आने का तातपर्य है वे आधा घंटा उसे लेट करेंगे और उसके एवज में उसे आधा सीएल कटाना पड़ेगा। उफ इस भागम दौड़ी में फोन अटेंड करना मुश्किल है। पूरी रफ्तार के साथ वह लिफ्ट की ओर भागी और पाँचवें तले से नीचे पहुँच गई जिसके लिए उसे पूरे पाँच मिनट लगते हैं। सरपट सर्विस रोड से हाईवे तक पहुँचने के लिए दस मिनट लगते हैं। वह सोच रही थी कि यदि ट्रैफिक लाईट पर रेड लगता है तो फोन मिला लेगी वरना सास से काफी सुनना पड़ेगा। उसे पता है उनके इकलौते बेटे अभिषेक के नाशते से लेकर डिनर तक प्रियंका ने क्या बनाया और क्या खिलाया उसे वीडियो कॉल या वाहट्सऐप के जरिए दैनंदिन समाचार उन तक पहुँचाना होता है। पिछले एक -दो दिन से उसका मन खराब है उसका निराश होना भी जायज और स्वाभाविक है वह इस बार फिर ड्राप हो गई है। उधर सास – ससुर से हँसी- खुशी, चहल-पहल सब कुछ पहले जैसा नार्मल चाहिए रूटीन में गडबड नहीं सहा जाता है उनसे। ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लगा है ... कुछ पुराने लॉरी, कुछ कारें.. और बसों से धूं- धूं करके काला-सा धुँआ निकल रहा है ... पूरा वातावरण कितना टॉक्सिक है ... उसकी प्रोफेशनल जिन्दगी भी इससे अछूता नहीं है। उसे पता है कि बेहद ईमानदारी से वह ऑफिस एवं घर संभाल रही है पर औरत होने के नाते उसे दुखी होने का अधिकार भी नहीं हैं। उसका कोलीग भी तो ड्राप हुआ है पर वह एक हफ्ते की छुट्टी पर निकल चुका है।

मुकाबला महामारी से

वी सुशीला देवी
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

"कोरोना" शब्द ने दुनिया भर में खलबली मचा रखी है। इस बीमारी को पहली बार 2019 में चीन के वुहान नामक शहर से रिपोर्ट किया गया था और इसे कोविड 19 का नाम दिया गया। जब तक हमें एहसास हुआ कि यह वायु द्वारा फैलने वाला एक संक्रामक रोग है, तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। आज पूरा विश्व इस वायरस के प्रकोप से जूझ रहा है क्योंकि यह अब तक 220 से अधिक देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। अब तक यह दुनिया भर में लगभग 18 करोड़ आबादी को संक्रमित कर चुका है और अब तक दर्ज की गई मौतों की संख्या लगभग 38 लाख है, जो संख्या किसी भी एक महामारी द्वारा हुई मौतों की संख्या में दूसरे स्थान पर है। इसने मानव प्रजाति को प्रभावी रूप से डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत की याद दिला दी है।

हालाँकि इस वायरस के बारे में 2019 के अंत में ही पता चल गया था, फिर भी यह अभी भी कई देशों में और मजबूत हो रहा है और अभी तक भी किसी देश को इस वायरस से मुक्त घोषित नहीं किया जा सका है। यह स्थिति इस बीमारी की संक्रामकता की तेज़ी को इंगित करता है। कोविड 19 के बाद हमारा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। इस वायरस ने न केवल मौत और तबाही मचाई, बल्कि इसने अर्थ-व्यवस्थाओं को भी बर्बादने के साथ-साथ लोगों के जीवन को तबाह कर दिया।

तो क्या हमें इस नतीजे पर पहुँचना चाहिए कि यह महामारी मानव जाति के साथ हुई अब तक की सबसे भयावह चीज है? नहीं। संख्या के संदर्भ में प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्पेनिश फ्लू के दौरान दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। यह इस तथ्य पर जोर देता है कि चीजें हमेशा के लिए काली और निराशा से भरी नहीं होती हैं। अंग्रेजी में एक सुंदर कहावत है जो कहती है कि 'हर काले बादल में एक चाँदी सी चमक होती है।' एक बेहतर कल के लिए आशा और इच्छा ही है जिसने मानव जाति को अब तक प्रेरित किया है और आने वाली सदियों तक प्रेरित करती रहेगी।

क्या इस महामारी से सिर्फ नुकसान ही हुआ? या हमने इससे बेहतर तरीके से निपटना सीख लिया? आँकड़े बताते हैं कि मानव जाति ने इस स्थिति से निपटना सीख लिया है। सौ साल पहले हुई पिछली महामारी की तुलना में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण, हमने निश्चित रूप से इस बार बेहतर मुकाबला किया। इस महामारी की अवधि के दौरान, जब अधिकांश राष्ट्र लॉकडाउन में थे, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएँ निलंबित कर दी गई थीं, बाहरी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था, व्यापार और विनिर्माण एक ठहराव पर आ गया था; हमने क्या नया सीखा?

सबसे महत्वपूर्ण लाभ के रूप में वैज्ञानिक समुदाय का अथक अनुसन्धान एवं परिश्रम है जिसने इस खतरनाक बीमारी का टीका तैयार करने में लगने वाले समय को प्रभावी ढंग से कम किया। हम स्वदेशी रूप से ऐसी वैक्सीन भी विकसित कर पाए जो विकसित देशों द्वारा निर्मित टीकों की प्रभावकारिता के बराबर स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। होमयोपैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा विकसित वैकल्पिक दवाओं को भी अपनाया गया जो समान रूप से परिणामदायी हैं।

समझ में आया कि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों में वायरस अधिक प्रभावशाली होता है। फलस्वरूप, कई लोगों ने पारंपरिक व्यंजनों के खाने-पीने पर ज्यादा जोर दिया, जो कि ऊर्जा पेय और मल्टी विटामिन टैबलेट पर बिना सोचे-समझे भरोसा करने के बजाय प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए पीढ़ियों से प्रभावी रहे हैं।

मास्क का नियमित उपयोग, बार-बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह को World Health Organization (WHO) और दुनिया भर के लोकतंत्र द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित किया गया। कोविड 19 प्रोटोकॉल ने कई लोगों को स्वस्थ आदतें विकसित करने और परिवेश को साफ रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। सामाजिक यात्रा असंभव हो जाने के कारण, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ट्रेकिंग, प्रकृति की गोद में डेरा डालने जैसी आदतें पैदा की हैं, जहाँ भीड़ कम है ताकि वे शहरी जीवन की नियमित हलचल से दूर आराम कर सकें।

योग और प्राणायाम विशेष रूप से प्रचलित हो पाए जब यह पता चला कि यह रोग मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है। योग, ध्यान और स्वास्थ्य की देखभाल आदत की बजाय आदर्श बनने लगा।

व्यावसायिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग जैसे सेक्टर ने इस महामारी के दौरान लॉकडाउन की मार झेलते हुए ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दिया। किराने का सामान, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान या अन्य कोई घरेलू सामान, इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से बेहतर मूल्य पर प्राप्त किया जा सके।

मनोरंजन के क्षेत्र में फिल्मों के पहले दिन पहले शो के भीड़-भाड़ वाले दिन चले गये। लॉकडाउन के दौरान कई टी वी चैनलों ने अपने लोकप्रिय धारावाहिकों को फिर से चलाया। ओ टी टी प्लेटफॉर्म

रचनात्मक संदेश उन्मुख लघु फिल्मों को लेकर आए जिन्होंने भारी लोकप्रियता हासिल की।

महामारी ने हमारी दिनचर्या को प्रभावित करने के साथ-साथ जीवन के सभी क्षेत्रों को बहुत गहरे से प्रभावित किया। स्कूल जाने वाले बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के कारण पीठ के भारी बैग से एक ब्रेक मिला। अब अगर नर्सरी से ही ऑनलाइन टेस्ट हर बच्चे के लिए आदर्श बन जाए तो हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सी टाइमिंग, निश्चित अध्ययन घंटे, बागवानी, कविता, पेंटिंग और अन्य ललित कलाओं जैसी रचनात्मक आदतों को विकसित करने के लिए समय मिल पाया। बच्चों के सीमित विकल्पों वाले करियर की जगह सर्वांगीण विकास मार्ग प्रशस्त हुआ।

अधिकांश देशों में लॉकडाउन के साथ वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सी टाइमिंग, कॉन्फ्रेंस/चर्चा ऑनलाइन माध्यम से, मेल के माध्यम से, पेपरलेस कार्यालय और डिजिटल हस्ताक्षर पर जोर ने कार्यस्थल और कार्य की प्रकृति को भी बदल दिया।

वीडियो, टॉक शो, यूट्यूब के माध्यम से स्वयं सहायता वगैरह ने कुछ हद तक बीमारी के बाद के प्रभावों को दूर करने का प्रयास किया है और लोगों को बेहतर तरीके से सामना करने और इंटरनेट के माध्यम से मार्गदर्शन देने में मदद की है। इसमें आई आई टी के छात्रों और गूगल द्वारा कोविड 19 संबंधित पोस्ट, ऑक्सीजन सांद्रक के लिए अस्पताल के बिस्तरों की उपलब्धता इत्यादि की जानकारी उपलब्ध करायी।

महामारी ने मानव जाति को अभूतपूर्व रूप से एक साथ होने के लिए मजबूर कर दिया है; चाहे वह वैक्सीन साझाकरण हो, या जरूरत/संकट वाले देशों के लिए ऑक्सीजन सांद्रक की हवाई लिफ्टिंग हो, कई कॉरपोरेट्स ने स्थिति से निपटने में सरकार की मदद की है।

डॉक्टर, स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारी, पुलिस और सफाई कर्मचारियों जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने अथक भाव से सेवा कर समाज का दिल जीत लिया। कोरोना ने सभी को एक बार फिर याद दिलाया है कि एकजुट होकर खड़े रहें तो समाज किसी भी स्थिति से पार पा सकता है वहीं एकजुटता के अभाव में असहज और विभाजित होकर रह जाता है।

परिवर्तन

कल्याणी रा. वाडकर
तकनीकी अधिकारी-सी, ई सी आई एल

परिवर्तन.....प्रकृति का नर्तन!
परिवर्तन...प्रति पल परिवर्तन!
सूरज की रोशनी में
अपनी छाँव को बदलते देखा
इसी छाँव में बचपन में त्रिकोणमिति के उन्नयन कोण को समझा
आज भी याद है-- कैसे छाया परिवर्तित होती है!

लेकिन जब इसी परिवर्तन को
जीवन के चलते-फिरते आइने में देखती हूँ?
क्या पाया? एक दिवा स्वप्न.....
जो जैसा दिखता है,
वैसा है नहीं, यह भ्रम नहीं...वास्तविकता है।

हाँ, मौसम को बदलते देखा था
विदर्भ की तपती धूप से वर्षा ऋतु में गरजते बादलों को देखा था
सावन की हल्की फुहारों में प्रकृति को लहलहाते देखा था
सर्द रातों में एक किनारे दूर छिपे टिमटिमाते तारों को देखा था
माँ ने कहा था इनमें ही एक 'ध्रुवतारा' हैं।

लेकिन अब समय वह समय नहीं रहा
मौसम की तरह
इंसान और इंसानियत को बदलते देखा है
सूरज की धूप की तरह
रिश्तों को ढलते देखा है
झरनों के कल-कल प्रवाह की तरह
अश्रु नीरों को बहते देखा है

वख्त की तरह
भावनाओं, संवेदनाओं एवं मर्यादाओं को ठहरते देखा है
पत्थरों की तरह
अपनों के दर्द को सहते देखा है
यह क्या है?.....

परिवर्तन! प्रकृति का नर्तन या नव-जीवन क्रंदन
परिवर्तन भी परिवर्तनशील है
यही हमारी आस्था है
परिवर्तन जीवन की प्रतिष्ठा है।

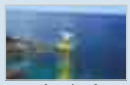
तटीय चौकसी
प्रणाली

टैंक अपग्रेड

शस्त्र प्रणाली

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल), भारत की अग्रणी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ने उत्पादों और प्रणालियों की व्यापक श्रृंखला के साथ देश के सशस्त्र बलों को सुसज्जित करने और सैनिकों को अपने निर्णायक मिशनों में सशक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। बहु-उत्पाद, बहु-यूनिट वाली कंपनी, बीईएल में अपनी सभी प्रक्रियाओं में विश्व-स्तरीय गुणता बनाए रखते हुए आद्योपांत, आवश्यकता के अनुरूप समाधान प्रदान करने की विशेषज्ञता है।

गृहभूमि सुरक्षा व स्मार्ट सिटी

वैमानिकी

रेडार

इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स

सैन्य संचार

असैनिक उत्पाद

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
(रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम)
पंजी. कार्यालय-आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु-560 045, भारत

टॉल फ्री नं.-18·00 425 0433
सीआईएन नं.- L32309KA1954GOI000787
www.bel-india.in

राष्ट्र के रक्षा बलों को सशक्त बनाते हुए

बीएसएनएल

तेलंगाना दूरसंचार परिमंडल

BSNL MOBILE

प्लान 1999

बी.एस.एन.एल. प्री-पेड असीमित प्लान 1999

किसी भी नेटवर्कको (स्थानीय/एस.टी.डी.)
(मुंबई व दिल्ली को छोड़कर रोमिंग में भी)

असीमित डाटा-600 जी.बी.

एस.एम.एस.-100 हर दिन मुफ्त की वैधता – 365 दिन

पी.आर.बी.टी. 365 दिन के लिए

प्लान की वैधता – 365 दिन EROS NOW - 365 दिन

प्लान – 997

किसी भी नेटवर्क को असीमित कॉल्स

(मुंबई और दिल्ली सहित)

असीमित डाटा-3 जी.बी.हर दिन एस.एम.एस.-100 हर दिन

मुफ्त की वैधता – 180 दिन पी.आर.बी.टी. 60 दिन के लिए

प्लान की वैधता – 180 दिन

प्लान 997

*T&C Apply

BSNL Connecting India Faster

अन्य विवरण के लिए: हमारे ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें या 1503 या 1800 180 1503 को काल करें

Follow us on: https://www.facebook.com/bsnlcorporate https://twitter.com/bsnlcorporate youtube.com@bsnlsocial media instragram.com/bsnlcorporate

पंजीकृत एवं निगम कार्यालयः संचार भवन, हरिश चंद्र माथुर लेन, जनपथ, नईदिल्ली-110001. कॉरपोरेट पहचान संख्या(सी.आई.एन.)U74899DL2000GOI107739 www.bsnl.co.in

आपके कार इंजन का
सुरक्षा कवच
सर्वो फ्यूचुरा-जी+
2% इंधन की बचत*
• पेट्रोल और डीज़ल कार/एसयूवी के लिए सिंथेटिक इंजन ऑयल
• सिलेंडर लाइनर और कैम को घिसाई से सुरक्षा दे
• SAE 5W-30, API SN तथा ACEA A5/B5 के मानदंडों के अनुरूप
SERVO
IndianOil
सर्वो
विश्वस्तरीय ल्युब्रिकेन्ट्स
facebook.com/IndianOilCorpLimited | twitter.com/IndianOilcl | www.servo.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

MIDHANI

Celebration of 48 Years 1973 - 2021

विशेष धातु एवं मिश्र धातुओं के लिए एकल समाधान
One roof solution for Special Metals and Alloys

मिधानि में निर्माण, भारत में निर्माण
Made in Midhani, Make in India

टाइटेनियम एवं टी आई अलॉय्स
Titamium & Ti Alloys

वाणिज्यिक शुद्ध टाइटेनियम
Commercially Pure Titanium

टाइटेनियम अलॉय्स
Titanium Alloys

सुपर अलॉय्स
Super Alloys

निकल धातु आधारित
Nickel-base

कोबाल्ट धातु आधारित
Cobalt-base

इस्पात धातु आधारित
Iron-base

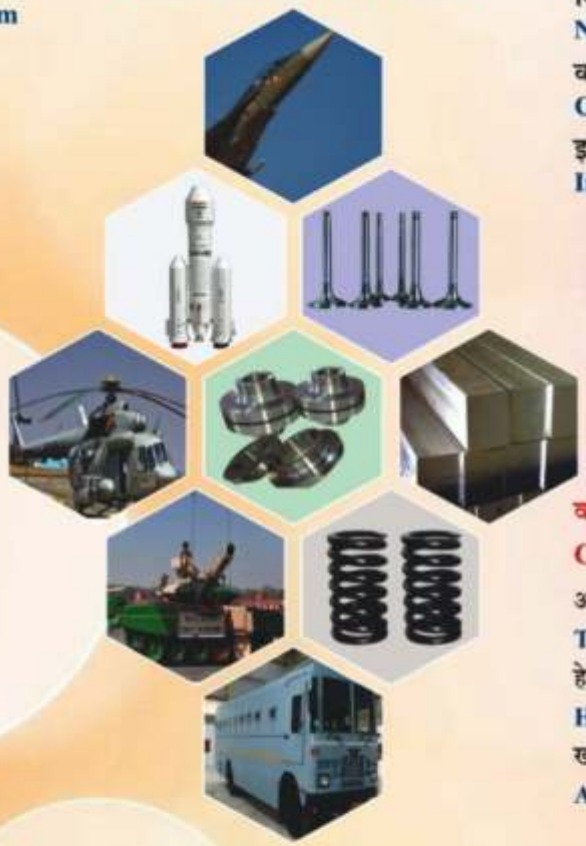

विशेष प्रयोजन स्टील्स
Special Purpose Steels

मारेजिंग स्टील्स
Maraging Steels

आर्मामेंट स्टील्स
Armament Steels

परमाणु ग्रेड स्टील्स
Nuclear Grade Steels

विशेष स्टेन्लेस स्टील
Special Stainless Steel

वाणिज्यिक ग्रेड स्टील
Commercial Grade Steel

ऑटो क्षेत्र के लिए टूल व डाई स्टील
Tool & Die Steel for Auto Sector

हेलिकल स्प्रिंग्स व स्प्रिंग राऊंड्स
Helical Springs & Spring Rounds

खनन क्षेत्र के लिए अलॉय स्टील
Alloy Steel for Mining Sector

हम हर जगह हैं मौजूद, समुद्र की गहराई से अंतरिक्ष की ऊंचाई तक / We Are Everywhere, From Deep Sea To Space

मिश्र धातु निगम लिमिटेड / MISHRA DHATU NIGAM LIMITED

Regd. Office: PO Kanchanbagh, Hyderabad - 500 058, Telangana
Phone: +91-4024340293 / 0253 / 1228, Fax:+91-4024341250 / 0214
Email: mktg@midhani-india.in, website.midhani-india.in

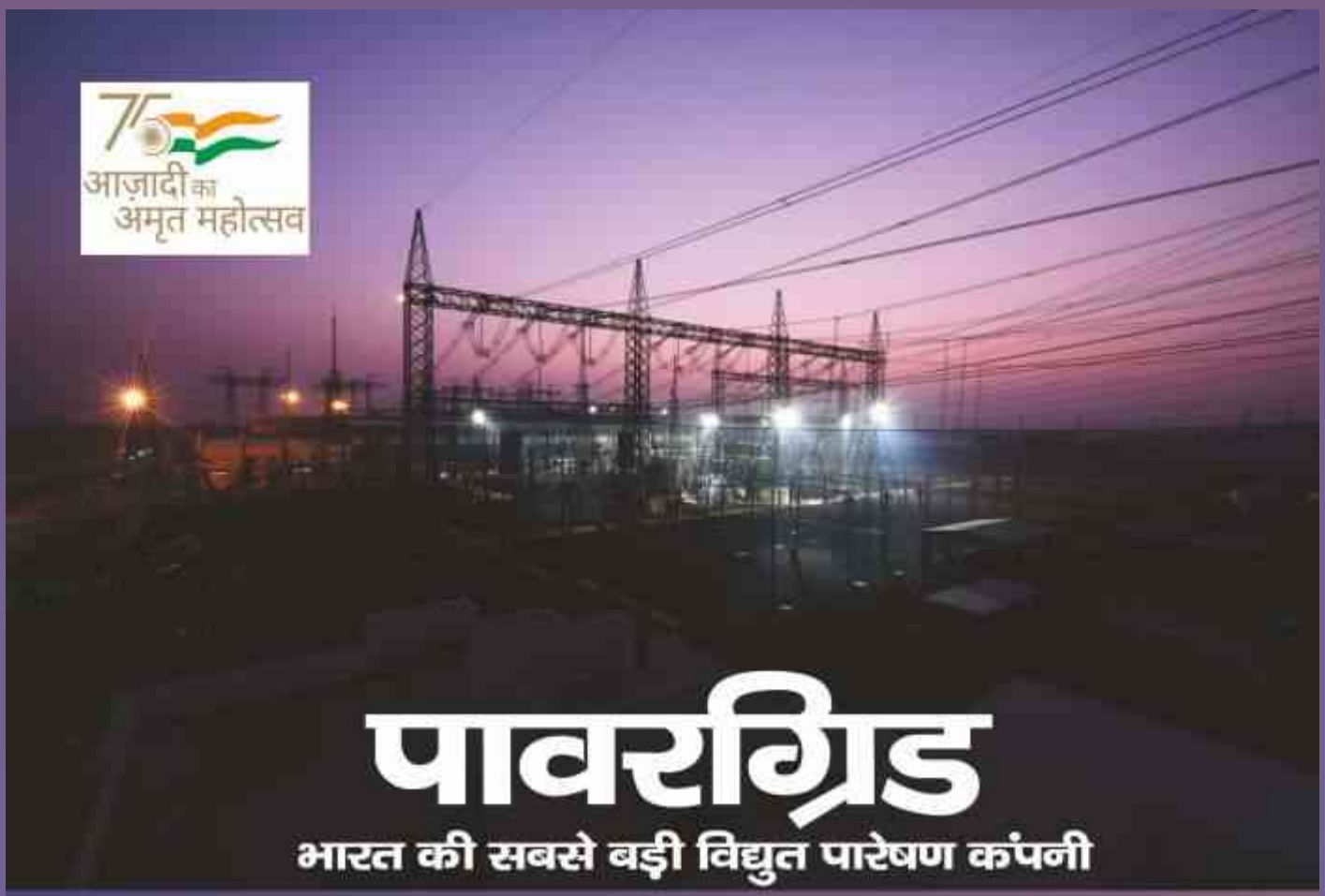

'महारत्न' सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) पावरग्रिड, भारत की केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी पारेषण उपयोगिता पावरग्रिड, पूरे देश भर में पारेषण परियोजनाओं की प्लानिंग, डिजाइनिंग, वित्त पोषण, निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण में संलग्न है तथा भारतीय टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी प्रचालन कार्य करती है।

पावरग्रिड
POWERGRID

www.powergrid.in

पारेषण लाइन >1,72,104 सर्किट किमी. 264 उप–केन्द्र अंतरण क्षमता 4,64,292 मेगावॉट

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
केन्द्रीय कार्यालय : "सौदामिनी", प्लॉट न.-2, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122 001 (हरियाणा)
पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016
सीआईएन : L40101DL1989GOI038121

Forbes 2020 WORLD'S BEST EMPLOYERS

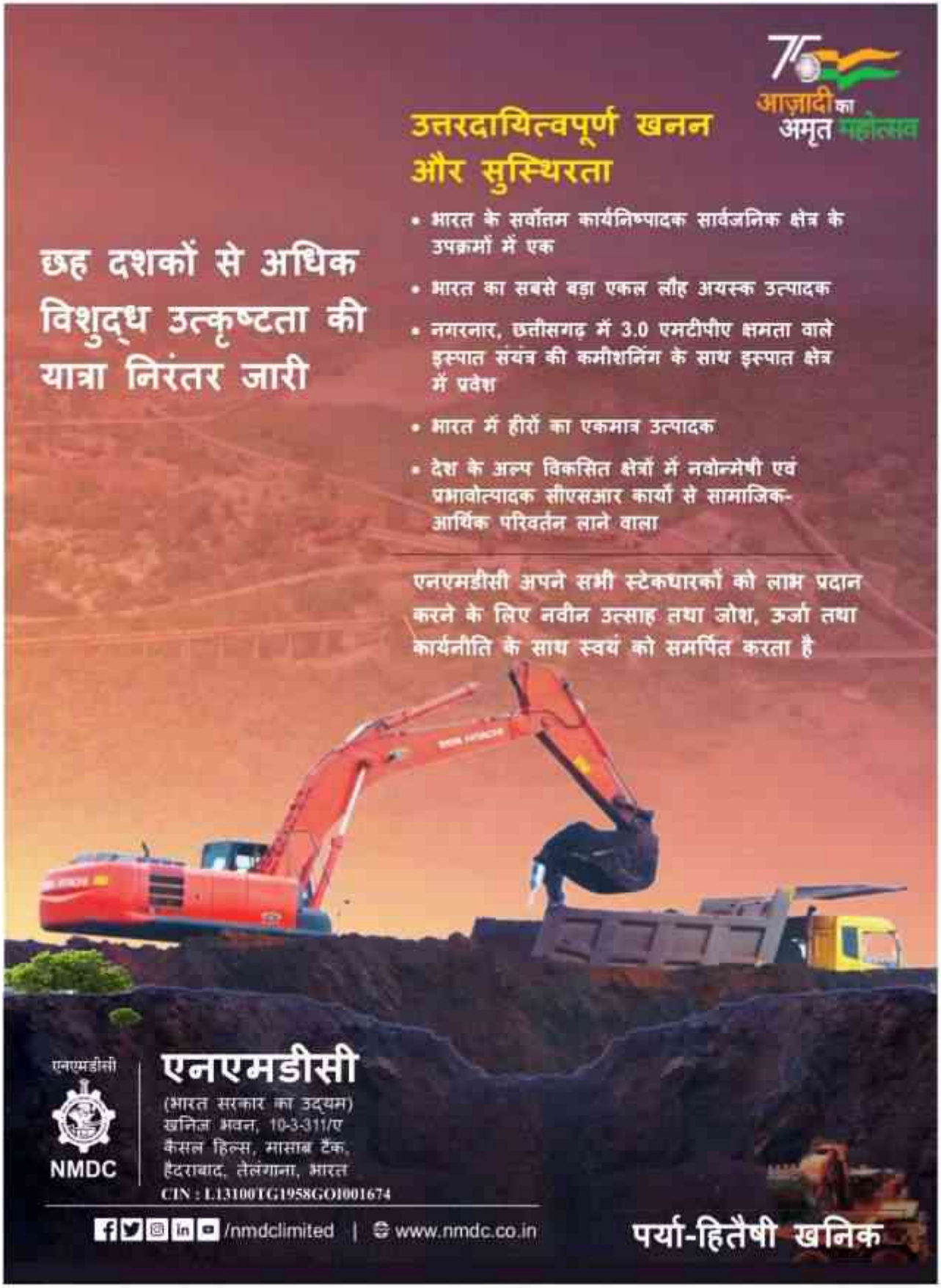
आज़ादी का अमृत महोत्सव
उत्तरदायित्वपूर्ण खनन और सुस्थिरता
• भारत के सर्वोत्तम कार्यनिष्पादक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक
• भारत का सबसे बड़ा एकल लौह अयस्क उत्पादक
• नगरनार, छत्तीसगढ़ में 3.0 एमटीपीए क्षमता वाले इस्पात संयंत्र की कमीशनिंग के साथ इस्पात क्षेत्र में प्रवेश
• भारत में हीरों का एकमात्र उत्पादक
• देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में नवोन्मेषी एवं प्रभावोत्पादक सीएसआर कार्यों से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने वाला
छह दशकों से अधिक विशुद्ध उत्कृष्टता की यात्रा निरंतर जारी
एनएमडीसी अपने सभी स्टेकधारकों को लाभ प्रदान करने के लिए नवीन उत्साह तथा जोश, ऊर्जा तथा कार्यनीति के साथ स्वयं को समर्पित करता है
एनएमडीसी
NMDC
एनएमडीसी
(भारत सरकार का उद्यम)
खनिज भवन, 10-3-311/ए
कैसल हिल्स, मासाब टैंक,
हैदराबाद, तेलंगाना, भारत
CIN : L13100TG1958GOI001674
/nmdclimited | www.nmdc.co.in
पर्या-हितैषी खनिक

इलेक्ट्रॉनिकी में उत्कृष्टता का 54वां वर्ष

ईसीआईएल: बहु उत्पाद, बहु-प्रौद्योगिकी उद्यम है जो परमाणु ऊर्जा, रक्षा, वातरिक्ष, सुरक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-अभिशासन के सामरिक क्षेत्र में नवोन्नत प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध कराता है

उत्पाद एवं सेवाएं निवेदित

- नियंत्रण एवं उपकरणीकरण प्रणाली, विकिरण संसूचक एवं उपकरण
- वीडियो निगरानी सहित एकीकृत सुरक्षा प्रणाली, कार्मिक एवं वाहन अभिगम नियंत्रण, वीडियो विश्लेषिक एवं सुरक्षा उपकरण
- इलेक्ट्रॉनिक निगरानी एवं युद्धकौशल प्रणाली, रेडियो संचार उपस्कर, रक्षा के लिए कमान्ड एवं नियंत्रण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, जैमर, डाटा, वॉयस एवं वीडियो के लिए एन्क्रिप्शन उपस्कर
- ऐन्टेना प्रणाली एवं वी-सैट नेटवर्क, कॉकपिट वॉयस रिकार्डर, सिन्क्रोज एवं जाइरो
- ई-अभिशासन अनुप्रयोग, कम्प्यूटर शिक्षा सेवा, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन एवं मतदाता सत्यापन पेपर ऑडिट परीक्षण प्रिन्टर
- परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर, थिक फिल्म हाइब्रिड सूक्ष्म परिपथ इत्यादि

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारत सरकार (परमाणु ऊर्जा विभाग) का उद्यम
हैदराबाद-500062, तेलंगाना
टेलीफैक्स: +91 40 27122584, ई-मेल- cpr@ecil.co.in
वेब: www.ecil.co.in

गेल (इंडिया) लिमिटेड

भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी

एनर्जाइजिंग पॉसिबिलिटीज

- देश में बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस में 53% का योगदान
- भारत में कुल प्राकृतिक गैस संचरण पाइपलाइनों के 3/4 भाग का संचालन